(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] पंचम् विधान सभा के अष्ठम् सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

बुधवार,

दिनांक 7, मई 1975

विधान सभा की बैठक प्रातः 8.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य सामुदायिक विकास एवं स्वास्थ्य विभाग]

ग्राम पंचायत घनूरी के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

1. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत घनूरी, पंचायत समिति, अलसीसर, जिला झुंझुनूं के सरपंच श्री भूरेखां के खिलाफ दिनांक 7-4-75 को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई ? यदि हां, तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं पारण करने हेतु किस तारीख को कौनसा दिन नियत किया गया ?

(2) क्या इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु ग्राम पंचायत घनूरी की मीटिंग के रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार, झुंझुनूं श्री जुगलकिशोर शर्मा को नियुक्त किया गया था ? यदि हां तो क्या वे दिनांक 24-4-75 को इस मीटिंग में रिटर्निंग आफिसर की हैसियत से पहुंचे ? यदि नहीं तो कौन पहुंचा ?

(3) क्या ग्राम पंचायत की यह मीटिंग हमेशा जहां हुआ करती थी वहां हुई ? स्थान बदलने का कारण बतलाया जावे।

(4) क्या नायब तहसीलदार ने दो पंचों के मत को झूठा रिकार्ड कर लिया ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में दो पंचों ने एडीशनल डी. डी. ओ. एवं जिलाधीश झुंझुनूं को लिख कर दिया है कि उनके मत गलत रिकार्ड किये गये हैं ?

(6) क्या उस दिन ग्राम घनूरी (ततेरावास) जहां यह मीटिंग हुई वहां 50 पुलिस के सिपाही तथा चार थानेदार एवं डिप्टी एस.पी. झुंझुनूं जनता को आतंकित करने के लिए भेजे गये थे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हाँ। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं पारण करने हेतु दिनांक 24 अप्रेल, 1975 गुरुवार का दिन नियत किया गया था।

(2) इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु राजस्थान पंचायत एवं न्याय

Page No 2

(2)

(श्री रामनारायण चौधरी)
पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 15 (3) के अन्तर्गत तहसीलदार झुंझुनू की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत किया गया था । श्री जुगलकिशोर शर्मा को नामजद अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था । अध्यक्षता करने हेतु दिनांक 24-4-75 को कार्यवाहक तहसीलदार श्री तफज्जुल हुसेन जैदी पहुंचे थे जिनके पास तहसीलदार को कार्यभार था ।

(.) जी हां।

(4) नायब तहसीलदार ने कोई मत रिकार्ड नहीं किये थे । यह कार्य तहसीलदार ने किया था और कोई मत झूठा रिकार्ड नहीं किया गया ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या तीन के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया, जी हां । मतलब जहां मीटिंग हुआ करती थी वहां मीटिंग नहीं हुई ? क्या यह बात सही है कि इस मामले में सरपंच को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राम पंचा- की मीटिंग जहां हुआ करती थी वहीं हुई है । मुझे जानकारी मिली है कि सरपंच को हाई कोर्ट का स्थगन आदेश मिला है जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं हो तब तक वह सरपंच का काम करते रहेंगे बदस्तूर ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जब कोई अविश्वास प्रस्ताव में अनियमितता नहीं बरती गई है तो सरपंच को हाई कोर्ट ने स्टे यों ही दे दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए मैं कोई राय नहीं देना चाहता ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने आपको राय नहीं मांगी है । वहां जो अनियमितता हुई है, उसका जवाब मांगा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : अनियमितता का प्रश्न हाई कोर्ट के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 2 !

राज्य में मलेरिया का प्रकोप

2. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में मलेरिया का प्रकोप फिर से प्रारम्भ हो गया है और मलेरिया ग्रस्त रोगियों की संख्या में दिन प्रति दिन बढ़ोतरी होती जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के बाद मलेरिया के प्रकोप को छिपाने के लिए डॉक्टर लोग मलेरिया से ग्रस्त रोगी के पर्चे में बीमारी का नाम मलेरिया न लिख कर फुलेरिया व अन्य इसी प्रकार के नाम लिखते हैं और इस कारण मलेरिया का

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
वास्तविक प्रकोप उससे कहीं अधिक है जितना बताया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि मलेरिया के पुनः प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण लापरवाही बरत रहा है ?

(4) यदि नहीं, तो सारे राज्य में इस वर्ष मच्छरों के भयंकर प्रकोप के बावजूद डी. डी. टी. आदि छिड़कने की कोई व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान, मलेरिया प्रोग्राम के लिये दो भागों में बटा हुआ है। एक, 'अटेक फेज क्षेत्र' (13 यूनिट) में डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाता है। दूसरा कन्सोलिडेशन एण्ड मेन्टेनेन्स फेज (0.25) में है वहीं पर डी. डी. टी. छिड़कने का कार्य किया जाता है वहां मलेरिया के रोगी मिलते हैं। अब चूंकि मच्छर डी. डी. टी. से अप्रभावशील हो चुके हैं अतः भारत सरकार इस प्रोग्राम पर पुनः विचार कर नई नीति निर्धारित कर रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल क्षेत्र, जयपुर): नई नीति क्या निर्धारित हो रही है इसमें ? मच्छरों के बारे में ऐसा है, आपको कमला जी, मच्छर खाते होंगे तो ज्यादा असर होता होगा। मोटे मंत्री हैं, उनको जवाब दे लेने दीजिये। जयपुर में मच्छरों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : चम्बल क्षेत्र में मच्छरों के कारण बहुत ज्यादा परेशानी है।

एक माननीय सदस्य : आज के कांग्रेसी मच्छरों से परेशान हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भी, अध्यक्ष महोदय, मच्छरों से परेशान होंगे—मेरा निश्चित मत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मोटे मंत्रियों का चमड़ा गैंडे का होता है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मोटे मंत्री मच्छरों से परेशान नहीं होते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : चम्बल क्षेत्र में मच्छरों के कारण मलेरिया के फैलने की शिकायत आ रही है और हजारों केसेज आ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया उन्मूलन का प्रोग्राम 1959 में शुरू किया गया था ···

श्री मीठालाल (लालसोट) : प्रोग्राम शुरू किया गया था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1965 तक इस प्रोग्राम में सफल रहे। इसका कारण था कि डी. डी. टी. और बी. एच. सी. के छिड़काव से मच्छर मर जाते थे। इस कारण वह प्रोग्राम सफल रहा····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके प्रोग्राम से कितने लोग हताहत हुए ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : हताहत कोई नहीं हुआ है।

जो प्रश्न प्रद्युम्नसिंह जी से उठाया चम्बल क्षेत्र के बारे में, वहां मच्छरों की रेसिस्टेन्स बढ़ जाने के कारण, भरतपुर और यू. पी. से लगे हुए क्षेत्र में मच्छरों की रेसिस्टेन्स बढ़ जाने के कारण डी. डी. टी. और बी. एच. सी. काम नहीं कर रही है। अब कोई नया तरीका, कौनसा टेक्निकल तरीका काम में लाया जाय जिसका मच्छरों के ऊपर असर हो सके—इसका प्रयोग चल रहा है। दूसरे डब्ल्यू. एच. ओ. ने स्कीम दी है उस पर विचार चल रहा है कि इस स्कीम को किस तरह चलाया जाय, कहां चलाया जाय या कोई नई दवा ईजाद की जाय तो काम में ली जाय, कहां से वह लायी जाय। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है कि क्या मलेरिया पर अटेक करने का प्रोग्राम हाथ में लिया जाय। यह सही है कि मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। तीन चार साल से फेज प्रोग्राम, अटेक, मेन्टेनेन्स और कन्सोलिडेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मेन्टेनेन्स का एरिया कम से कम होता जा रहा है, और अटेक का फेज काफी बढ़ रहा है। मलेरिया का प्रकोप बढ़ने का कारण यह है कि डी. डी. टी. और बी. एच. सी. उतनी काम में नहीं आ रही है, जितनी आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक एक माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता पहले।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन है कि मच्छर जहां से पैदा होते हैं, इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय से भी व्यक्तिगत रूप में कई बार निवेदन किया, इस मामले में उपेक्षा बरती है। चार-पांच साल से भारत सरकार विचार कर रही है, राजस्थान सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। यहां मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, सैंकड़ों हजारों लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। मच्छरों के जो केन्द्र हैं, जहां मच्छर पैदा होते हैं, जहां गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं वहां पर तेल आदि को छिड़कने की व्यवस्था करने के बारे में मैं जानना चाहता हूं, राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा ··

श्री जान मोहम्मद खां (पिडावा) : सदरे मोतरिम, गवर्नमेंट पोस्टल ··

श्री अध्यक्ष : आपको वक्त बाद में दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि भरतपुर जिले का ऐसा बहुत हिस्सा हो सकता है। लेकिन आप जयपुर के बारे में क्या करने जा रहे हैं और जिलों में क्या करने जा रहे हैं। हर जगह से मलेरिया के फैलने की शिकायत आ रही है।

एक माननीय सदस्य : तीन दिन से बहुत मच्छर यहां इकट्ठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जान मोहम्मद खां ! मंत्री महोदय, सबका एक साथ जवाब दे दें।

श्री जान मोहम्मद खां : गवर्नमेंट होस्टल है, उसकी भी फिक्र सरकार को नहीं है। वहां पर डांस हैं, मच्छर हैं। मैं जानना चाहूंगा, उस पर क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्य नगरों के साथ जयपुर शहर में मच्छरों के प्रकोप के कारण मलेरिया ज्यादा फैल रहा है ? क्या यह भी सही है कि राजस्थान के अन्य नगर हैं वहां पर मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम आपने हाथ में लिया है वहां जयपुर के सम्बन्ध में केवल बीस हजार रख कर मलेरिया उन्मूलन करना चाहते हैं। ऐसा भेदभाव राजस्थान के दो नगरों में क्यों हो रहा है ?

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह विशेष शहरों के बारे में ही नहीं है, जयपुर कोटा वगैरह—इससे ज्यादा गम्भीर समस्या गांवों की है। गांवों में ही डी. डी. टी. का छिड़काव किया था तीन-चार साल पहले उससे काफी मच्छर हताहत हुए थे। और मच्छर मारने की योजना सफल रही थी। यह गांवों में चार-पांच साल से बन्द कर दिया इस कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत भारी रूप में हो गया है। शहरों के साथ में गांवों के बारे में क्या सोच रहे हैं, या शहरों के बारे में ही योजना बना रहे हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महादय से कि जो फेज चल रहा है उसमें जयपुर शहर में मच्छरों का अटेक फेज कब तक चलेगा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूंगा। क्या यह सही है यह सारा का सारा प्रकोप जिस प्रकार से तीन-चार से बढ़ा है, उसका कारण यह है कि राज्य सरकार और मलेरिया डिपार्टमैंट ने अपने रिकार्ड में यह घोषणा कर दी कि हमने मलेरिया का कम्प्लीट इरेडिकेशन कर दिया है। इसके कारण सारा का सारा मलेरिया इरेडिकेशन कार्यक्रम है वह बन्द कर दिया और मलेरिया के पेशेन्ट आते थे, वह मलेरिया से पीड़ित हैं इस प्रकार के प्रेस्क्रिपशन नहीं मिलता था। यह जान-बूझ कर घोषणा कर दी गई कि मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया। नम्बर 1 नम्बर 2, क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की अन्डरटेकिंग कमेटी ने यह मत दिया है कि जो डी. डी. टी. आपके पास भेजा जा रहा हे वह बिलो स्टेन्डर्ड है, सब स्टेन्डर्ड है। इस कारण मलेरिया उन्मूलन का असर नहीं हो रहा है, क्या यह सही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर, ऊंचे स्तर पर डी. डी. टी. मंगाने के बारे में क्या विचार करेगी ?

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को आज तक मच्छरों के प्रकोप के बारे में सूचना नहीं दी है। लोक सभा में यह प्रश्न उठा था तो यह कहा गया कि सूचना नहीं आयी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इरेडिकेट कर दिया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप यह बतलायें दिल्ली में मच्छर नहीं है, यहां कौनसी दवा का प्रयोग करते हैं ? यह दिल्ली प्रशासन से पूछा जाय। दूसरे, क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मच्छर हैं वह मलेरिया के मच्छर नहीं हैं, दूसरे मच्छर हैं ?

Page No 6

(6)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि पेस्टीसाइडस बनाने वाले सब स्टेण्डर्ड चीजें बना रहे हैं, यह असली बात है। जिस क्वालिटी की चीज मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है और कम्पनीज अधिक मुनाफा कमाने की नियत से सब स्टेण्डर्ड चीज दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी मच्छरों से परेशान हैं, यही प्रश्न है। आप भी कहें उसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सार तो एक ही है।

श्री किशोरीलाल (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के, खासतौर से पहाड़ी इलाके के लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। वहां पर कोई आपका घूमने वाला यूनिट नहीं और न दवाई छिड़कने वाला है। दो साल पहले कभी दवाई छिड़की गई थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि मच्छर डी. डी. टी. और बी. एस. ई. के रेजिसटेन्ट हो गये हैं और अब वह एक प्रतिशत से नहीं समाप्त होते। तो आप इन पेस्टीसाइडस को ज्यादा कन्सेन्ट्रेट रूप में छिड़केंगे तब जाकर इनका कोई असर होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या मनुष्यों को आप मच्छर रेजिसटेंट नहीं बना सकते ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां तक डी. डी. टी. और बी. एस. ई. के लो ग्रेड होने का प्रश्न है, वह तो हमें जो भारत सरकार से चीज सप्लाई होती है वह ही काम में लेते हैं। यह सही है कि अब इन दवाइयों का असर मच्छरों पर नहीं होता और यह असरकारक नहीं रही हैं : यह मैं स्वीकार करता हूं। इस बारे में सर्वे और यह इन्वेस्टीगेशन हो रहा है और पूरा सर्वे हो जाने के बाद ही और किसी पेस्टीसाइड का प्रयोग कर दिया जायेगा। उसके बाद निश्चित रूप से मच्छरों पर कन्ट्रोल कर पायेंगे।

श्री मीठालाल : गांवों में ......

श्री मोहनलाल छंगाणी : गांवों का जो सवाल है, हमारी 17 टीम्स बनी हुई हैं, वह जहां जहां पता लगता है उस गांव में जाते हैं, और फेज्ड अटेक में जिस जिस गांव में मलेरिया का प्रकोप होता है, वहां हमारे आदमी जाते हैं और छिड़काव भी करते हैं, लेकिन अब छिड़काव का असर नहीं रहा। दवाइयां भी घटिया क्वालिटी की हैं।

श्री मीठालाल : गांवो में कोई छिड़काव नहीं हो रहा है।

(शोरोगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : डी. डी. टी. असरदायक नहीं रही और दवाइयां भी असरकारक नहीं रही, यह तो मैं मन्जूर करता हूं और साइंटिस्ट्स मन्जूर करते हैं। कि डी. डी. टी. असरकारक नहीं रही। अब ऐसी कौनसी दवाई हो जिसका असर मच्छरों पर हो इसकी खोज में साइन्टिस्ट्स भी लगे हुए हैं। उनके प्रयत्न सफल होने पर ही कुछ हो सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यू पी. के चम्बल एरिया के और भरतपुर धौलपुर के मच्छर डी. डी. टी. और बी. एस. ई. रेसिस्टेंट हो चुके हैं। दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं परन्तु कोई असर नहीं होता।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : पहाड़ी क्षेत्रों में आपका कोई आदमी नहीं पहुंचता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह तो मैं नहीं मानता कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा कोई आदमी नहीं पहुंचता। जहां तक शहरों का सवाल है जयपुर के बारे में हमने लगातार भारत सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। पिछली बार हैल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फेरन्स हुई थी, तो वहां पर भी मैंने जयपुर का सवाल उठाया था। अभी भी जब माननीय करणसिंह जी यहां आये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जयपुर शहर को भी नेशनली स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत ले लिया जायेगा। नेशनली स्पोन्सर्ड स्कीम होने के नाते शहरों का चयन भारत सरकार करती है और जयपुर को उसके अन्तर्गत लेने की बात विचाराधीन है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत जयपुर भी इस साल आ जायेगा। उसके उपरान्त भी यह जो टेक्नीकल बातें हैं दवाइयों के असरकारक नहीं होने की; वह कहां तक सफल होती है, यह भी देखने की की बात है।

(शोरोगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : तत्काल राहत पहुंचाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : तत्काल राहत के लिए हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। जब तक जयपुर शहर नेशनली स्पोन्सर्ड स्कीम के तहत नहीं आ जाता, तब तक कोई तत्काल कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सारे मच्छरों को एकत्रित करके आपके बंगले भेज दिया जाये तब तो आप कार्यवाही करेंगे ?

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(शोरोगुल)

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत अहमियत का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर पर बहुत प्रकोप है मच्छरों का।

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मीठालाल !

लेवी की वसूली

3. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राज्य सरकार ऐसे कृषकों से भी लेवी वसूल कर रही है जिन्होंने अपनी कृषि भूमि पर गेहूं न बोकर गोजरा अथवा गोचनी बोई हो ?

(ख) क्या यह भी सही है कि ऐसे क्षेत्रों के कृषकों से लेवी में गोजरा व

Page No 8

(8)

(श्री मीठालाल मीणा)
गोचनी न लेकर गेहूं वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : राजस्थान गेहूं वसूली (उत्पादनों पर लेवी) आदेश, 1975 के खण्ड 3 (1) के अनुसार उन उत्पादकों द्वारा लेवी में गेहूं लेने का प्रावधान है जिन्होंने इस वर्ष में गेहूं अथवा अन्य रबी खाद्यान्न गेहूं के साथ मिश्रित रूप से बोया है।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने पहले सदन में उत्तर देकर सदन को गुमराह किया था कि गोचरे की भूमि से कोई वसूली नहीं की जायेगी। जिन किसानों ने गोचरा बोया है उनसे गेहूं की वसूली करें, यह कहां तक न्यायोचित है ? यदि गोचरा और गोचनी बोने वाले किसानों से वसूली करने की सरकार की योजना नहीं है तो जिन किसानों से वसूली की गई है, उन्हें आप मुआवजा देंगे ?

श्री शङ्करलाल : जहां जौ और गेहूं बोया गया है, वहां आप यह तो बतायें कि कितनी प्रतिशत गेहूं होने पर आप वसूली करेंगे। जहां गेहूं बिलकुल ही नहीं बोया गया है, वहां पर भी आप लेवी वसूल करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिन लोगों ने सीड मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत एन. एस. सी. के अनुसार गेहूं बोया है, उनसे भी लेवी लेने की कोई स्कीम है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिन खेतों में चना और गेहूं मिक्स्ड बोया जाता है, उनमें आप एस्टीमेट करते हैं कि कितनी जमीन पर चना बोया गया है और कितनी पर जौ बोया गया है और कितनी पर गेहूं बोया गया है ? ऐसा एस्टीमेट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो उसका क्या आधार है ?

एक माननीय सदस्य : जिन किसानों ने गेहूं बिल्कुल ही नहीं बोया और उनके खेतों पर आज भी अगर जाकर देखा जाये तो गेहूं नहीं मिलेगा, उनकी पूरी फसल सरसों की है, फिर भी पटवारी लोग उनसे वसूली कर रहे हैं, इसको आप बन्द करेंगे ?

श्री केशरीमल (ब्यावर) : यह जो लेवी वसूल की जा रही है उस लेवी के अन्दर उन लोगों से भी वसूली की जा रही है जिनको पानी नहीं दिया गया ? कई खेतों पर कुए हैं लेकिन अकाल के कारण कुओं में वहां पानी ही नहीं रहा। उन लोगों ने गेहूं बो तो दिया लेकिन पानी की कमी के कारण फसल नहीं हुई, तो उन लोगों से भी आप वैसे ही लेवी वसूल करेंगे जैसे कि अन्य लोगों से ?

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा जिले के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां कुछ लोगों ने गेहूं बोया भी है लेकिन वहां पर पानी की कमी होने के कारण फसलें सूख गई। पानी न मिलने के कारण वहां कटाई ही नहीं हो सकी। उन लोगों से भी आप लेवी वसूल कर रहे हैं, यह किस हिसाब से ? क्या मंत्री महोदय सोचेंगे कि जिनके यहां गेहूं बिल्कुल ही नहीं पका, उनसे वसूली न हो ? उनकी तो सारी मेहनत ही बेकार गई, तो उनको तो छूट देनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थासिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जिस किसान ने केवल दो बीघा जमीन पर गेहूं बोया और बाकी के बारह बीघों पर जो बोया, और पटवारी ने मौके पर जाकर सभी बीघों के लिये गेहूं लिख दिया गिरदावरी में, उस किसान की एप्लीकेशन लेकर कलेक्टर के पास गये कि जांच करवायें लेकिन उसका जवाब यह मिलता है कि कोई जांच नहीं करवाई जायेगी और गेहूं जमा कराने के बाद ही जांच कराई जायेगी, ऐसी हालत में क्या करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतने सारे सप्लीमेन्ट्री एक साथ नहीं पूछें तो ठीक रहेगा, इसके अलावा जहां तक हो सिर्फ पूरक प्रश्न ही पूछें उस प्रश्न पर भाषण नहीं दें। अगर आप लोग थोड़े-थोड़े सवाल पूछें तो आपके सवाल का जवाब भी आ जायेगा और आगे दूसरे सदस्यों को सवाल पूछने का मौका भी मिल जायेगा। वरना तो कई सदस्यों के सवाल बाकी रह जायेंगे।

(अश्रव्य-व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप एक-दो सप्लीमेन्ट्री पूछ कर ही बैठ जायं और थोड़े में पूछें तो ठीक रहेगा। इसके अलावा आप एक साथ बोलते हैं इससे सुनाई भी नहीं देता है और मन्त्री महोदय को भी इतने सवाल याद नहीं रहते हैं। इसलिये पूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र के समाप्ति के पहले दिन यहां पर सदन में माननीय मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट आश्वासन दे दिया था कि राजस्थान के पांच जिलों में जहां पर कि भयंकर अकाल की स्थिति है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तथा जालोर में स्थिति खराब अकाल की वजह से होने के कारण वहां पर लेवी की वसूली नहीं की जावेगी। लेकिन इसके विपरीत सत्र समाप्ति के दूसरे दिन ही मन्त्री महोदय ने सारे जिलों के कलेक्टर्स को बुला कर कॉन्फ्रेन्स की और सारे कलेक्टर्स को यह आदेश दे दिया कि सभी जिलों से लेवी वसूली की जायेगी। चाहे उन इलाकों में किसी प्रकार की फसल पैदा हुई है या नहीं। चाहे वहां पर भयंकर अकाल ही पड़ा हो। तो मन्त्री महोदय ने जा विधान सभा के प्रांगण पर जो आश्वासन दिया था कि राजस्थान के पांच जिलों में जहां अकाल की स्थिति है वहां लेवी वसूली नहीं होगी और बाद में अकाल क्षेत्र वाले जिलों से भी लेवी वसूली होगी। तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो सदन में आश्वासन दिया था उसको नहीं मान कर आपने सदन की मर्यादाओं को भंग नहीं किया क्या ? इसका उत्तर मन्त्री महोदय सदन में दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके बोलें। श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

राज्य सरकार ने जो लेवी वसूली के लिये सेन्टर्स कायम किये हैं वह ऐसे किये हैं जो कि लेवी देने वाले काश्तकारों के गांवों से कम से कम दस-दस मील से कम दूर नहीं हैं। इससे उन काश्तकारों को अपने गेहूं वहां लेजा कर देने में ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज भी प्रति क्विन्टल दो से लेकर चार-पांच रुपये तक देने पड़ जाते हैं इस प्रकार काश्तकारों का ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज काफी हो जाता है इसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि काश्तकारों को जो लेवी के सेन्टर्स तक अपने गेहूं पहुंचाने के जो आठ-दस क्विन्टल के पैसे देने पड़ते हैं वह नहीं देने पड़े।

श्री जवाहरमल (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय हमारे इलाके में पिछले दो-तीन सालों से भयंकर अकाल पड़ रहा है और वहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है तथा राज्य सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है वहां से लेवी वसूल नहीं की जायगी। लेकिन हमारे यहां पर भयंकर अकाल की स्थिति होने पर भी वहां पर लेवी वसूल की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने वहां पर आकर यह स्पष्ट बता दिया कि भयंकर अकाल की स्थिति हमारे यहां पर होने की वजह से वहां पर लेवी की वसूली नहीं की जावेगी। अब वहां पर लेवी वसूली की जा रही है तो हमारी वहां पर एम.एल.एज. की भद्दी लगती है। इसके अलावा जो लेवी लेने के सेन्टर्स रखे हुए हैं वह सेन्टर्स लेवी देने वाले काश्तकारों के क्षेत्रों से दस-दस मील दूरी पर हैं काश्तकार बेचारे दस-दस मील दूर लेवी का अनाज लेकर जाते हैं जिससे उनको दिक्कत बहुत होती है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सवाल ही पूछिये। भाषण मत दीजिये।

श्री जवाहरमल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है फसल बिल्कुल नहीं हुई कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और वहां पर जबरदस्ती लेवी वसूल की जा रही है। यहां विधान सभा में आश्वासन दिया लेवी वसूल नहीं करने का और बाद में घोषणा की गयी कि लेवी वसूल की जावेगी। इससे हमारी वहां पर काफी भद्दी लग रही है। यह क्या मखौल हो रहा है। लेवी वसूली का मना करके बाद में लेवी वसूल की जा रही है यह हम लोगों के साथ मखौल नहीं तो क्या है। इसके अलावा जो आपने लेवी लेने के सेन्टर्स इतने दूरी पर रखे हैं आठ-आठ, दस-दस मील उसके लिये आप लेवी वसूली के लिये आपको पंचायत सेन्टर पर लेवी लेनी चाहिये ताकि काश्तकारों को राहत मिले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें सभी को मौका मिलेगा। आप एक साथ इतने सवाल करते हैं मन्त्री महोदय को इतने सवाल एक साथ याद रखना भी मुश्किल होता है। साधारणतया दो-तीन पूरक प्रश्न पूछने पर मन्त्री महोदय जवाब दे दे उसके बाद में दूसरे सप्लीमेन्ट्री पूछने चाहियें। आप एक साथ बीस-बीस सवाल पूछ लेते हैं इसका परिणाम यह होता है कि कई सप्लीमेन्ट्रीज का जवाब नहीं आ पाता है इसलिये ....

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करिये। आप यह क्या कर रहे हैं ? मैं बोल रहा हूं और आप बोलने लग गये हैं। थोड़ी तो सदन की परम्पराओं का ध्यान रखिये। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको स्थान ग्रहण करना चाहिये। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रश्नों के लिये या तो मुझे कोई सीमा तय करनी पड़ेगी ताकि सभी माननीय सदस्यों के जवाब आ जायें अन्यथा तो गाड़ी कैसे चलेगी ? नहीं तो फिर जिस प्रकार गाड़ी चल रहा है वैसे ही चलेगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन दूसरे माननीय सदस्यों के भी तो जवाब आने चाहियें। इसलिये आप इसको ध्यान में रखें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब पिछला सत्र समाप्त होने जा रहा था तो मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इन क्षेत्रों में लेवी की वसूली नहीं की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में पूछिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) तो इस प्रकार राज्य सरकार ने अकाल का कन्सीडरेशन करके उन क्षेत्रों से लेवी लेना एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन आपने सत्र समाप्त होते ही दूसरे दिन घोषणा कर दी कि उन क्षेत्रों से भी लेवी वसूल की जायेगी। इसके लिये राज्य सरकार क्या उत्तर देना चाहती है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि लेवी की जो मात्रा रखी गयी है वह भरतपुर, अलवर में जहां पर कि प्रोडक्शन अधिक होता है और जालौर, बाड़मेर वगैरहा ऐसे जिले हैं जहां की प्रोडक्शन इन जिलों से कम होता है। जहां अलवर और भरतपुर जिलों में जो पैदावार होती है वह बाड़मेर, जालौर जिले के प्रोडक्शन से चार-पांच गुना अधिक होता है तो दोनों ही क्षेत्रों से बराबर की लेवी वसूली की मात्रा रखने का क्या कारण है। सभी जगह से समान लेवी वसूली करने का क्या कारण है इसका उत्तर राज्य सरकार क्या देना चाहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री उम्मेदीलाल !

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो हर तहसील क्षेत्र में लेवी लेने के सेन्टर पांच रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह भी अर्ज करूं कि हर तहसील में करीब 140 से लेकर 150. गाव होते हैं उसमें आपने जो पांच सेन्टर ही रखे हैं इससे काश्तकार को काफी दिक्कत आती है उसे दस-दस, पन्द्रह पद्रह मील तक अपना अनाज उठाकर, ले जाना पड़ता है जिससे काश्तकार काफी परेशान होते हैं इसलिये मेरा निवेदन है लेवी वसूली के सेन्टर पंचायत सर्किल पर रखने चाहियें। इससे काश्तकारों से काफी सुविधा हो सकती है और किसानों को सहूलियत रहेगी। अगर आप ऐसी व्यवस्था करें तो काफी काश्तकारों को राहत पहुंचेगी ऐसी मेरा भावना है इसलिए आप काश्तकारों की सहूलियत के लिये लेवी वसूला के सेन्टर हर पंचायत सर्किल पर होने चाहियें।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने ऐसे नियम लेवी वसूली के लिए बनाने हैं कि गेहूं के साथ अगर दूसरी फसल बोई गई हों तो उस पर लेवी नहीं ली जावेगी जैसे गेहूं के साथ जौ, चना वगैरहा काश्तकार ने बोया है उनसे आप लेवी कैसे वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा जहां पर गेहूं के अलावा जौ या चना बोया गया है और आप काश्तकार से लेवी वसूल कर रहे हैं तो आप काश्तकार से मिक्स्ड अनाज की लेवी नहीं लेकर सिर्फ गेहूं ही क्यों लेवी के रूप में लेते हैं। दूसरे अनाज क्यों नहीं लेते हैं दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जहां पर अकाल की स्थिति है वहां पर आप लेवी वसूली नहीं करने की घोषणा करके वहां पर लेवी कैसे वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा मिक्स्ड क्रोप जिन लोगों ने की है गेहूं के अलावा जो फसल बोई है उन लोगों को जो आपने छूट देने की घोषणा की थी वह छूट कहीं कहीं की जा रही है उनमें गेहूं ही वसूल क्यों किया जा रहा है यह कहां तक उचित है इसका राज्य सरकार उत्तर दे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्रश्नोत्तर काल में अगर तीन सप्लीमेन्ट्री ही पूछे जायें एक प्रश्न के तो उचित रहेगा वरना एक साथ दस-दस सप्लीमेन्ट्री करने से उत्तर भी नहीं आ पाता है इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि दो-तीन सप्लीमेन्ट्री के जवाब आने पर दूसरे पूछे जायं अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तब तो कुछ सार्थक होगा अन्यथा तो उत्तर आना मुश्किल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब तक जो सप्लीमेन्ट्री पूछ लिये गये हैं उनके उत्तर तो आ जाए तो ठीक रहेगा और उसके बाद में मन्त्री महोदय से और सप्लीमेन्ट्री कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है उसका भी उत्तर आ जाना चाहिये मेरा प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि आपने जो वसूली की व्यवस्था की है वह आप किस प्रकार करेंगे। क्या राज्य सरकार सोइंग क्रोप पर लेवी वसूली करेंगे या मैच्योर्ड क्रोप लेवी वसूल करेंगे। जो प्रोड्यूसर हैं, लेवी देने वाले हैं, उनके घरों से सेन्टर ज्यादा से ज्यादा कितने फासले पर होंगे ? क्या लिमिटेशन मुकर्रर की है ? सेन्टर कितना दूर होना चाहिये ? ज्यादा से ज्यादा किसान को कितनी दूर तक अनाज ले जाना चाहिये ? पेमेन्ट ऑन स्पॉट करेंगे या बाद में करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र रौत : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता था····

श्री अध्यक्ष : बाद में।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न वास्तव में यह था कि गेहूं के साथ चना, जौ बोया जाता है, उस पर लेवी लेने का प्रावधान है या नहीं ? लेवी का जो ऑर्डर है उसमें निश्चित मात्रा तक गेहूं का पर्सेन्टेज हो वह अलाऊ किया जाता है। भारत सरकार के आदेश हैं कि 6 पर्सेन्टेज से अधिक दूसरा अनाज हो तो वह गेहूं लेवी में नहीं लिया जाता है।

(श्री शिवचरण माथुर)

जयपुर में ट्रेडिशनली गेहूं के साथ में जौ, चना की खेती होती है। किसान बोता है वह इसके सम्बन्ध में लेवी की समस्या आई। जब इस पर विचार करने का सवाल आता है तो समस्या यह पैदा होती है कि इसका आधार क्या रखा जाय। गिरदावरी में दर्ज होता है वह प्रपोर्शन नहीं होता है। सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुलझाना चाहती है।

दूसरे प्रश्नों का जहां तक सम्बन्ध है कि गेहूं बोया ही नहीं और दर्ज कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे स्पेसिफिक मामले रखें तो उस विषय में कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : ग्रोन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जवाब दें, उससे पूर्व इन्टरवीन करने के लिए क्षमा चाहूं। पोलिसी निर्धारित होगी तब तक तो किसानों में बहुत बड़ा असन्तोष पैदा हो जावेगा। आप आज उनसे बेगार ले रहे हैं, इसको बेगार कहा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर इस पर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। वरना बड़ा असंतोष हो जावेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि इसको बेगार कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : बेगार नहीं तो और क्या है? दो-दो तीन-तीन तहसील-हैड-क्वार्टर पर अनाज नहीं ले रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : बेगार ही है। और क्या है?

श्री शिवचरण माथुर : सिद्धान्त रूप से जब लेवी पर विचार हुआ था तो इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया था इसको।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Not at the price। हमने उसको स्वीकार नहीं किया था। आपकी तरफ वालों ने स्वीकार किया, हमने स्वीकार नहीं किया था।

श्री शिवचरण माथुर : मैं लगातार बैठा रहा और सुनता रहा आपकी बात को। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी अर्थ व्यवस्था में और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबका है उसको सहूलियत देने के लिए निश्चित भावों पर ही, यह व्यवस्था बनायी गई है, लेवी लेनी पड़ेगी। मार्केट भावों के उतार चढ़ाव पर लेवी के गेहूं का भाव निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए कोई निश्चित भाव निर्धारित करने पड़ेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक स्थायी कमीशन बनाया हुआ है। प्रतिवर्ष वह सारी बातों में जाकर लेवी के भावों का निर्धारण करता है और उसके अनुसार ही लेवी उसी भाव पर ली जाती है।

जहां तक यह प्रश्न है कि गेहूं बोया ही नहीं और गेहूं लेवी में लिया जाता है उसके लिये निवेदन करूंगा कि उसके लिए निश्चित रूप से फैसला करना चाहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : कौन फैसला करेगा? हजारों केसेज ऐसे हैं।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के लिये घोषणा की थी और उसको वापिस ले लिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : स्पेसिफिक उदाहरण दिया जाय ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकार के पास पेन्डिंग केसेज पड़े हुए में कि गेहूं नहीं बोया है, फिर भी लेवी ली जा रही है।

एक माननीय सदस्य : पंचायत बोर्ड को दे दिये जांय।

श्री शिवचरण माथुर : गलत दर्ज हुआ है तो कलेक्टर मौके पर देख कर तय कर दे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गिरफ्तारियां करते हैं, औरतों पर लाठी चार्ज करते हैं और जेबों में रखते हैं। सारे राजस्थान में इसके लिए हाहाकार हो रहा है।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : राज्य सरकार तहसीलदार तक के अधिकारी को अधिकृत कर देगी कि गेहूं की कहीं बुआई नहीं हुई है और गेहूं का इन्द्राज किया गया है तो उसके साथ में वसूली नहीं की जावेगी जब तक यह साबित न हो जावे कि दरअसल में वह झूठ बोल रहा है। एक चीज।

एक प्रश्न यह पैदा हुआ कि प्रोड्यूस के ऊपर लेना चाहते हैं लेवी या सोइंग पर लेना चाहते हैं। अन्दाजा सोइंग पर एस्टीमेट करके किया गया है। खराबे के लिए अधिकृत कर दिया गया है लोएस्ट लेवल तक के अधिकारियों को कि यदि पैदावार नहीं हुई है तो बड़े पैमाने पर रेमिशन दे सकते है।

गोचनी और गोचरी के बारे में, जयपुर में यह ज्यादा है, कल ही डिस्कस किया है और आज इसको फिर डिस्कस करके तय करेंगे, भरतपुर वाले बड़े मजे में हैं, गेहूं ही गेहूं वहां। एक फैसला करके, किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है कि गोचनी और गोचरी के बदले गेहूं देवे ही। उसका फैसला आज हो जावेगा।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न। श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : प्रश्न संख्या 4

कई माननीय सदस्य : आपने फरमाया था इसलिये हमने सप्लीमेन्टरी पूछे ही नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कहा था जैसलमेर, जोधपुर, बाडमेर बीकानेर के बारे में यह तय कर दिया है कि लेवी नहीं ली जावेगी और वहां अब लेवी ली जा रही है।

श्री हरिदेव जोशी : जोधपुर, जैसलमेर बाडमेर, चुरू, बीकानेर वगैरह के बाबत में कुछ मित्रों ने एतराज किया था। जैसे पाली जिला है। उसके अन्दर जैसी पैदावार हुई है वैसी ही पैदावार पडौसी जोधपुर वगैरा के अन्दर हुई है, जालार

(श्री हरिदेव जोशी)
में वसूली की जाय, वहां के लिए शिकायतें श्रायी हैं लिखित में इसलिए फैसला किया था कि जहां पैदावार हुई है वहां पर लेवी ली जानी चाहिये जहां पर पैदावार नहीं हुई है वहां तो गवर्नमैंट को प्रोक्योरमैंट ही मंहगा पड़ता है। ट्रान्सपोर्टेशन श्रादि बातों का सवाल कलेक्टर को कहा गया है कि विवेक से काम ले।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर ! नेक्स्ट !

(शोरगुल, व्यवधान)

जन स्वास्थ्य मंत्री जी। जन स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री दीपंकर : प्रश्न सं. चार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया है।

लाडनूं क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

4. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र के गांव कणवाई, गणेशपुरा (कसाइयों की ढाणी) रिडमलास, तथा ध्याना गांव में खारा पानी पीने से अब तक कितने जानवर कितनी कीमत के मर चुके है ? तथा इस प्रकार की मौतों से जानवरों को बचाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों में जल योजना से पानी दिये जाने की योजना बनी पड़ी है वहां भी विजली का बहाना बनाकर पानी नही दिया जा रहा है और कर्मचारी समय पर बेरों पर काम नहीं करते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव मीटडी, लेडी ध्यावा आदि गांवों में बनी पानी की टंकियां फूटी पड़ी हैं। जिससे लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है ? अगर हां, तो ऐसी टंकियों की मरम्मत करवाने का राज्य सरकार का विचार कब तक है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल वैद) : (1) इस विषय में विभाग को जानकारी नहीं है। पेय जल समस्या वाले ग्रामों की विभाग जल प्रदाय योजनायें बना रहा है। प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से ग्राम ध्यावा में जल प्रदाय योजना चालू है अन्य ग्रामों की नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेंगी।

(2) प्रश्न में विशिष्ट योजनाओं का नाम नहीं दिया गया है अतः निश्चित जवाब देना सम्भव नहीं।

(3) ग्राम ध्यावा व लेड़ी की टंकियां ठीक बनी हैं व ग्राम मीठडी की टंकी में लीकेज पाया गया था अतः हरिजन वस्ती में दूसरी टंकी बना कर मीठडी में जल व्यवस्था चालू कर दी गई है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि

(श्री दीपंकर)

प्रश्न नं. एक की उन्हें जानकारी नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है कि खारी पट्टी में प्रति वर्ष जहां काश्तकार के पास और कोई अगर दूसरा धन्धा है तो वह पशु पालन का है और हजारों की तादाद में है और राज्य सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर सकी तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाके का सर्वे करायें जहां खारी पट्टी है और उसका पानी पीने से मवेशी मरते हैं। जिस तरह मनुष्यों को मीठा पानी पीने को पहुंचाया जाय उसी प्रकार पशुओं के लिये भी मीठे पानी की व्यवस्था की जाय। वे अपने विभाग से यदि चाहें तो रेवेन्यू विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं। नम्बर 2 यह स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है और दरअसल में बताई जाय कि कौन कौन सी स्कीमें वहां चालू है। उन स्कीमों में चाहे लाडनूं से गरवासी मीठडी की हो चाहे कोलिया की हो चाहे मण्डारू की हो और चाहे लरासी की हो जो पानी दिया जाता है या दिया जा रहा है क्या रिकार्ड में सावित है। वहां के कर्मचारी सिनेमा देखने जाते हैं और समय पर काम नहीं करते हैं और बहाना यह बनाते हैं कि बिजली नहीं पहुंती है इसलिये पानी बन्द है। सर्दियों में पानी मिलता है और गर्मियों में पानी नहीं मिलता है इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत उनके नोटिस में यह लाना चाह रहा हूं कि जो कर्मचारी लापरवाही करते है उसको दूर करने की कोशिश करें अन्न के बिना तो रह सकता है मनुष्य, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है। नम्बर 3,

श्री अध्यक्ष : यह आपका पूरक प्रश्न न होकर पूरक भाषण है और भी प्रश्न है पूरक प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि नम्बर 1 में उनको जानकारी नहीं है इसलिये मैंने जानकारी दी है। जो टंकियों का सवाल है उसमें एक टंकी का ही इनकी नजर में लीकेज है। ग्राम लेड़ी में एक टंकी है और भी टंकियां है जिसमें 50 पर्सेन्ट चन्दा दिया है फिर भी उन टंकियों को लीकेज नही रुका है। आपका गरवासी में नहीं रुका है। कई ग्रामों में जो टंकियां बनाई हैं ठेकेदारों ने वह फूटी पड़ी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि गर्मियों में पानी की व्यवस्था करें। मैं ऐसा आश्वासन चाहता हूं, ऐसा मंत्री महोदय आश्वासन दें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न के तीनों अंगों का जवाब दिया है पहले नम्बर में मैंने यह कहा है कि विभाग को जानकारी नहीं है कि कितने पशु थे, कितने मरे हैं—कितने ग्रामों में पशु मरे हैं और किस किस कीमत के मरे हैं। पी. एच. डी. विभाग यह जानकारी नहीं रखता है। यह ठीक है कि राजस्थान में कई कुएं ऐसे हैं जिनका पानी अधिक पी जाय तो पशु मर जाते हैं लेकिन पी.एच डी. के पास सब ग्रामों की फहरिस्त नहीं है इसलिये मैं यह बताने में असमर्थ हूं। दूसरी बात आपने यह कही कि कई ग्रामों में जल प्रदाय योजना बनी हुई है लेकिन बिजली विभाग के अधिकारीगण कह देते है कि बिजली नहीं आई इसलिये मैंने कहा स्पेसिफिक योजना का नाम बतायें कि किस

(श्री चन्दनमल बैद)
किस जगह हमारी योजनायें चालू हैं और किस अधिकारी ने यह कहा है क्योंकि यह आपका जनरल क्वेश्चन है। जब तक स्पेसिफिक योजना का नाम नहीं बतायेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरे, टंकियों के बारे में पूछा है तो मैंने बताया है ग्राम लेड़ी ध्यावा और मीठडी में लीकेज था और उस ठेकेदार का पेमेन्ट रुका हुआ पड़ा है। एक बात यह कही गई है लाडनूं में पानी बन्द है मैं खुद गया हूं और वहां पानी चालू है। लाडनूं से छापर पानी मिल रहा है और भी दूसरे स्थानों को पानी मिल रहा है इसलिये यह मैं यह बात भी नहीं मान सकता हूं........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह !

श्री दीपंकर : जब आप पधार जाते हैं तब पानी मिलता है इसका मतलब यह नहीं है कि पानी हमेशा मिलता है....

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी !

पटवार ट्रेनिंग पास व्यक्तियों को नौकरी

5. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में कितने पटवार ट्रेनिंग पास व्यक्ति अभी तक नौकरी पर नहीं लगाये गये हैं ? कृपया नामों की सूची मय वल्दियत व सकूनत तथा पटवार परीक्षा पास करने के वर्ष दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पटवार ट्रेनिंग पास व्यक्तियों में से जनवरी 1973 से आज तक किस किस जिले में किन किन व्यक्तियों को नौकरियां दे दी गई हैं ?

राज्य मन्त्री राजस्व : (श्री मूलचन्द) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न से सम्बन्धित इनफारमेशन अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है इसलिये इसको स्थगित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। श्री भानुकुमार शास्त्री !

दौसा बुनकर सहकारी संघ लि.

6. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा बुनकर सहकारी संघ लि. दौसा का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ! तथा इस संघ में सर्व प्रथम कितने सदस्य थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त संघ की कार्यकारिणी के कितने बार चुनाव हुए ? तिथि व कार्यकारिणी के सदस्यगण की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संघ के अध्यक्ष का चुनाव होता है या नामजदगी की जाती है। इसके उप नियम की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संघ के कब कब ऑडिट हुए तथा अन्तिम आडिट कब हुआ ? अब तक हुए ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(5) उक्त संघ ने कहां कहां से कब कब कितनी कितनी राशि ऋण अथवा

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
अनुदान के रूप में प्राप्त की और उसका कब कब किस कि.स के आदेश से कितनी कितनी राशि का उपयोग किया गया।

(6) उक्त संघ के कुल सदस्यगण की हिस्सा पूंजी कितनी है? कृपया सदस्य व संख्या हिस्सेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय सात हजार का गबन है। पहले भी पूरे सत्र में जवाब नहीं दिया गया और हर बार जवाब को टाल दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय इम्पोरटेंट प्रश्न है। गबन और घोटाले का मामला है ......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया तो फिर आप बोलते क्यों है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : (अश्रव्य)....

पूरे सत्र में इसका जवाब नहीं आने दिया ......

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इस सत्र में जवाब दे दिया जायगा, यह बता दीजिये

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 7, श्री माला राम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुडी !

कोढ़ से पीड़ित रोगी

8. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कोढ़ से पीड़ित रोगियों की कितनी संख्या है एवं क्या किसी क्षेत्र या गांव में ऐसे रोगी ज्यादा हैं ?

(2) ग्राम ऊंचाइडा तहसील जायल में कोढ़ से पीड़ित रोगी ज्यादा क्यों है और यहां किन किन कारणों से यह रोग फैल रहा है ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) ताजा सर्वेक्षण के आधार पर इस जिले में 298 व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित पाये गये हैं निम्न गांवों में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या और क्षेत्रों से अधिक पाई गई है:—

गांव का नाम	रोगियों की संख्या
लाडनूं	22
ऊंचाईड़ा	14
खोखरी	10
छेह	9
सियाल	9
फरोड	8
छाजोली	7
डुगस्ता	7

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) शिक्षा के अभाव में यहां के लोग रोगी को छुपाते हैं तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उसे अलग नहीं रखते। वहां के लोगों की मान्यता है कि यह रोग पैतृक है। कुष्ठ रोग के पुराने संक्रामक रोगियों के सम्पर्क में अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के आने के कारण रोगियों की संख्या बढ़ती है।

श्री रामसिंह कुड़ी : राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार की तरफ से जितने कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र है वह भारत सरकार की योजना है और उसके अन्दर राजस्थान में इस वक्त 35 सर्वेक्षण केन्द्र चालू हैं जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है, शिक्षा दी जाती है और साथ साथ ट्रीटमैंट भी किया जाता है। इन 35 केन्द्रों के अन्तर्गत लगभग 17-18 जिले कवर हो चुके हैं और प्रत्येक केन्द्र में ट्रीटमैंट का कार्यक्रम जारी है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं लाडनूं की जो संख्या बताई है वह प्रॉपर लाडनूं की है या पूरी तहसील का है अगर आप पूरा सर्वेक्षण करेंगे तो यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने जो संख्या बताई है वह प्रॉपर लाडनूं की है लेकिन अध्यक्ष महोदय जो 35 सर्वेक्षण केन्द्र चलते हैं वह इससे अधिक है।

श्री दीपंकर : उनकी भी व्यवस्था करायें।

श्री रामसिंह कुड़ी : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागौर जिले में ये केन्द्र कहां कहां हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नागौर जिले में खीमसर, भीमसर, मोलासर आदि कई स्थानों पर है.......

श्री रामसिंह कुडी : ये तो प्रा. हैल्थ सेन्टर के नाम बताये हैं.......

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय जो कार्यकर्त्ता हैं वे उस यूनिट में घूमते हैं और जगह जगह जाकर इस बात की शिक्षा देते हैं तथा ट्रीटमैंट भी करते हैं और सर्वेक्षण करते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : जो भारत सरकार के बारे में निवेदन किया तो यह लापरवाही क्यों बरती जा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय जो 35 प्रशिक्षण केन्द्र हैं और उनमें जो कार्यकर्त्ता हैं वे ट्रेन्ड हैं और इसमें काम करते हैं.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला !

बेरोजगारों की संख्या

9. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान में बेरोजगारों की परिभाषा निर्धारित कर दी गई है ? यदि हां, तो वह परिभाषा क्या है और उसके अन्तर्गत राज्य में बेरोजगारों की संख्या क्या

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
है ? कृपया विभिन्न श्रेणी के बेरोजगारों की संख्या पृथक पृथक बताएं ।

राज्य मंत्री, श्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं । बेरोजगार की परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है किन्तु जो व्यक्ति अपने नाम राज्य में स्थापित नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत करवा लेते हैं बेरोजगार कहलाते है । ऐसे बेरोजगारों की सं. दिसम्बर, 1974 तक 2,29,212 है जिसकी सूची साथ में दी हुई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : बेरोजगार की परिभाषा निर्धारित क्यों नहीं की जा रही है ? क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल सेम्पल सर्वे मेनुअल बना हुआ है उसमें भी इस प्रकार की कोई परिभाषा कायम की हुई नहीं है और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई ऐसी परिभाषा नहीं बनाई है लेकिन जो व्यक्ति कतइ तौर पर अनएम्पलॉयड़ हैं अथवा अण्डर एम्पलॉयड है उन दोनों को ही अनएम्पलॉयड मानकर एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम दर्ज किया जाता है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहती हूं । माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि जो एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम दर्ज कराते हैं वह वे कराते हैं जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उन बेरोजगारों के सम्बन्ध में क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इल्लिट्रेट हैं ? देहातों में जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो अण्डरएम्पलॉयड हैं उनके भी नाम एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में दर्ज किये जाते हैं तो आप बताये कि आज तक किसी भी जगह ऐसे अण्डर एम्पलॉयड लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अपने को अण्डर एम्पलॉयड बताकर आपना नाम दर्ज कराने आता है उनसे पूछा जाता है कि वह किसी जगह काम कर रहा है या नहीं । जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं फलां जगह काम रहा हूं और वहां तनख्वाह बहुत कम है और बेटर एम्पलॉयमेन्ट चाहता है तो उसका अण्डर एम्पलायड ही माना जाता है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स बेरोजगारों के लिए पैसा दिया और इस शर्त पर दिया कि राजस्थान सरकार निश्चित समय पर इनको रोजगार उपलब्ध करा देगा और इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है तो क्या राज्य सरकार गंभीरता से निश्चित रूप से इनको शीघ्र ही एम्पलॉयमेन्ट देने के बारे में विचारकर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप 1975-76 में जो बेरोजगार डॉक्टर्स हैं उनके लिए सरकार ने 8 लाख रुपये का प्रावधान रखा है बेरोजगार भत्ता देने के लिये क्या यह सही है ?

श्री रामकिशन : एक तो आपने फर्माया कि जिनकी बेटर पे नहीं है और वह दुबारा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको अण्डर एम्पलायड मानते हैं। मैं कहता हूं कि यह कहना बिल्कुल गलत है। अण्डर एम्पलॉयड वह है जो कि गरीबी की रेखा के नीचे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या हैं उसको देखते हुए क्या राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि बेरोजगारी को मिटाने का जो हमने लक्ष्य रखा है तो हम जांच करायें कि हमारे पास में कितने बेरोजगारों की सही संख्या है ?

श्री **केदारनाथ** : मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी ओर से एजेन्सी क्रियेट करके जो देहातों में बेरोजगार हैं उनके सही आंकड़े इकट्ठे करे। आपके जो आंकड़े हैं अनएम्पलॉयमेंन्ट के उनको नेशनल सेम्पल सर्वे ने कान्ट्रेक्ट किया है। उन्होंने बेरोजगारों की संख्या 4 लाख बताई है और आपने 2 लाख बताई है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि नेशनल सेम्पल सर्वे ने जो सर्वे किया और 4 लाख बेराजगारों की संख्या बताई उसका आधार क्या था ? एक तो यह जानना चाहता हूं और दूसरी तरफ हम यह बात कहते हैं कि राजस्थान में यहां की पापुलेशन 26 पर्सेन्ट बिलो दी पावर्टी लाइन है। इसका मतलब यह है कि जिनकी 30 रुपये मासिक से कम आमदनी है वह बिलो दी पावर्टी लाइन है। मेरा जो कहने का अर्थ है वह यह है नेशनल सेम्पल सर्वे का रिकार्ड भी गलत है और आपको जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट है उसके अनुसार भी हजारों और लाखों की संख्या में बेरोजगार होंगे उनके बारे में आपकी क्या योजना है ? आप उनके बारे में क्या करना चाहते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न पूछा गया है सही माने में बहुत ही व्यापक प्रश्न है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और प्रोफेसर केदारनाथ ने·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आज्ञा दें तो एक प्रश्न पूछ लूं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक पूछ लें लेकिन अनेक मत पूछिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही पूछूंगा आपकी कृपा चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप पचासों तरह के सर्वे कराते हैं जॉब्स सर्वे कराते हैं और दूसरे सर्वे कराते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर बेरोजगारों को सर्वे कराने में आपको क्या दिक्कत है ? जब गांवों में जगह जगह आपके और कई प्रकार के सर्वे होते हैं, सेम्पल सर्वेकराते हैं, रेन्डम सर्वे कराते हैं, जनगणना होती है तो आप किसी बेस के ऊपर मेथेमेटिक्स बता सकते हैं। एप्रोक्सीमेटली बता हैं ? आप क्यों सकते हैं कि आपके कुल बेरोजगार कितने कतराते हैं बताने में ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लेता हूं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब एक का भी नहीं आयेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बताने का कष्ट करें कि 27 वर्ष के पश्चात् भी आप

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
बेरोजगारों की संख्या और परिभाषा कि किस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाये यह बताने में भी आप सक्षम नहीं हुए – क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आप लगातार उपेक्षा करते जा रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आप क्या इस बात का संकेत देंगे कि जो वास्तविक बेरोजगार हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाते हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि सारे बेरोजगार लोगों में से अधिक से अधिक 10 प्रतिशत से अधिक लोग अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाते हैं ? और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपने अपने उत्तर में बताया कि अण्डर-एम्पलॉयड व्यक्ति भी बेरोजगार की डेफीनेशन में आता है और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में उसका भी नाम रजिस्टर किया जाता है – मैं कहना चाहता हूं कि एक भी अण्डर-एम्पलॉयड व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में रजिस्टर नहीं कराया गया। जहां यह आ गया कि ऑलरेडी एम्पलॉयड है तो उसके कार्ड को कभी फारवर्ड नहीं किया जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे यहां यही काइटेरिया है कि जो लाइव रजिस्टर में दर्ज हुए उनको बेरोजगार माना जाता हैं। उसका काइटेरिया फिक्सड है लेकिन यहां जो प्रश्न है वह काफी व्यापक प्रश्न है और इतना व्यापक प्रश्न है कि यह प्रश्न काल भी पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन हम अनएम्पलॉयड किस को मानें इसके लिए नेशनल सेम्पल सर्वे ने सर्वे किया और एक काइटेरिया फिक्स किया जो कि टाइम काइटेरिया था। नेशनल सेम्पल सर्वे वाले जगह जगह गये और रेफरेन्स वीक, या रेफरेन्स मन्थ रखा है उसको यह देखा कि व्यक्ति दो दिन अनएम्पलॉयड है या तीन दिन अनएम्पलॉयड है। दूसरा इनकम काइटेरिया रहा। जो दांडेकर और रथ अर्थशास्त्री हुए उन्होंने इनकम काइटेरिया के आधार पर अनएम्पालॉयड और एम्पलॉयड का व्याख्या की। अगर मिनिमम कन्जम्प्शन लेवल से आमदनी कम है तो उसको किस तरह से बढ़ाया जायेगा तीसरा काइटेरिया रखा गया वह था विलिंगनेस काइटेरिया था जिसकी विषद चर्चा यहां हाती है। अगला-काइटेरिया है जिसको अर्थशास्त्री गुन्नार और मिरडल ने रखा और वह प्रॉडक्टिविटी काइटेरिया है तो अनएम्पलॉयड किस को माना जाये। प्राडक्टिविटी के आधार के ऊपर मान लें कि एक मन गेहूं पैदा करने में आपको दस आदमी चाहिए और जिसके पैदा करने में अभी 20 आदमी काम में आते है, अगर 20 परसेन्ट आदमी खेतीबाड़ी में से हटा दिये जायें तो भी हमारी प्रॉडक्टिविटी नहीं घटेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अभी तक सारे विचारवेत्ता और अर्थशास्त्री यह तय नहीं कर पाये हैं कि किस को अनएम्पलॉयड माना जाये इसलिए सर्वे के आधार पर जिस तरह के बनने चाहिए नहीं बन पाये हैं। जब भी बन पायेंगे उसके आधार पर ही सर्वे कर पायेंगे। अभी यही काइटेरिया है कि जो अनएम्पलॉयड रजिस्टर्ड हैं वही अनएम्पलॉयड माने जायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि राजस्थान में 60 परसेन्ट लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन है ? क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि यह बिलो दी

(श्री लक्ष्मणसिंह)
पॉवर्टी लाइन की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है ? क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि यह संख्या घट रही है या बढ़ रही है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय महारावल साहब ने प्रश्न उठाया वह एक एकेडेमिक प्रश्न है बहुत बड़ा.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सीधा जवाब दो ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सही हैं कि 60 परसेन्ट या 50 परसेन्ट बिलो दी पॉवर्टी लाइन हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : आप इसको एकेडेमिक कैसे कहते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : एकेडेमिक इसलिए है कि 60 परसेन्ट के नीचे हैं । यह प्योरली एकेडेमिक प्रश्न है । परिभाषा के लिए दो राय हो सकता हैं लेकिन यह सही है कि गरीबी अत्यन्त भयंकर रूप से राजस्थान में और सारे भारतवर्ष में मौजूद है और गइसी रा.बी का हटाने के लिए हम सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टमैंट बढेगा, एम्पलॉयमैंट पौटेंशल बढेगा पॉवर्टी लाईन नीचे खिचेगी । अब यह कितनी इसमें है यह अलग 2 राय हो सकती हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीबी बढ रही है यह बात तो स्वीकार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मोर देन सिक्स्टी परसेंट हैं पॉवर्टी लाईन से नीचे ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कपिल अस्पताल की एक्स-रे की मशीन

7. श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना के कपिल हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त मशीन को सुधारने के लिये कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? अगर हां, तो कब ?

(3) अब तक उक्त मशीन के ठीक न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । माह मई 1971 से ।

(2) मई 1971 में ही विभाग द्वारा उक्त मशीन को ठीक करवाने के लिये फर्म को लिख दिया गया था ।

(3) फर्म द्वारा उक्त मशीन की मरम्मत में विलम्ब हो रहा है ।

Page No 24

(२५)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा की ओर से स्माल स्केल कारखाना यूनियन के अध्यक्ष की भूख हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न होने के विषय में,

(2) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में सिद्धमुख व नोहर नहर के लिए सरहिन्द फीडर से पानी देने के बारे में राजस्थान और पंजाब सिंचाई मंत्री में कोई फैसला न होने के विषय में,

(3) श्री रतीराम यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर जिले में भ्रष्टाचारी अधिकारियों को निलम्बित न करने के विषय में,

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के कई नगरों विशेष कर जयपुर में पानी की सप्लाई पर्याप्त न होने के विषय में,

(5) श्री मनोहर लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 16 अप्रेल को ग्राम विलोद अभयपुर में 200 परिवारों के घर जल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(6) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 4 अप्रेल को श्री रामकुमार सपोटरा सदस्य विधान सभा के कमरे में एक डाकू की गिरफ्तारी के विषय में,

(7) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से लेवी के रूप में गोजरा व गोचनी की वसूली के विषय में,

(8) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से एस. डी. कॉलिज और गवर्नमेन्ट कॉलिज, श्रीगंगानगर के छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में,

(9) सर्वश्री गुमानमल लोढा, योगेन्द्रनाथ हांडा, मोहम्मद गफ्फारअली व मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान लघु उद्योग निगम के जोधपुर कार्यालय में गत माह कुछ व्यक्तियों को अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े जाने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(10) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से ब्यावर तहसील में अकाल की स्थिति के विषय में। इस प्रश्न को माननीय सदस्य इसी सत्र में अकाल पर होने वाली बहस के समय उठा सकेंगे।

(11) श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 10 अप्रेल को तहसीलदार, पदमपुरा द्वारा एक किसान की भूमि के रेकार्ड को दर्ज कर देने के बाद भी काट देने के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है,

अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने जो एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है वह मामला बड़ा गंभीर है। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में करौली के एस. पी. ने अपना एक वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा कि डाकुओं को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है और हम शीघ्र ही उनको जो सरपंच या और कोई विशेष राजनैतिक प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि हैं, हम उनको पकड़ने में सफल हो जायेंगे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

यह माननीय सदस्य का जो स्थगन प्रस्ताव है, मेरा एक स्पेसिफिक मोशन है इस बारे में। मैं यह जानना चाहूंगा कि उस स्पेसिफिक मोशन पर चर्चा हो रही है और इजाजत देने के लिए आपने मन बना लिया है तो उस ढंग से चर्चा करें। आपने इसकी जानकारी चाही है और उस पर भी सरकार से जानकारी चाही है, लेकिन यह इतना गंभीर मामला है कि मोशन पर हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से विशेष जवाब आए, सरकार कोई राय बना पाये।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस मामले में मेरी सलाह माने तो आपका जो मोशन है उस पर भी और आपका स्थगन प्रस्ताव है उस पर भी, दोनों ही को जानकारी के लिए भेजा है लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपके दोनों ही मामलों पर गवर्नमेंट से बात करके, यह सदन स्थगित हो उससे पहले उस पर कुछ बातचीत हो जाय, ऐसा मेरा प्रयत्न होगा।

श्री रामकिशन : सदन में ही चर्चा होगी?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें कह देना चाहता हूं।

श्री रामकिशन : यहां सदन में ही चर्चा होगी?

श्री अध्यक्ष : सदन ही की बात है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इस पर विशेष नहीं कह कर यह बात ही कह देना चाहता हूं कि इसमें तीन, चार पाइन्ट्स हैं जो और आ जायं इसलिए उनको निवेदन करना आवश्यक है। एक बात तो..........

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित में सभी आ जायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दो-तीन बातें निवेदन कर देता हूं। एक तो यह कि जो डाकू पकड़ा गया उसके बारे में माननीय सदस्य का वक्तव्य है कि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। मेरा यह कहना है कि यह उनका ड्राईवर रहा है। 67 में उनके चुनाव प्रचार का एजेंट रहा है और उनके चुनाव के लिए धन संग्रह किया है और उसके साथ 2 यहां पर विधायक निवास में वे तीन-चार दिन पहले आया था किसी बन्दूक को खरीदने के लिए और उसमें विधायक सहायता कर रहे थे। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों से यह कहना पड़ता है कि यही डाकू एक स्थान पर पुलिस की आर ए. सी. के साथ मुठभेड़ में लड़ कर अपने को बचाने के लिए यहां पर आकर जयपुर में शरण ली है। मेरा यह कहना है

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

अध्यक्ष महोदय, यहां सरकार वक्तव्य दे, उस समय क्योंकि मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस स्थगन प्रस्ताव में ये स्पेसिफाइड एलीगेशन्स स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन में डिस्कशन करने से पहले राज्य सरकार पहले सारे विषय पर अपनी पूरी जानकारी ले आए, ऐसा न हो कि सदन में जिस समय विचार हो, हमारे मंत्री महोदय खड़े होकर यह कहने का साहस करें कि जानकारी उनके पास नहीं है, इस तरह से नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस विषय में अपना स्पष्ट वक्तव्य दे और वक्तव्य देने के साथ 2 इसका स्पष्टीकरण भी कर दे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय ··

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय ··

श्री मोहरसिंह : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह मजदूरों के साथ दिन-रात मिल मालिकों की तरफ से बढ़ते जा रहे अन्याय के बरखिलाफ है। अभी 2 माननीय सदस्य श्री श्रीराम जी गोटे वाला का प्रश्न बेरोजगारी से ताल्लुक रखने वाला था। इधर हम समाजवाद के नक्शे कदम पर चलने का नारा लगायें और अध्यक्ष महोदय, इधर दिन रात बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को हल करना तो दूर रहा लेकिन प्रान्त में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में मिलों के मालिक क्लोजर करें, छंटनी करें, ले ऑफ करें और मजदूरों को प्रभावित करें, कारखानों से कारखाने बन्द कर दिये जावें और मजदूरों को उसमें से जगह 2 छंटनी कर दें, उनको ले ऑफ पर बैठा कर पूरी तरह से परेशान होना पड़े और उस पर सरकार ध्यान दे। मजदूरों का आन्दोलन करना पड़े, मजदूर यूनियनों की तरफ से भूख हड़ताल की जावे। अभी 2 जैसा आया था कि हमारे कामरेड गुप्ता ने 13 दिन की भूख हड़ताल की।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिए।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : 13 दिन की भूख हड़ताल पर मुख्य मंत्री सीटू के कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने वचन दिया कि जितनी लेबर कमिश्नर को मौजूदा कानून के अण्डर में जितनी उनकी पावर्स हैं उसके अण्डर में वह इस समस्या को हल करेंगे और अभी तक की जो स्थिति है वह मैं मंत्रिमण्डल के सामने रख दूंगा और उसके अलावा दूसरे कानून मजदूरों को राहत देने के लिए बनाने पड़े तो मैं मंत्रिमण्डल में इस पर विचार करूंगा। इस प्रकार का वक्तव्य मुख्य मंत्री महोदय ने 23 तारीख को दिया और 23 तारीख से अब तक 15-16 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इतने मजदूरों को बेरोजगार बनाया गया है उनके ज्यादातर आंकड़े सदन में रखूं तो सदन का बहुत सारा समय लगेगा। अकेले किशनगढ़ के अन्दर····

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में कहें।

श्री मोहरसिंह : बहुत थोड़े में कह रहा हूं लेकिन अहम प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : अहम तो है लेकिन····

श्री मोहरसिंह : आपको समय देना चाहिये। 5,218 मजदूर अकेले किशनगढ़ में बेरोजगार बना दिए गए हैं और सिमको भरतपुर में 548 मजदूर बेरोजगार किए गए हैं। इसी तरह से यहां जयपुर के अन्दर 1,800 परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया। इसी तरह से एडवर्ड मिल्स ब्यावर, कृष्णा मिल्स ब्यावर महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर इनके अन्दर भी 1,400 के करीब मजदूर बेरोजगार बना दिए गए हैं। पाली में भी छंटनी करने की घोषणा हो गई और भी जगह क्या 2 हुआ है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जगह 2 मिल मजदूरों को मुख्य मंत्री महोदय का इस बात का आश्वासन होने के बाद भी बेरोजगार बनाया जा रहा है। मुख्य मंत्री महोदय, इस बात का आश्वासन देते हैं, कह देते हैं कि सरकार प्रयत्न करेगी लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी हालात को देखकर कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के शहजादे, आप बुरा मानेंगे लेकिन कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के शहजादे हैं इनके फरमान बदलते रहते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासकों के फरमान बदलते रहते हैं। घोषणा करते हैं कि हम समाजवाद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रात-दिन जो मजदूर कारखानों में लगे हुए हैं, उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है और सरकार आराम से बैठी हुई है। पूंजीपतियों का इन्टरेस्ट बढ़ाने के लिये सरकार उनको मदद दे रही है। पुलिस और आर. ए. सी. के जवान मजदूरों को दबाने के लिए तैयार रहते हैं। मजदूरों पर गुण्डों द्वारा हमले होते हैं तो उस समय आप कुछ नहीं करते। तो यह सरकार समाजवाद का नारा तो लगाती है, नाम तो लेती है, लेकिन वास्तव में पूंजीपतियों और वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की रखवाली करती है। उन्हीं के इन्टरेस्ट्स को वाच किया जा रहा है। इसलिये मैं साफतौर से कह देना चाहता हूं कि मजदूरों की जो जबर्दस्त समस्या है उसका सरकार को इलाज करना चाहिये और मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री को इसके बारे में तुरन्त कदम उठाने चाहियें। 23 अप्रेल को जो उन्होंने वचन दिया है, उसको पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो मजदूर जो आज आर्गनाइज्ड है, चाहे वह इन्टक में हो, चाहे एटक में हो, वह ताकत के साथ अपने राइट्स मानेगा, राजस्थान में आन्दोलन करेंगे जिसे मंत्री महोदय और सी. एम. रोक नहीं सकेंगे। इसलिये समय रहते आप मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिये कदम उठायें, और अगर नहीं उठायेंगे तो आपको आन्दोलन के लिए तैयार रहना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : आन्दोलन बिड़ला के पैसे से करेंगे क्या ?

श्री मोहरसिंह : बिड़ला का क्या संबंध है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपसे सम्बन्ध है।

(शोरोगुल)

दिन में नहीं करते हैं, रात में करते हैं। आप मजदूरों के साथ गद्दारी करते हैं।

श्री मोहर्रासिंह : वह आपका काम है।

(शोरोगुल)

श्री गुरदयालसिंह संधु (श्री करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि गंगानगर जिले के अन्दर आज जबरदस्त अन्धेरगर्दी चल रही है। जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं उनके लाईसेन्स कैंन्सिल किये जा रहे हैं। खांड के जो डीलर्स हैं उनके परमिट्स कैंन्सिल किये जा रहे हैं, और किसान अगर ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपना खाता निकलवाना चाहता है तो उसको खाता निकाल कर नहीं दिया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अजीतसिंह नाम के एक आदमी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पटवारी से सर्टीफीकेट मांगा। उस पर वेरीफीकेशन तहसीलदार को करना पड़ता है। तहसीलदार ने खाने के अन्दर दस्तखत कर दिये, लेकिन जब उनको पता चला कि वह अजीतसिंह विरोधी पक्ष का है, तो उसने किये हुए दस्तखत काट दिये। यह खाता मेरे पास है इसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं और फिर काटे हुए हैं। एक डीलर को खांड का परमिट काट दिया गया क्योंकि वह डीलर गुरुद्वारे को खांड दिया करता था। दूसरे डीलर का परमिट इसलिये काट दिया गया कि उसने साढे बीस पैसे के बजाय इक्कीस पैसे वसूल किये। जगह जगह पर किसानों के खेत काटे जा रहे हैं और पटवारी नोटिस दे रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह जुल्म नहीं होना चाहिये और, अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये। और अगर आप जांच नहीं करवाना चाहते तो यह तो आप पर डिपेन्ड करता है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह अन्धेरगर्दी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं इस पत्र को जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होकर काटे गये हैं, वह सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं दे दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। जनतन्त्र के अन्दर अगर कोई आदमी विरोधी पक्ष का है तो उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया जाये या उसका परमिट खत्म कर दिया जाये, और दस्तखत करके काट दिये जायें, यह बहुत भयंकर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पर यह तो बहुत गम्भीर इशू है।

श्री अध्यक्ष : हरेक पर बोलें यह आवश्यक नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह सभी विरोधी दलों के लिये एक चैलेंज है। कोई विरोधी पक्ष का है इसलिये उसका लाइसेन्स खत्म कर दिया जाये या गुरुद्वारे को खांड देवे तो उसका परमिट खत्म कर दिया जाये, जबकि गुरुद्वारे के लिये परमिट भी सरकार ही देती है, तो यह कहां तक जायज है?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो स्थिति सदन सामने रखी है, उसके बारे में तो अवश्य जांच कराई जानी चाहिये । आखिरकार वहां की जनता का सवाल है । यह कांग्रेस पार्टी का तो सवाल नहीं है कि केवल कांग्रेस समर्थकों को ही लाइसेंन्स और परमिट दिये जायें । और जिन विरोधी पक्ष के समर्थकों को लाइसेंन्स मिला हुआ है उनसे छीन लिया जाये, यह तो अत्याचार की पराकाष्ठा है, यह डेमोक्रेसी और जनतन्त्र नहीं है । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसकी जांच की जाये और अगर सरकार जांच नहीं करवाती तो अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करती । मेरे ख़याल से यह फासिस्ट टेन्डेसी आप प्रकट कर रहे हैं और इस फासिस्ट टेन्डेन्सी का विरोध करना विरोधी पक्ष का पुनीत कर्त्तव्य है ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह जनतन्त्र के लिये चुनौती के रूप में आया है ।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के सभी माननीय-सदस्य बोलेंगे क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : इनका तो दल नहीं, दलदल है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, खाते पर दस्तखत करके इसलिये काट दिये जायें क्योंकि आदमी विरोधी पक्ष का है यह तो क्लाइमेक्स है एंटी डेमोक्रेसी की । मन्त्री महोदय इसकी जांच करवायें और इस तरह की बातों का रिकरेन्स न हो इसका अशोरेन्स दें ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो फैक्ट्स पेश किये हैं, उसकी जरूर जांच होनी चाहिये ।

मेरा स्थगन प्रस्ताव एस. डी. कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में है । 15 अप्रैल को होने वाले इग्जामिनेशन्स का एस. डी. कॉलेज, गंगानगर और गवर्नमेंट कॉलेज, गंगानगर के विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया । मान्यवर, विद्यार्थियों का तबका एक ऐसा तबका है जो बहुत सेन्टीमेंटल और सेन्सेटिव है और इस देश की जिस क्लाइमेट के अन्दर वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे वे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं । शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक हाई पावर कमेटी का निर्माण हुआ था, उसने कुछ सिफारिशें दी हैं कि हायर सेकण्डरी तक यह सारा सिस्टम समाप्त किया जाये । मान्यवर, परीक्षाओं का बहिष्कार करने का क्या कारण था उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता । बड़े बड़े मसले हैं ।

पिछले 2-3 माह से वहां के छात्र दोनों इन्स्टीट्यूशन्स के प्रिन्सीपल्स के खिलाफ, उनके अनडेमोक्रेटिक रवैये के खिलाफ, उनकी रिप्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं । राज्य सरकार को भी सूचना समय-समय पर देते रहे हैं और कदम नहीं उठाया, और

(श्री केदारनाथ)

वहां पर दोनों प्रिन्सीपल्स ने उनके खिलाफ वहां के सारे एन्टीसोशियल एलिमेंट को इकट्ठा करके उनकी सारी एकता को तोड़ने और यहां तक कि अपनी प्रॉपर्टी को डेमेज करने के बाद उनके खिलाफ तोड़-फोड़ की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, यहां तक कि अनुशासन भंग करने के इन्डिविजुअल नोटिसेज भी उनको सर्व किये गये। कई बार हड़ताल हुई। छात्रों ने जुलूस निकाले। सैंकड़ों की गिनती के लोग डेपुटेशन लेकर यहां पर आये और माननीय मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी से मिले और शिक्षा मन्त्रीजी वहां पर पहुंचे तब भी उनसे मिले, मगर कोई रास्ता नहीं मिला। 14 अप्रैल को सारे छात्रों ने कहा कलेक्टर को कि कॉलेज कैम्पस के अन्दर पुलिस नहीं होना चाहिए, हम इम्तिहान देंगे, परीक्षाएं देंगे पर कैम्पस के अन्दर पुलिस नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही उनकी बुनियादी मांग थी लेकिन सुबह जाते हैं तो पुलिस कॉलेज कैम्पस में बहुत बड़ी तादाद में थी, कम से कम एक हजार आर. ए. सी. के कॉन्सटेबल्स दोनों इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर दाखिल थे। हम लागों ने ऐतराज भी किया और एस. पी. को टेलीफोन किया कि मिनिमम फोर्स इस्तेमाल की जाय। अगर लॉ एण्ड ऑर्डर का प्राब्लम पैदा हो जाय तब वहां स्पाट पर जाकर कोई एक्शन कर रहे हों तो आर. ए. सी. अपनी पावर को इन्वोक करे, वर्ना इसमें कैम्पस में दाखिल नहीं होना चाहिए। जब यह बात नहीं मानी गई तो लड़कों पर इतना रिएक्शन हुआ और कोई उनके बस की बात नहीं थी तो उन्होंने एक्जाम का बहिष्कार कर दिया। वहां पर लड़कियां भी हैं 50, 60, 70 दोनों इन्स्टीट्यूशन्स में, वे एक्जाम देने जा रही थीं। वहां पर पुलिस के आतंक और भय को देख कर और कैम्पस में इतनी मात्रा में आर. ए. सी. को देखकर वह लड़कियां बाहर नहीं निकलीं और एक्जामिनेशन हॉल में जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। 15 तारीख को लाठी चार्ज किया गया बिना किसी कारण अनप्रोवोक्ड, अनफाउन्डेड, कोई बेस नहीं था। लाठी चार्ज ऐसा किया गया कि एक किलोमीटर तक आर. ए. सी. के जवान लड़कों के पीछे उनको फालो करते रहे और मोहल्ले-मोहल्ले और घरों से उनको निकाल-निकाल कर एक्जामिनेशन हॉल में लाया गया। तीन दिन तक वहां पर आतंक और भय का वातावरण रहा, और कम से कम 60-70 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। हम लोग जब इसमें शामिल हुए तो हमने यह कहा कि आयन्दा परीक्षा तो दी जाय उसका बहिष्कार मत कीजिए और अपनी मांग मूव कीजिये और राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी से निवेदन करेंगे कि उनका रि-एक्जाम हो जाय। लड़कों ने बात मान ली। सैकण्ड फेज एग्जाम का दो मई से शुरू हुआ और वहां पर किसी ने बहिष्कार नहीं किया और लोगों ने एग्जाम दिया।

और आज वहां वातावरण छात्रों का ठीक है। ब्यावर में ऐसे केसेज हुए, अलवर में हुआ, भीलवाड़ा में भी केस हुआ लेकिन वह केसेज अलग हैं। वहां पर पेपर्स आउट ऑफ कोर्स आ गये इसलिए लोगों ने वाकआउट किया

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फर्मावें।

श्री केदारनाथ : यह ठीक है कि राज्य सरकार ने और तीनों यूनिवर्सिटीज ने इस साल इन्तजाम ठीक किया। मैं उनकी तारीफ करता हूं। मगर अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज के बाद आतंक और भय के वातावरण के कारण जो लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाये उनको फिर से चान्स दिया जाय। चाहे यूनिवर्सिटी ऑटोनामस बॉडी हो और यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट का मेम्बर हूं। ऐसी हालत में राज्य सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि 800-1000 लड़कों की जिन्दगी का जहां सवाल पैदा हो, फ्यूचर का सवाल हो वहां रि-एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए और नेक सलाह देना चाहिए।

मान्यवर, मैं इसीलिए कह रहा था कि राजस्थान में आयन्दा सिस्टम को बदलें और राजस्थान में इसकी शुरूआत करें ताकि उनके फ्यूचर का सवाल है। जिन पेपर्स को बहिष्कार किया गया दोनों प्रिन्सीपल्स के अनडैमोक्रेटिक रिप्रेसिव पॉलिसी के कारण और लाठीचार्ज के कारण उनका रि-एग्जाम हो, यह निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे पास फोटोज हैं मैं नहीं चाहता कि उनको पेश करूं। एफ. आई. आर. की सर्टिफाइड कापी है और जिन इनडिविजुअल लड़कों को डिसिप्लिन के नोटिसेज दिये गये हैं उनकी कॉपीज हैं। जिन लड़कों ने परीक्षा का बहिष्कार किया उनके स्टेटमेंट मेरे पास हैं उनके स्टेटमेंट हमारे पास हैं। जिन लड़कों को जबरदस्ती पुलिस अपने ट्रक्स और व्हीकल्स में एग्जामिनेशन हाल तक ले गये उनके स्टेटमेंट हमारे पास हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी के पास पेश कर दूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि इन लड़कों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके रि-एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी को प्रेरणा देंगे प्रेशराइज करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव विभिन्न नगरों में पेय जल की समस्या के बारे में है, चाहे वह नागौर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, अजमेर हो, भीलवाड़ा हो उन सब में समस्या है और उनका सम्बन्ध है। और यह माननीय अध्यक्ष, एक ऐसा मानवीय प्रश्न है। लोगों को राशन तो मिलता नहीं। सड़ा-गला गेहूं मिलता है और कई महिनों तक बराबर मिलेगा पेय जल मैं समझता हूं कि उचित मात्रा में लोगों को मिलना चाहिए। यह आज राजस्थान की हालत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यहां पर यह कहा था कि जयपुर शहर में इस वर्ष पीने के पानी की समस्या नहीं आयेगी और लोगों को आवश्यकता के आधार पर पानी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष, आप स्वयं जयपुर में रहते हैं, माननीय विधायक भी जयपुर में रहते हैं जयपुर की जनता को चाहे वह परकोटे के अन्दर रहती हो, चाहे उपनगरों में रहती हो, चाहे कच्ची बस्तियों में रहती हो, जयपुर शहर में पीने का पानी की समस्या चालू हो गई है। अभी गर्मी का मौसम प्रारम्भ हुआ है और समस्या खड़ी होना शुरू हो गई है और जून के महीने में तो यह समस्या और गम्भीर रूप धारण कर लेगी। जयपुर शहर में दो महिने में पीने की पानी की वही समस्या

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
होगी जो आज पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती नगरों में भयंकर रूप से हैं वहां पर एक-एक मटकों पानी वहां पर लोगों को 5-5 रुपयों में खरीदना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इससे भयंकर कोई शर्मनाक बात राजस्थान सरकार के लिए नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से अकाल पर एक दिन की बहस हो रही है माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि राजस्थान में जो पेय जल की समस्या है उस पर बहस के लिए एक दिन निर्धारित करें और पेय जल की समस्या पर विचार हो। मैं यहां पर यह प्रयत्न करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में निर्धारित समय के आधार पर दो घंटे प्रातःकाल और एक घन्टा सायंकाल पानी दिया जाता है। माननीय, अध्यक्ष, वह भी पूरे प्रेशर के साथ नहीं दिया जाता है। चालास पौंड के प्रेशर के आवा पर पानी दिया जाय तो मैं समझता हूं कि पहली वाली मंजिल पर भी पानी नहीं पहुंच सकता है। लक्षमण डूंगरी पर दूसरा टैंक तैयार हो गया है। उसके बारे में कहा जाता था कि जब वह बन जायेगा तो समूचे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई पूरी हो जायेगी। वह टैंक पड़ा हुआ है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चांदपोल बाजार में बड़ी पाइप लाइन डाली जा रही है। सड़क टूट रही है। गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है तीन वर्ष बराबर इस सदन में बोलते हुए हो गये लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब गर्मी का मौसम प्रारम्भ हुआ है वाटर लाइन डाली जा रही है

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर के लोगों को पीने के पानी की समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा। उनके सामने कठिनाई पड़ेगी। तो यह वाटर लाइन पहले से ही डाली जानी चाहिए थी ताकि इस समय तक उनमें टी लगाकर गली मोहल्लों से उसको कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता और अकर्मण्यता के कारण आज भी वह वाटर लाइन नहीं डाली जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ··

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट।

आपने जयपुर नगर में 7 टैंक बनाने का काम अपने हाथ में लिया था। उनमें से सिर्फ एक टैंक बनकर पूरा हुआ है। 6 टैंकों का निमार्ण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण से आज जयपुर शहर के लोगों को न तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और जो सैप्टिक टैंक लोगों के मकानों में बने हुए हैं उनमें पूरा पानी नहीं पहुंचने के कारण मैं समझता हूं कि सारा शहर सड़ रहा है। मलेरिया रोग फैलेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की समस्या तो है ही, विशेष कर जयपुर राजस्थान की राजधानी है यह समस्या यहां पर भयंकर रूप से उत्पन्न हो गई है और गर्मियों के मौसम में और होगी। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय सदन में विचार प्रकट करने का माननीय सदस्यों को मौका दें। मैं समझता

Page No 33

(33)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
हूं कि यह बड़ा अहमियत का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी और जलदाय बोर्ड या विभाग के मंत्री की अकर्मण्यता के कारण आज राजस्थान के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ हो रही है इसलिए उनको अभी यहां पर त्याग-पत्र देना चाहिए..... ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वायत्त शासन मंत्री के पास नहीं है यह विभाग।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसी मौसम में जयपुर के अन्दर पानी की.........

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वायत्त शासन मंत्री के पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समस्या को हल करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, अगर यह ऐसी समस्या बनी रही तो माननीय विधायक जो यह कहते हैं कि पानी की समस्या नहीं है उनका घेराव कराऊंगा जयपुर के लोगों से........

श्री श्रीराम गोटेवाला : घेराव आदि का जवाब देने की हैसियत में हूं ....

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

..... जयपुर में पीने के पानी की समस्या है। आपको शर्म अपनी चाहिए। जयपुर की जनता से वोट लेकर आये हैं। मंत्री महोदय को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। सदन में जयपुर की जनता के लिए पीने के पानी की समस्या के हल करने के लिए विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रतीराम !

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतीराम !

श्री रतीराम : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गये हैं। उनकी बेल ले ली गई है। वह रंगे हाथों पकड़े गये हैं। उनको अभी तक सस्पेण्ड नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में बोलें।

श्री रतीराम : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया है। उससे पहले ही आप आदेश दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आदेश तो पहले ही होते हैं।

श्री रतीराम : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनो में अलवर जिले से भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें की जाती रही हैं। लेकिन वहां की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं वहां की दो घटनाएं निवेदन करना चाहता हूं। एक तिजारा के थानेदार साहब एक किसान से 100 रु. लेते हुऐ रंगे हाथों एण्टी करप्शन के द्वारा 26 अप्रैल को पकड़े गये हैं। उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। उनको अभी तक सस्पेण्ड नहीं किया गया है। इसके कारण वहां की जनता के अन्दर भारी रोष और असन्तोष है। इससे गम्भीर हालत उस क्षेत्र में पैदा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, यह थानेदार साहब जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसकी पहले भी शिकायत की गई कि वह रिश्वतखोर है। वहां के लोग नाजायज शराब बनाते हैं। जनता ने

(श्री रतीराम)

शिकायत की तो उनको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद पैसे लेकर छोड़ दिया गया। इसी तरह से एक गिरोह है जिसने कि लोगों को रास्ता चलते हुए लूटा है। उनको भी छोड़ दिया गया है। इतनी ही नहीं, जंगलात विभाग में लकड़ी काट कर, 74 आदमियों ने भारी संख्या में कोयला जला कर तैयार किया और बेचा। थानेदार साहब को शिकायत की गई तो उन्होंने 74 आदमियों से 100 रु. लेकर उनको छोड़ दिया है। आज तक उनका कोई चालान नहीं किया गया है। इस प्रकार से उनकी भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार को की गई हैं। लेकिन राज्य सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, तब भी उनको सस्पेण्ड नहीं किया गया है। दूसरी घटना, अलवर में ए.आर.टी.ओ. कान्तिचन्द्र जोशी हैं। उनको वहां के ही एक दशरथ से रिश्वत के रुपये लेते हुये पकड़ा गया है। लेकिन उनको आज तक सस्पेण्ड नहीं किया गया है। बराबर वह वहीं पर काम कर रहा है। उनको सस्पेण्ड नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपने जनता के आंसू पोछने के लिए एण्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट खोला है। सतर्कता समिति बनाई है। ढेरों शिकायतें आती है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिन उच्चाधिकारियों का काम जनता की जानमाल की सुरक्षा करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उन्होंने जनता को लूटना शुरू कर दिया है। अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो एण्टीकरप्शन विभाग खोलने का क्या फायदा है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन यह जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मन्त्री महोदय पर आरोप है कि आज तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं यह नहीं मान सकता हूं कि यह उनके नोटिस में नहीं हो। ऐसा मैं नहीं समझता हूं। जनता द्वारा उनके पास सीधे पहुंच कर शिकायत कर दी गई है। इस प्रकार की घटना हो गई है और आज तक उनको सस्पेण्ड नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है। मैं बहुत नम्रता से गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रतीराम : वहां पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों का अड्डा कायम है। उन लोगों को वहां की जनता ने पकड़वा दिया है। लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं है कि वहां की जनता दूसरा रूप अख्तियार करेगी। आपको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वहां कि जनता में रोष है, असन्तोष है। उसके भयंकर नतीजे निकलेंगे। मैं फिर इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो एण्टीकरप्शन के द्वारा पकड़े गये हैं, वह तुरन्त सस्पेण्ड हों और उन पर इन्क्वायरी बिठाई जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय ...

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता

(श्री मूलचंद सामरिया)
हूं कि लेवी के मामले में कुछ बातें बताई गई हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो उत्तर आ गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं इतना सा ही पूछ लेता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिस समय उनके पास अनाज था, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लोगों ने तीन-तीन समय गाजर खाई। मैं निवेदन करूंगा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। वह घास की रोटी उनके लड़के हाथ से बिलाव ले गया था। तो मैं निवेदन करूंगा उस वक्त तो लोग भूखों मर गये। अब जब फसल हुई तो मेरा निवेदन है कि गेहूं के बदले जौ, चना की जो मिक्स आप करते हैं, 1 जयपुर जिले में दो-दो, तीन-तीन बीघे में खेती होती है अनिश्चितता की वजह से

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

थोड़ा पानी हो। उनकी किस्मत अच्छी हो तो गेहूं, जौ, चना उपज जाये। जो बहुत छोटी जोत के हैं, उनसे भी आप लेवी ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो उत्तर आ गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा निवेदन है कि इसका असर केवल गरीब किसानों पर ही पड़ता है। जो बड़े-बड़े किसान हैं। जिनके पास कुवे और सिंचाई के साधन हैं। जो गेहूं, जौ, चना अलग अलग पैदा करते हैं। उन पर आपकी लेवी लेनी चाहिए। लेकिन जो मिक्स करके बोते हैं। अपने घर के काम में लेते हैं

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर तो आ चुका है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं अध्यक्ष महोदय, दो चार मिनट ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट तो आपको बोलते हो गये। और भी बहुत काम हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दौसा में किसानों की शिकायत है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

वह जाते हैं तो वहां पर उनको घण्टों खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए आप मेहरबानी करके ऐसा तय करें कि किसी भी किसान को दो-तीन मील से अधिक की दूरी पर नहीं जाना पड़े। अगर इससे ज्यादा दूरी पर अनाज लेकर किसान को जाना पड़ेगा तो उनको किराया दिया जाये। मैं समझता हूं कि दो माइल से अधिक दूरी का किराया सरकार को वहन करना चाहिये। और जो अनार्थिक जोत हैं, उन पर से लेवी को माफ करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : It is not a debate on levy.

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं दो मिनट ही मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय आपको दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : जिसके परिवार को भी साल भर के लिए नहीं होता है, वह 200 रु. क्विण्टल लेकर आपको 105 रु. में लेवी देगा। क्या यह किसानों के साथ में अन्याय नहीं है? मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में सरकार विचार करे। जिनके पास अपनी आवश्यकता के मुताबिक हुआ है, उनसे लेवी लेना क्या न्यायोचित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा केन्द्रों की स्थापना हो। ऐसे लोगों पर लेवी लगाई जाये जिनके पास खाने के बाद बच रहता है। अगर दो माइल से अधिक दूर जाना पड़ता है लेवी देने के लिए तो उसका किराया देना चाहिये। और गोजरी, और गोचनी पर कोई लेवी नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि अकाल के क्षेत्र में कई जगह कार्य खोले गये हैं। लेकिन जिस तरह से सारे इलाके में अकाल है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और बहुत से लोग बेकार बैठे हुये हैं, उनको कोई काम नहीं मिला है, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कुछ भी काम खोले गये हैं, वहां पर उन मजदूरों को जो पांच रुपये मजदूरी दी जाती है वह बहुत ही नाकाफी है। वहां पर दूसरे लोगों के जरिये ठेकेदारों से और अधिकारियों के मार्फत उन मजदूरों को जो पांच रुपये मिलने चाहियें वह भी नहीं मिल रहे हैं जबकि काम उसी हिसाब से लिया जाता है और काम का भार उतना ही पड़ता है उन मजदूरों के उपर। काम का बोझ उतना का उतना ही है, जब काम कम नहीं किया गया है तो उनको न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको अध्यक्ष महोदय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि फेमिन में फर्जी आदमियों के भरने का सिस्टम चल रहा है इससे काम का पर्सेन्टेज कम हो जाता है, इस वजह से मजदूरों के वेतन में कटौती होती है। जो काम नहीं करते हैं उनको पूरी मजदूरी मिल जाती है और काम करने वालों को पूरा वेतन नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, यह कई जगह फर्जी आदमियों को भरने का काम देखा गया है और मैंने मेरे क्षेत्र में भी देखा है। कुछ लोगों ने शिकायत भी कि की वहां पर फर्जी आदमी भरे जा रहे हैं, खानसिंह और करनसिंह सिंचाई विभाग के मजदूरों ने शिकायत भी कि की फर्जी आदमियों को लिया जा रहा है और माल में से भी चोरी की जा रही है परन्तु जिन लोगों ने शिकायतें कीं उन लोगों को काम से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने शिकायत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मजदूर चोरी पकड़ के बताते हैं और सही शिकायत करते हैं तो उनके साथ चोरों का सा बर्ताव किया जाता है और जो चोरी करते हैं वे साहूकार बन जाते हैं। इस प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ढील दी गई है इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्ड देने की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल थोड़े में कहिये।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल थाड़े में कहूंगा । जिन लोगों ने शिकायतें कीं उन लोगों को काम पर से हटा दिया गया और साथ में मेरा निवेदन करना यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जहां जहां पर काम चल रहे हैं वहां पर पीने के पानी की सुविधा होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा जो औरतें काम करने में लिए आती हैं उनके बच्चों को छाया की व्यवस्था भी होनी चाहिये । उनके बच्चे धूप में पड़े रहते हैं और मैंने स्वयं ने देखा है एक बहुत ही भयानक स्थिति है, बच्चे यों ही पड़े रहते हैं इसलिए जहां जहां पर काम चल रहा है वहां पर बच्चों के लिये छाया की व्यवस्था होनी चाहिये, यह बहुत ही आवश्यक है ।

इसी तरह से पशुओं के लिए चारे और अनाज की भी व्यवस्था होनी चाहिये अध्यक्ष महोदय, गांवों में पीने का पानी भी कम हो गया है । टाटगढ़ और जवाजा में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय से बार बार और महीनों पहले से निवेदन करता आया हूं कि पीने से पानी की व्यवस्था करवायें और जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको चालू करवा कर पूरा करवाया जाय परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कोई काम भी नहीं शुरू किया गया है । जनता प्यासी मर रही है । हालत यह हो रही है कि टाटगढ़ में एक एक घड़ा पानी का आठ आने में भी मुश्किल से मिल रहा है । अभी मैं गया था वहां पर 4 या 3 तारीख को तो वहां के लोग बहुत परेशान थे और करीब चार सौ लोगों ने मेरा घेराव भी किया लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं इसके लिए सरकार से लडूंगा । मन्त्री महोदय से मिलते हैं तो कहते हैं कि धीरे-धीरे व्यवस्था होगी, यह तो ऐसे ही चलेगा, दो महिने पहिले यह बात कही थी और आज दो महिने के बाद भी देखते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं कर पाये और कहते हैं धीरे धीरे कर दी जावेगी । इस तरह से उस इलाके में एक जबरदस्त फेमिन है और उन लोगों के साथ एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : काफी कह लिया ।

श्री केसरीमल : बस मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । इस इलाके में पीने के पानी की भारी समस्या है, कुओं में और तालाबों में पानी सूख गया है । जहां पर कुछ पानी की थोड़ी सी गुंजाइश थी, वहां पर लोगों ने अनाज बो दिया । लेकिन अधिकारी लोग उनके घरों में घुस कर लेवी के नाम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फेमिन के इलाके में लेवा से बिल्कुल छूट दे दी जाय और उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था की जाय, सरकार इस तरफ ध्यान दे और सारी समस्याओं का हल निकाले ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अन्तर्राज्यीय पानी विवाद के सम्बन्ध में है और यह चर्चा इस प्रकार की है अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान सरकार अपने जो अधिकार पानी सम्बन्धी दे रही है उससे पंजाब सरकार फायदा उठा रही है । राजस्थान में निरन्तर अकाल पड़ता रहता है, यहां पर पानी का

(श्री रामकिशन)

बहुत अभाव है । अभी राजस्थान के सिंचाई मन्त्री और पंजाब के सिंचाई मन्त्रियों के बीच में वार्तालाप हुआ। उसकी जो जानकारी मिली है वह यह है कि राजस्थान सरकार ने जो पानी मांगा था वह पंजाब सरकार ने देना मन्जूर नहीं किया । इसलिए मैं सिंचाई मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर हमारी सरकार का यही रुख रहा और पंजाब सरकार को पानी देना रोका नहीं गया तो हमारे राजस्थान का जो एक मात्र इलाका है गंगानगर का इलाका जो कि पैदावार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पर अधिक पैदावार होने की सम्भावना नष्ट हो जायेगी । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह केन्दीय सरकार के मार्फत पंजाब सरकार के सामने अपने पक्ष को मजबूत करे ।

जहां तक बिजली का 'सवाल है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है । लेकिन बिजली के मामले में जो बिजली भाखड़ा और चम्बल से मिलती है उससे पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है परन्तु राजस्थान को उतनी सुविधा नहीं दी गई है । बीकानेर के पास एक जगह के लिए कई बार जिक्र हो चुका है वहां पर राजस्थान सरकार की इजाजत भी नहीं ली गई, पंजाब सरकार से पूछा गया परन्तु कोई जवाब नहीं मिला इसीलिए मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहूंगा कि आपकी यह दब्बू नीति कब तक चलेगी । कब तक हम नुकसान उठाते रहेंगे । क्यों नहीं पंजाब सरकार सात सौ क्यूसेक पानी देना देना स्वीकार करती है । राजस्थान सरकार क्यों नहीं यह मामला केन्द्रीय सरकार के सामने रखती है । पंजाब और हरियाणा सरकार की कोई कठिनाई हो तो वे केन्द्र से दबाव डलवाते हैं तो राजस्थान सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है । क्यों नहीं केन्द्र के सामने अपना पक्ष रखती है और केन्द्रीय सरकार को बीच में क्यों नहीं लाती है ।

अध्यक्ष महोदय, कई बार सवाल उठता है कि पंजाब और राजस्थान सरकार का जॉइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड होना चाहिए जिसमें पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके । मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान सरकार से जानना चाहूंगा कि अगर आप इस कमजोर और दब्बू नीति का परित्याग नहीं करेंगे तो इसका असर अब नहीं बल्कि आगे आने वाले वर्षों में हमारे राज्य पर बहुत ही विपरीत पड़ने वाला है इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र में अपना सही और मजबूत पक्ष रखकर ठीक वातावरण बनाये और सही स्थिति को सामने रखे और नहीं रख पाती है, तथ्यों को स्पष्ट नहीं करती है तो इस प्रकार की कमजोर नीतियों से राजस्थान को बहुत नुकसान होने वाला है और पंजाब सरकार इससे फायदा उठा रही है और उनको सुविधाओं का पूरा फायदा मिल रहा है । तो मैं केवल माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में सख्त पहल करेंगे और यदि सख्त पहल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा राज्य बहुत नुकसान में और सुविधाओं से वंचित रहेगा । जब कभी अन्तर्राज्यीय सवाल आता है चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तरप्रदेश का या हरियाणा और पंजाब का तो दूसरे राज्य अधिक बिजली ले जाते

(श्री रामकिशन)

हैं और हमारी स्थिति कमजोर रहती है। अन्य राज्यों से जो भी विवाद हैं, जैसे गुजरात से भी हमको घाटा उठाना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ सरकार का ध्यान इस गम्भीर सवाल की ओर आर्कषित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनिट इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा ·······

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इनके समर्थन में कहना है, रामकिशन जी के प्रस्ताव के क्योंकि यह हमारे इलाके से ताल्लुक रखने वाली समस्या है।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे मालूम है। आप भी एक मिनिट में फर्मा दें।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में वर्तमान में राजस्थान सरकार की पानी के सम्बन्ध में जो नीति चल रही है, वह ढुलमुल नीति है, कमजोर नीति है, जिसका परिणाम, आज तक जो सिंचित इलाका है, गंग नहर वगैरह का सिंचित इलाका है, उसको भुगतना पड़ा है और भुगतना पड़ रहा है। सिद्धमुख कैनाल निकल जाने से बड़ा हिस्सा, इलाका उससे विकसित होता। लेकिन आसार कमजोरी के नजर आ रहे हैं। हम सोच रहे थे, कल वार्तालाप में कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और जल्दी से जल्दी सिद्धमुख कैनाल, नहर फीडर की खुदाई वगैरह का काम शुरू हो जायेगा, लेकिन निराशा हमारे हाथ लगी। इस प्रकार की राजस्थान सरकार की ढुलमुल पॉलिसी की वजह से राजस्थान के सभी इलाकों के सभी जिलों में घाटा हो रहा है, सभी घाटे में जा रहे हैं। ऐसी ढुलमुल पॉलिसी सरकार की नहीं हानी चाहिए और जबर्दस्त ताकत के साथ राजस्थान का जो क्लेम है, राजस्थान की जो मांग है उसकी पूर्ति करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि सिंचाई मंत्री को सख्त कदम इस सम्बन्ध में उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी फैसला हो वास्तव में यह विकास होने की चीज है। लेकिन जो सिंचित इलाका है उसमें नुकसान हो रहा है पानी थोड़ा लगने के कारण। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका इन्तजाम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। श्री रामकिशन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह मिटिंग की ईरिगेशन मिनिस्टर की, क्या इसका आपने निमंत्रण किया या उन्होंने आपका बुलाया, कौनसे इश्यू थे ? क्या यह सही है कि पंजाब की असेम्बली में कानयावाला माइनर, जो अनाथोराइज्ड माइनर है, जिसका एक साल से पानी लिया जा रहा उसके लिए कहा कि यह लीगल है, लीगल क्लेम है और राजस्थान सरकार से कन्सेन्ट ले ली है। यह पंजाब की विधान सभा में कहा। अब इसके बाद में कई मीटिंग होंगी, कौनसे इश्यू हैं जो रिजोल्व कर दिये हैं और कौनसे इश्यू चल रहे हैं जिनमें डिफरेन्स ऑफ एप्रोच है, नोहर फीडर का है, कानयावाला का है, वनों का है, सवाई माधोपुर का है, व्यास लिंक का है, कौनसे

(श्री केदारनाथ)

इश्यू ऐसे हैं ? अब तक पंजाब सरकार ने जो राजस्थान का शेयर है, वह ही नहीं दिया है, फिर भी आपने कहा है कि हम सेन्टर इन्टरवेंशन में नहीं जा रहे हैं। सेन्टर इन्टरवेन्शन पावर के क्वेश्चन से लिंक कर दिया लेकिन जो हमारी जरूरत है, पानी, उस पानी के बारे में सेन्टर इन्टरवेन्शन नहीं लेना चाहते हैं। यह राज्य सरकार की नीति गलत है। इसलिए इस हाउस की भावना को देखते हुए, जब आप मीटिंग में जायें तो आपकी यह भावना होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने जो कानयावाला माइनर बनाया है, वह इल्लीगल और अनाथोराइज्ड है। सिद्धमुख नहर से पानी हमें मिल जाय तो हमें सेटिस्फैक्शन हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि व्यास बोर्ड के चेयरमैन ने यह रिपोर्ट दी है कि हमारा भाखरा, पौंग से जो 15 पर्सेन्ट का राइट है वह आज तक नहीं मिला है। स्वयं इस सदन के अन्दर मुझको आंकडे दिये थे कि छः पर्सेन्ट से ज्यादा भाखरा बनने पर पानी नहीं मिला है ? प्रश्न नं. दो, क्या यह सही है कि कानयावाला माइनर, आर.डी. 180 पंजाब गवर्नमेन्ट ने निकाली है, उसके साथ एश्योरेन्स दिया है कि सरहिन्द फीडर चालू कर दिया जायगा आज कानयावाला माइनर रात दिन चलता है, यह सही वाकया है, चीज है। लेकिन सरहिन्द फीडर से हमें अधिक सप्लाई करने वाली बात थी वह आज तक पूरी नहीं हुई है इसमें पूरा एक साल होगया है। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो एब्जोर्वशन्स का डिस्प्यूट है, सवाई माधोपुर, ब्यास लिंक का, वह एब्जोर्बशन लॉसिज पंजाब सरकार इंडिया में हाइएस्ट लगाता है, 31 पर्सेन्ट तक एब्जोर्बशन लॉसेज लगाता है, जब कि कहीं पर 25 पर्सेन्ट से एक्सीड नहीं होती है। इस तरह के इन्टर प्रॉविंशियल मसले हैं, उन सबके अन्दर बुरी तरह मार खा रहे हैं और जो हमारा राइट है, वह जगह-जगह सरेन्डर कर दिया है, चाहे गंग कैनाल हो, चाहे भाखरा हो, चाहे राजस्थान कैनाल हो।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: बहुत बोल लिये हैं। आप भी कहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें बोलने की बात नहीं है। मंत्री महोदय का स्टेटमेंट तय कर दें।

श्री अध्यक्ष : समय की बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हो जाय। यह इन्टर प्रॉविंसियल विवाद है गम्भीर विवाद है, इसके कारण राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। परसों एग्रीमेंट किया है, अब हाउस सैशन में है तो हम चाहेंगे कि हाउस को कॉन्फाडेंस में लें, राजस्थान की जनता को कॉफीडेंस में लें, कितने मुद्दों पर एग्रीमेंट हुआ है, वह मुद्दे हैं। उन मुद्दों के बारे में कॉन्फीडेंस में लिया जाय।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री महोदय से कि इस सदन को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए, चाहे जो बात हुई हो उसकी जानकारी हमें मिले।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
इसके साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि गंग केनाल ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 1923 के अन्दर बीकानेर स्टेट ने पंजाब के अन्दर जमीन खरीद कर बनाई गई। उसमें जितनी जमीन थी, उसकी हमने कीमत दे रखी है। जब कीमत दे रखी है और देख रेख के लिए करीब 4 लाख रुपये पंजाब सरकार को दे रहे हैं। तो क्या कारण है कि आज तक यह सरकार उस क्षेत्र के अन्दर उस नहर के अन्दर जो प्रॉपर्टी है टैंक हैं उनको काम में नहीं ले रही है। वह टैंक हमारे हैं। पंजाब की 1933 की रिपोर्ट है कि यह नहर बीकानेर स्टेट की है। 1934 में एक एण्डर्सन कमेटी बनाई गई थी, उसने 1936 में रिपोर्ट दी। उस एण्डर्सन कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नहर हमारी है और बीकानेर स्टेट के अलावा दूसरे का हक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार यह कानयावाला नहर बना ली। राजस्थान सरकारने उसको लिख कर दिया है, राजस्थान सरकार इस हिस्से को, वहां के लोगों को धोखे में रखती रही है। 1966 में इन लोगों ने लिख कर दिया था कि वहां माइनर बन जाय तो हमें ऐतराज नहीं है। गंग नहर की आज यह हालत है कि तीन हजार क्यूसेक पानी लेते थे, लेकिन अब 2417 पानी लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं अर्ज कर दूं कि माइनर बन जाने से 9 हजार एकड़ में पानी यह लेंगे ...

श्री अध्यक्ष : आप तफसील में जा रहे हैं। मुद्दे की बात फर्मा दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरी अर्ज सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मुद्दे की बात कह दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : कानयावाला माइनर बन जाने से इस नहर से जितना आस पास इरिगेटेड एरिया को पानी दिया जा सकता है उसको पानी नहीं दे सकते हैं। पोंग डम का पानी मिल रहा था गंग केनाल का, वह नहर आज नहीं चल रही है। आज भी उसकि हालत अच्छी नहीं है। इस हालत में 9 हजार एकड़ पानी दे देना पंजाब सरकार को, यह हमारे साथ में धोखा है। यह हम सहन नहीं करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर जो प्रॉपर्टी है, हमारी खरीदी हुई जमीन है, पंजाब को बीकानेर स्टेट ने कीमत अदा की है. 3 करोड़ 15 लाख, उस नहर के बनाने पर खर्चा आया था और अब जो नहर पर खर्च होगा वह हमारा होगा तो मुझे अफसोस है कि गंगा नगर जिले में टैंक हैं वह तबाह हो चुके हैं। लेकिन इस विभाग ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। दो टैंक हमारे हैं, और लाखों रुपये की प्रॉपर्टी हमारी है। उससे लाखों रुपये हर वर्ष कमाये जाते हैं, और चार लाख देख रेख के लिए देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड के तहत नहर का मैनेजमेंट कराना चाहिए और अपने कंट्रोल में जमीन है उसको पूरा पानी मिलना चाहिए। पंजाब सरकार गंगानगर जिले का तबाह कर रही

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
है। यह बिल्कुल नहर चलने के काबिल नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। समाप्त हो गया है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : उस नहर पर रुपया खर्च किया जा रहा है वह वेस्ट किया किया जा रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि सदन के सदस्यों को लेजाकर एक दिन के लिए नहर बन्द करके मौका दिखाया जाय। यह नहर चलने के काबिल नहीं है। जो रुपया सरकार खर्च कर रही है वह व्यर्थ कर रही है। अब सरकार ने पंजाब सरकार को कह दिया है कि साल में दो दफा बन्दी की जाय। आज एक फसल नष्ट होती है, अब दो की तबाही आयेगी। लोग ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को उस क्षेत्र के लोगों को, इस हाउस को विश्वास में लेना चाहिए और स्टेटमैंट देना चाहिए, और उस इलाके को उस नहर को माननीय सदस्यों को दिखाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री गुरदयालसिंह संधु : हमें धोखे में क्यों डालते हैं, राजस्थान सरकार ने पोंग डेम का एग्रीमैंट किया है ..

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह बड़ा ही महत्व का प्रश्न है, पानी का सवाल है और अगर इस सम्बन्ध में पहले ही पंजाब और राजस्थान, चाहे वह बीकानेर स्टेट हो, लेकिन सक्सेसर गवर्नमैंट तो राजस्थान ही हैं, उसके दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। तो मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीमैंट को एक तरफा भंग किया जा रहा है, क्या पंजाब सरकार राजस्थान सरकार को प्रेशराइज करके, अनुचित लाभ उठा रही है, और अगर अनुचित लाभ लेकर पंजाब सरकार फायदा उठाती है तो हमारे वास्ते एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। माननीय सदस्य जो इस तरफ विराजे हैं, जो गंगानगर से आते हैं, उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि गंगानगर जिले के किसानों को इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार बहुत हानि पहुंचाने की बदनीयती रखती है। अगर यह सही है तो राज्य सरकार की तरफ से अगर लाइतलाली बरती जाती है, दबाव में आकर राज्य सरकार कर्त्तव्य का पालन नहीं करती तो बहुत बुरी बात है। राजस्थान के लिए पानी का सवाल बहुत महत्व रखता है। पंजाब के पास बहुत पानी है। अगर राजस्थान का पानी रुकता है तो गंगानगर का उत्पादन रुकता है, तो मेरे खयाल से और बुरी से बदतर दशा में जा सकते हैं। इतना ही मेरा निवेदन है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं पुरजोर शब्दों में कि जो सच्ची बात हो, वह सदन को कॉन्फीडेंस में लेकर यहां पर कहें कि किन कारणों से राजस्थान सरकार ने ये रियायतें पंजाब सरकार को देना उचित समझा ?

श्री मनोहरलाल (कामां) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आग भी न लगे और अकाल भी न पड़े लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के नेता कहते हैं कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़े....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन कहता है।

श्री मनोहर लाल : अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फर्जी मस्टर रोल बनाते हैं अकाल के नाम पर ......

श्री दीपंकर : वह अलग बात है।

(शोरगुल)

श्री गोपाल जोशी : सदस्य थोड़े ही बनाते हैं?

श्री मनोहरलाल : आप अकाल के नाम पर अरबों रुपये खर्च करते हैं और राजस्थान को लूटा है, आपको शर्म नहीं आती?

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री मनोहरलाल : मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि आग लगे गांवों में। कुछ गांव जल गए, सारे गरीबों के घर जल गए, कुछ मकान ही बच गए। दोनों गांव अभयपुर और बिलोद बुरी तरह से जल गए। अधिकारियों से कई बार कहा देखने तक नहीं गए। 4 दिन तक दमकल नहीं पहुंची, आग लगती रही, सिर्फ नायब तहसीलदार पहुंचा, कामां का थानेदार तफतीश करने पहुंचा, वहां हरिजनों के घरों से मुर्गियां निकल रही थी, मुर्गियों को खा गए। थानेदार जो तफतीश करने गए, एक आदमी से पांच हजार रिश्वत ली.......

(शोरगुल)

श्री गोपाल जोशी : लेकिन.......

श्री मनोहरलाल : आपने खूब पैसा कमाया, आप बताना नहीं चाहते, आप चुप बैठे रहे। आग लगी कोई देखने नहीं पहुंचा कोई मदद नहीं की। मवेशियां जल गईं, 20 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक एक पैसे की मदद नहीं मिली। मैं तो मदद की नहीं कहता, आप उनको ब्याज मुक्त कर्जा दें। गुरगांव कैनाल से राजस्थान की सरहद पर पानी आ रहा है लेकिन राजस्थान की सरहद में आपका पानी नहीं घुस सकता। मवेशी प्यासे मर रहे हैं, आप पानी लेने में कमजोर हैं, आप अकाल पीड़ित लोगों की मदद करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कलक्टर साहब ने कोई सहायता नहीं दी, ए. डी. एम. नहीं पहुंचे, नायब तहसीलदार पहुंचे, वह कोई मदद नहीं कर सकते। लेवी से आप उन गांवों को मुक्त करें और जो सस्ता गेहूं लेवी में मिला है उन गांवों को देना चाहिए। आप दोनों गांवों की पूरी मदद करें। अगर मदद नहीं करना चाहते हैं तो ब्याज मुक्त कर्जा दें।

श्री रामकिशन : मैं एक जानकारी चाहता हूं। खास तौर से आग लगती है, उसके लिए राज्य सरकार मामूली सा प्रावधान करती हैं और 20-25 रुपए हर घर के लिए दिए जाते हैं, हमारे जिले की औसत है, हर साल करीब 80-90 गांवों में आग लग जाती है। मैं नीति सम्बन्धी सवाल करना चाहता हूं कि जिनका सर्वस्व लुट जाता है। आज स्थिति यह है कि कलक्टर चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते, पंचायत समिति कहती है कि उनके पास इन्कम नहीं है। नतीजा यह होता है कि अकाल पीड़ित लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिलती। क्या राज्य सरकार इस सवाल पर विचार कर सकती है कि आगे के लिए प्राकृतिक विपदाओं के लिए कुछ प्रावधान किया जाए?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष-महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। जोधपुर में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
लघु उद्योग निगम कार्यालय में जो व्यभिचार कांड गत 12 तारीख की रात्रि को हुआ, उससे मेरा स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में सैक्स स्कैंडल राजस्थान का छोटे रूप में यदि कहा जाए तो राजस्थान का कीलर कांड के रूप में है। अब प्रोफ्यूमो कौन है, इसका जवाब मुख्य मंत्री देंगे लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि इस कीलर कांड के बारे में........

(राजकीय पक्ष के सदस्यों के हंसने पर)

श्री रामकिशन : इतना गम्भीर विषय है और आप हंस रहे हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : लघु उद्योग निगम का कार्यालय जो सरकारी कार्यालय है, इसलिए बना हुआ है कि.....

श्री दीपंकर : कार्यालय है या...

श्री गुमानमल लोढ़ा : निगम का कार्यालय स्टील, आइरन, कोयला इत्यादि वितरित करने के लिए है, व्यभिचार के लिए, लड़कियां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। हमारे यहां पर इस निगम के अधिकारी बहुत समय से इस प्रकार व्यभिचार के अड्डे स्थान-स्थान पर बना कर चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 की रात्रि को...

श्री अध्यक्ष : अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हो गई है। तो उस जानकारी को सदन में आ जाने के बाद आप कुछ कहना पसंद करेंगे या पहले कहना चाहते हैं?

श्री भानुकुमार शास्त्री : राज्य सरकार अपना स्टेटमेंट दे रही है या क्या हो रहा है? पता लगने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन में फैक्ट्स नहीं आए हैं। मेरा मतलब है कि इस विषय पर बातचीत एक बार करना चाहते हैं या दो बार?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आसन की तरफ से सूचना हो कि सरकार इस व्यभिचार कांड के बारे में वक्तव्य देगी तो समझ में आ सकता है। ऐसा न हो कि केवल जानकारी आ जाए और सदन के पटल पर न रखी जाए। आसन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हो जायं तो डिबेट करने में सुविधा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस प्रिंसीपल से सहमत हों कि इस मुद्दे पर एक बार बात हो जाये और उसमें आप अगर कुछ और मुद्दे फर्दर देना चाहें वह बता दें ताकि राज्य सरकार इस पर अपना पूरा जवाब जो भी देना चाहें दे दे। आप फर्मा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जो मैं स्पष्ट क्लीयरीफिकेशन चाहता हूं उसमें कई मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जिसका संबंध राजस्थान सरकार के कई विभागों से है। उसका संबंध राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों से है तथा इसके अलावा उसका संबंध एक ही विभाग से नहीं होकर कई विभागों से है इसमें उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, जनसम्पर्क विभाग से है। यह सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इस सैक्स स्केन्डल में सम्मिलित हैं और इस सैक्स स्केन्डल ने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
राजस्थान की धरती और राजस्थान की सरकार को पिछले फोर्ट नाइट से रॉक किया है। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय जो भी स्टेटमेंट दें उसमें मैं यह प्रश्न रखना चाहूंगा, उसकी जानकारी चाहूंगा। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण हैं वह यह है कि 12 तारीख की रात्री को.......

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अगर आप चाहते हैं कि यह सभी मुद्दे उस स्टेटमेंट में आ जांय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है आप मुझसे जो भी मुख्य मुख्य बातें जानना चाहते हैं यहां बता दें मैं उनको भी उसमें समावेश कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : वही बात कर रहे हैं। एक ही बात दोहरा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या 12 तारीख की रात्री को राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री मुन्नालाल गोयल वहां पर हाजिर थे।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

आरोप लगाने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : क्या है आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री विजयसिंह : If the matter is subjudice, can this be discussed on the floor of the House ?

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं सका आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, आप वापिस बोलें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि यह केस सबज्यूडिस है इसलिये इस मामले को सदन में डिसकस नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी बातों पर निर्णय दे दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे आप बतायेंगे उनकी मर्यादाओं में रह कर गवर्नमेंट जो भी सही जवाब होगा उसे देने में राज्य सरकार को कोई भी ऐतराज नहीं हैं। गवर्नमेंट कुछ भी छुपाना नहीं नहीं चाहेगी। आप जो भी सूचना चाहेंगे, जो भी व्यू पाइन्ट आप अपना रखेंगे उन मुद्दों पर गवर्नमेंट मर्यादाओं में रह कर अपने व्यू पाइन्ट रखेगी।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंन्ट भी क्लीयर है वह भी जवाब देने को तैयार है तो आज जब बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का मीटिंग होगी तब उसमें निर्णय ले लेंगे कि गवर्नमेन्ट किस समय वक्तव्य देना चाहेगी उसके लिये समय निर्धारित कर लिया जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा :— अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जब भी अपना वक्तव्य दे उसमें स्थिति का स्पष्टीकरण करे। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि क्या 12 तारीख की रात्रि को श्री मुन्नालाल गोयल लघु उद्योग निगम के मैनेजिंग डाईरेक्टर जोधपुर में वहां पर हाजिर थे।

श्री हरिदेव जोशी : इस तरह से यह इश्यू खत्म नहीं होगा अतः मुझे तो यही निवेदन करना है कि आपको जो भी फरमाना हो वह

(श्री हरिदेव जोशी)
आप अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा वहां पर चर्चा कर लेंगे और जिन मुद्दों के बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं उनका गवर्नमेंन्ट मर्यादाओं में रह कर राज्य सरकार जवाब दे देगा। इस तरह से तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ भी अर्थ निकलने वाला नहीं है। मैं, स्टेटमेन्ट में जो भी आप मुद्दे उठायेंगे उनका जवाब दे दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप स्टेटमेंन्ट देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आज स्टेटमेन्ट की मांग की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं उन्हें रखा जाय।

श्री हरिदेव जोशी : I have a right to say' 'No' then.

श्री गुमानमल लोढ़ा : You can say 'No' or whatever you like.

श्री भानुकुमार शास्त्री : We will say yes.

श्री हरिदेव जोशी : you can say no.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें न तो आपके नो कहने का प्रश्न है और न इनके हां कहने का प्रश्न है यह तो मेरा निर्णय लेने का प्रश्न है। मैं निर्णय लेकर आपको सूचित कर दूंगा। बिला वजह से गर्मी लाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बताना है वह बता दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, गर्मी लाने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय मेरा तो स्पष्ट सवाल है कि क्या मुन्नालाल गोयल जो कि लघु उद्योग निगम के मैनेजिंग डाईरेक्टर हैं पाली से 12 तारीख की रात्री को श्री कन्हैयालाल जैन, श्री जगमोहनलाल ताम्बी, श्री ओमप्रकाश के साथ वहां के उद्योग विभाग के कोई कार्यक्रम को पूरा करके जोधपुर आये थे। और वहां से आने के पश्चात् उन लोगों ने लघु उद्योग के कार्यालय में आये और इस लघु उद्योग निगम के कार्यालय में श्री ओमप्रकाश, जगमोहनलाल ताम्बी, श्री कन्हैयालाल जैन और श्री रामगोपाल ने वहां पर दो युवतियों के साथ जिसमें एक जेठी और दूसरी कमला नाम की लड़की थी। वह लोग वहां पर उनके साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गये। यह स्पष्टतौर से बतायें। इसका स्पष्टीकरण दें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या लघु उद्योग निगम के मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री मुन्नालाल गोयल उस वक्त वहां पर जोधपुर में हाजिर थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह क्या प्रश्न है आप का आप भी जोधपुर में थे उस दिन अध्यक्ष महोदय, यह तो जनसंघ का स्टन्ट था उन्होंने मिली भगत करके यह सारा काण्ड करवाया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आपने रापट उस्ताद से यह सारी सांठ-गांठ करके यह सभी नहीं कराया था।

(शोरगुल, व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग निगम के कार्यालय को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है । और यह सारी मुन्नालाल गोयल की जानकारी में था ।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्न सिह : आपने तो [XXX] बोलने का ठेका ले रखा है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : [XXX] बोलने का ठेका तो ले रखा है, सच जो भी होगा वह सामने आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आप जो भी सूचना चाहते हैं वह मुख्य मुख्य बातें बता दें । निर्णय तो मैं दूंगा जो भी फर्दर सूचना आपको पूछना हो वह बता दीजिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा तो यह है कि क्या जोधपुर में लघु उद्योग निगम के कार्यालय में जो व्यभिचार काण्ड हुआ उस समय श्री मुन्नालाल गोयल वहां थे क्या उनका कोई संबंध था मैं यह जानकारी चाहता हूं ? अध्यक्ष महोदय, श्री गोयल की जानकारी में होते हुए भी वह इस काण्ड को रोकने में असमर्थ थे । क्या वह उसमें लिप्त थे ? अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा काण्ड हो गया और उसमें राजस्थान के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे । श्री कन्हैयालाल जैन, श्री ओमप्रकाश ताम्बी, श्री रामगोपाल, श्री जगमोहनलाल ताम्बी थे । आज अध्यक्ष महोदय जोधपुर में पुलिस वाले छोटे छोटे केसेज में गुब्बे वाले कभी पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को हथकड़ियां पहना कर बाजार में घुमाया जाता है लेकिन इतना बड़ा काण्ड हो गया और राजस्थान के इतने प्रभावशाली लोग व्यभिचार करते हुए पकड़े गये लेकिन उनको हथकड़ियां डालकर नहीं घुमाया गया जबकि उनका ऑफेन्स इण्डियन पीनल कोड की धारा 366-ए के तहत आता है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेन्स है और उसकी सजा दस साल की है अध्यक्ष महोदय वह केस संशन्स को सुपुर्द होना चाहिये था उनकी जमानत पुलिस ने किस प्रकार से ले ली । इस पर किस व्यक्ति का प्रेशर पुलिस पर था जिससे कि पुलिस ने उन लोगों की वहीं पर ही जमानत ले ली । इसमें क्या मन्त्रिमण्डल स्तर पर से या और, ब्यूरोक्रेसी के स्तर से या राजस्थान के बाहर से किसी का दबाव लाया गया कि जिससे कि इन लोगों की बावजूद व्यभिचार काण्ड में लिप्त होने के और सैक्शन 366-ए के अन्दर लिप्त होने पर भी जो कि नॉन-बेलेबल ऑफेन्स है उनकी जमानत ले ली गयी । अध्यक्ष महोदय यह सारा किस प्रकार से हुआ, इसमें कौन व्यक्ति था जिसने यह सारी कार्यवाही इसकी भी मैं जानकारी चाहूंगा । यह सारा का सारा काण्ड जो हुई है उसमें पुलिस द्वारा कोई मुकम्मिल कार्यवाही नहीं की गयी । दफा 164 के तहत जो बयान दिलाये जाने चाहियें वह नहीं दिलाये गये इसमें ऐसा कौनसा प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने प्रशासन पर दबाव किया । आज आपका जनसम्पर्क विभाग इस सारे काण्ड के लिये मौन क्यों है आज जब भी आपके मन्त्री महोदय कहीं जाकर भाषण देते हैं तो उसके लिये जनसम्पर्क विभाग द्वारा उसके लिये पत्र निकलते हैं

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अगर आपके मन्त्री जी को आधे घन्टे तक छींकें नहीं आती हैं तो आपके जनसम्पर्क विभाग की विज्ञप्ति निकलती है। पत्र निकलते हैं इस सारे काण्ड के लिये क्यों आपका जनसम्पर्क विभाग मौन रहा। प्रेस नोट निकलते हैं पर इस सारे घिनौने काण्ड की कोई सूचना नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय यह सारा काण्ड कीलर काण्ड से कम नहीं है। इस सारे काण्ड की राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में तथा हमारे देश के प्रमुख साप्ताहिक पत्र ब्लिट्ज तक में इस सारे काण्ड का वृतान्त आया था पर आपका जनसम्पर्क विभाग इस बारे में मौन रहा। राजस्थान के जनसम्पर्क विभाग से 12, 13, 14, 15, 16 तारीख तक कोई समाचार नहीं छपा, आकाशवाणी से भी कोई समाचार नहीं सुनायी दिये सभी समाचार पत्रों के मुख बन्द कर दिये गये अध्यक्ष महोदय यह सारा किसने किया। इसके पीछे कौन है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय तारीख 18 और 19 तारीख को जब मैं विजिलेन्स कमेटी में गया तब मैंने यह सवाल वहां पर उठाया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

इस केस में माननीय गुमानमल जी एडवोकेट हैं, वकील हैं, और क्या यहां पर वकील की हैसियत से प्लीड कर सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : I want you ruling, Sir

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपने उठाया वह काफी महत्वपूर्ण है और कोई आदमी किसी केस में वकील हो वहां यहां पर बहस कर सकता है या नहीं कर सकता है। मुझे इस पर अपनी रूलिंग रिजर्व रखनी पड़ती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं केस के बारे में बात नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : मैंने रूलिंग रिजर्व रखी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सदन में इस प्रकार की बातें कह रहे हैं....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह न समझें कि हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप खुद वकील हैं, और आप भी जानते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस केस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इस पर नहीं बोल रहा हूं।

व्यवस्था का प्रश्न आरोप लगाने की प्रक्रिया

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि सदन के सदस्य नहीं हैं, हमारे प्रक्रिया और नियमों के अनुसार, उनके विषय में बोलने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को नोटिस देना चाहिये और उस सूरत में देना चाहिये था जब कि डाक्यूमेन्टरी साबित होता है। इस पर पहिले ही चेयर की ओर से निर्णय होना चाहिये था। यह हुआ है या नहीं ? इतने चार्ज अदम

(श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी)

मौजूदगी में सदन के अन्दर रखे जायं क्या ये प्रक्रिया और नियमों के अनुसार वाजिब है ? जो व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मौजूद नहीं है ? माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, केस सबजूडिस है। क्या वे रख सकते हैं ? तीसरा प्रश्न यह है कि एक लायर इस केस को यहां प्लीड कर सकता है ? ये अहम सवाल है । मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष से कि उन पर निर्णय होने के बाद ही बहस हो ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट इस केस को बहुत इम्पोर्टेन्स देकर चलती है। मैं इस प्रकार के केसेज को पब्लिक लाइफ के लिए कम महत्व देकर नहीं चलना चाहता हूं । इसलिए गवर्नमेन्ट के पोइन्ट ऑफ व्यू को, आप ओपोर्चूनिटी देंगे तो जरूर रखना चाहेंगे। परन्तु इसकी जो लीगल पोजिशन है उसके बारे में आप ही देख लें । मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के खड़े हो रहे थे उनके और गवर्नमेन्ट के बीच में कहीं कोई डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन नहीं है पब्लिक स्केन्डल्म को कन्डेम करने के लिये और इसको मर्सीलिसली कर्ब करना चाहिये इसमें कहीं कोई उनके हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिये गवर्नमेन्ट जो कुछ कर सकती थी या क्या करना चाहिये था; आप इजाजत देंगे तो स्पष्ट करूंगा । इसलिये मैंने निवेदन किया था कि कुछ मर्यादाओं पर चर्चा हो जाय चेम्बर में तो आप फिर कुछ कहें तो उचित होगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा उस सम्बन्ध में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन यह निर्विवादित बात है, माननीय सदस्य श्री गुमानमलजी लोढ़ा एक वकील हैं । उनके पास कई मुकदमे रहते हैं । लेकिन उनकी ड्युल पोजिशन है । एक पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव के नाते, एक एम. एल. ए. के नाते, किसी केस के बारे में मोटे 2 इश्यूज मुद्दे उठायें मेरे ख्याल से, माननीय सदस्य कोई कानून की अवहेलना नहीं करते हैं ।

उसके साथ-साथ बहुत अदब के साथ में हमारे सामने सम्माननीय सदस्य विराजे हुए हैं उन्हें भी निवेदन करूंगा कि पब्लिक कन्डक्ट के मामलों पर खड़े हो कर तरह तरह की आपत्तियां उठाना, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी पार्टी के लिये शोभाजनक नहीं कहा जा सकता ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने खुद ने स्पष्ट निवेदन किया है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्रीजी, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं। लेकिन आपके पीछे कई एक नौजवान बैठे हुए हैं, लम्बे लम्बे हाथ करके न जाने उन्होंने क्या क्या कहा है। विधान सभा के गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर डाकू आकर बैठे । पुलिस का रवैया कुछ हो । डाकू को गिरफ्तार किया जाय और दो मिनिट के बाद ही रवैया पलट जाय यह क्या शोभनीय व्यवस्था है सरकार के लिये, यह दुःख और अफसोस की बात है । माननीय सदस्य यदि मुख्य मुद्दे उठा कर कहते हैं तो उनको सहन करना चाहिये, उदारतापूर्वक सुनना चाहिये । वे कहें, - लेकिन सन्तुलित रूप से कह सकते हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चेम्बर में जाकर बात करके समस्या का हल निकाला जाय । लेकिन

(श्री लक्ष्मण सिंह,

विरोधी पक्ष को अपना कर्त्तव्य पूरा करने दें। पब्लिक स्केन्डल के सम्बन्ध में मोटे मुद्दे उठाना चाहें तो उनको उठाने दें। वे रख सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, लोक सभा में या किसी रिप्रेजेन्टेटिव इन्स्टीट्यूशन्स में इस तरह की आपत्ति नहीं होनी चहिये कि माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो उनको कहने नहीं दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जनता मोर्चे के माननीय सदस्य को कहीं कोई गलतफहमी मालूम होती है ऐसा मालूम होता है। रूलिंग से पहले गवर्नमेंन्ट ने ऑफर कर दिया था। आपने मांग की और मैंने उसको तुरन्त स्वीकार कर लिया। जो मर्यादा आप देंगे मैं उसका मान लूंगा। गवर्नमेंन्ट का इन्टेन्शन और उसका एप्रोच बिलकुल क्लीयर है। रह जाता है मर्यादा का प्रश्न वह आपको निर्धारित करना है।

आरोप लगाने की प्रक्रिया पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया था। दो बातें उन्होंने उठायीं। एक तो यह प्रश्न था कि कोई माननीय सदस्य किसी मुकदमे में वकील हों तो यहां उस मुकदमे के सम्बन्ध में बोल सकता या नहीं बोल सकता है। इसका तो मैंने निर्णय दिया था कि रूलिंग रिजर्व रखता हूं। उसका फंसला सदन में दिया जावेगा।

दूसरा, आपका व्यवस्था का प्रश्न यह था कि क्या किसी व्यक्ति के बारे में, जो यहां मौजूद नहीं है, कोई लांछनपूर्ण बात कही जा सकती है। दूसरा प्रश्न यह था। उसके बारे में नियमों में स्थिति यह है कि चाहे थर्ड पर्सन हो, बाहर का आदमी हो चाहे सदन का सदस्य हो, यदि उसके प्रति डिफेमेटरी और इन्क्रीमिनेटरी कोई बात कही जाय तो उसके लिये पहले सूचना देना जरूरी होता है। तो उसके लिये पहले सूचना देना जरूरी होता है कि किन तथ्यों पर क्या क्या मुद्दे लाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे जो नियम हैं उनमें नियम 273 रिलेवेन्ट हैं, मैं सुना देता हूं:—

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose or reply."

तो जहां तक एलीगेसन्स का ताल्लुक है बिना सूचना के इन्क्रीमीनेटरी या डिफेमेटरी स्टेटमेंन्ट नहीं दे सकते हैं। प्रश्न तो यही था। इससे अलग मैं सुझाव दे रहा हूं कि इस विषय पर मैंने दोनों तरफ की भावनायें मालूम की है और जैसा सदन के माननीय नेता महोदय ने कहा है, सदन में वक्तव्य देने को तैयार हैं, बातचीत करने को, डिस्कशन करने को तैयार हैं। वह दो दफा न हो और एक दफा ही हो जाय, क्योंकि समय कम है, तीन दिन हैं इसलिये अधिक से अधिक समय निकालकर जो सबके हित में होगा, कर लेंगे। इसलिये जो मुद्दे देने

(श्री अध्यक्ष)

हैं और जो नई सूचनायें आप चाहते हैं, हम चेम्बर में मिल लेते हैं वह दे दीजिये और उसके बाद नहीं पर निर्णय कर देंगे कि किन किन मुद्दों पर आपको विशेष सूचना देनी है और कब सूचना देनी है, यह निर्णय भी सुना देंगे।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था दी है, वह तो शिरोधार्य है लेकिन व्यवस्था देने से पहले मेरी भी सुन लेते तो अच्छा होता और सबसे अहम प्रश्न है कि किसी प्रश्न पर व्यवस्था दी जाय और जब किसी विशिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन हा रहा हो तो जो व्यक्ति उस प्रश्न को उठा रहा है उसके विचार और तर्क सुनने चाहियें लेकिन जहां तक पहले दो प्रश्नों की आज्ञा फरमाई है एक तो यह है कि जनता के एडवोकेट के नाते वहां पर इस व्यभिचार के काण्ड में पैरवी हो प्रोसीक्यूशन की ओर से उसमें मेरा जो योगदान है क्या वह विधायक के नाते जो मेरा कर्तव्य है जन जीवन में जो स्केण्डल है और जो व्यक्ति जिम्मेदार है उनको उचित सजा मिले इसमें कोई कन्फ्लिक्शन (Confliction) आता है, मैं नहीं कहूंगा उस पर आप निर्णय दे देना। उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है और उसके बारे में न अभी कहना चाहता हूं और न बाद में कहूंगा क्योंकि वहां भी जनता की ओर से मैं जो रखना चाहता हूं और यहां पर भी यही बात रखना चाहता हूं। वहां पर एडवोकेट के नाते और यहां पर विधायक के नाते लेकिन जो आप आज्ञा देंगे मैं निभाऊंगा। अब जो मुद्दे मैंने श्रीमान के सामने रखे हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय या राज्य सरकार की ओर से जहां तक मानहानि का प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं है। अपमानजनक शब्द न मैंने कहे हैं और न ही मैं कहूंगा। मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से कि व्यभिचार काण्ड वहां 12 तारीख का था और जहां काण्ड हुआ वहां राजस्थान लघु उद्योग निगम का बोर्ड लगा हुआ था जिसकी फोटो मेरे पास है और सबके पास है वह यकायक 13 तारीख को बोर्ड गायब हो गया और कार्यालय भी गायब हो गया। वह कार्यालय वहां से दो फर्लांग शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं यह जानना चाहूंगा क्या यह सारा का सारा मामला रामगोपाल ने अपने स्तर पर किया है या किसी उच्च स्तर पर कहने से किया है। वहां से बोर्ड किस प्रकार हटा दिया गया, किस प्रकार फर्नीचर निकल गया यह सब एक रात में कैसे एवोपरेट हो गया। मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी का फोन गया या अन्य किसी व्यक्ति का फोन गया लेकिन यह एक इम्पारटेंट इवेन्ट है जिसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अगर यह रामगोपाल ने खुद ने कर लिया है तो क्या राज्य सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की है।

हम यह जानना चाहेंगे यदि उसमें उच्च स्तर के लोग थे क्योंकि उस रात को उस बोर्ड के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी वहां मौजूद थे क्या उनकी कन्सेन्ट से किया गया और क्या उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं और हायर करने का अधिकार किसको था और पुरानी डेट में, रेन्ट डीड या कोई चीज बनाई गई। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जन जीवन में इस प्रकार के स्केण्डल को सख्ती से दबाने के लिये अगर उनका एक मत है तो फिर कथनी और करनी में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फर्क नहीं होना चाहिये । यह एक फैक्ट है जो एस्टाब्लिश है। अध्यक्ष महोदय मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहूंगा जैसाकि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है तो क्या कारण है कि जब अभियुक्त आते हैं उस समय पुलिस की एक कार आगे और एक कार पीछे जाती है और पाइलेट कार में जाते हैं और फिर उनको सी-ऑफ करने के लिये अधिकारीगण जाते हैं। पुलिस को एक हजार की तादाद में रखा गया यह तो समझ में आता है कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, कातिल की, मुलजिम की, उसकी व्यवस्था की जाय लेकिन वी. आई. पी. की तरह उसको ट्रीट किया जाय और पाइलेट कार आगे रखी जाय, पीछे रखी जाय और एक एक घंटे तक पुलिस का प्रवेश न हो तब तक मुलजिमों का भी प्रवेश न हो, मैं समझता हूं श्रीमती इन्दिरा गान्धी भी जब अपने चुनाव याचिका में जाती हैं तो उसमें एक मिनिट की देरी नहीं होती थी और इसी तरह सुखाड़िया साहब को भी मैंने देखा है जब वे भी कभी आते थे तो एक मिनिट भी को लेट नहीं हुये और ये अभियुक्त इस प्रकार की लिबर्टी लें, राज्य सरकार इसका पूरा स्पष्टीकरण करेगी। इसके साथ ही मैं वह कहूंगा कि आपका जन सम्पर्क कार्यालय इतने बड़े स्केण्डल के लिये चुप क्यों है? यहां अध्यक्ष महोदय एक दैनिक समाचार पत्र है राजस्थान का उसमें इस बात को लेकर यह कन्ट्रोवर्सी हुई कि यह समाचार छपने चाहिये या नहीं छपने चाहियें । क्या आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये और इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी हुई लेकिन जन सम्पर्क विभाग आपका बोले नहीं और किसी प्रकार का समाचार आप रीलीज नहीं करें तो क्या कोई मंत्री महोदय भी इसमें शामिल हैं, इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये और इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये कि ऐसे केसेज में राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रान्सफर एप्लीकेशन हुई और स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडवोकेट जनरल है, गवर्नमेंट एडवोकेट जो बालोतरा से आये हैं जो सबसे पहले ऐडवोकेट हैं, डिप्टि गवर्नमेंट एडवोकेट भी हैं-मोहम्मद नाम है, मैं भूल जाता हूं ऐसे ऊंचे मामलों में पैरवी करे तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के ऊंचे स्तर के ऐडवोकेट क्यों नहीं जाते हैं इसमें किसका हाथ है यह भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये । जनता में इस बात की भ्रान्ति होती है और अब भ्रान्तियों को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है कि विधायक निवास में एक साल पहले एक इसी प्रकार की घटना घटी और जोगेन्द्र नाम की लड़की को उस घटना के पीछे हत्या करनी पड़ी। एक क्या अनेक प्रकार के ऐसे सवाल हैं, कांग्रेस के विधायकों को भी मैं समझता हूं समर्थन देना चाहिये। सारा विवेचन आना चाहिये ताकि जनता के सामने स्पष्टीकरण हो जाय कि राज्य सरकार किस स्तर पर क्या करना चाहती है और राज्य सरकार वास्तव में मजबूती के साथ, कानून में जो कठोरता होनी चाहिये उसका पूर्णतया पालन करे । राज्य सरकार की कथनी और करनी में फर्क नही होना चाहिये। इधर केवल इन पर मुकदमा चलायेंगे और कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी लेकिन एक साधारण व्यक्ति को जेल में डाल देंगे, इतने बड़े स्केण्डल में लीपा पोती करने की कोशिश करेंगे। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
चेयरमैन हैं सांघवी, मैं उसमें यह जानना चाहूंगा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में जो पद है डायरेक्टर है या क्या है उस पर से आपने हटाया या नहीं। ऐसे व्याभिचारी व्यक्ति आज भी विद्यमान हैं। रामगोपाल को आपने किस तारीख से हटाया और यदि हटाया है तो जो इसमें विलम्ब हुआ है वह क्यों हुआ है और सस्पेन्ड होने का कारण डी पी. आर. ने नहीं निकाला है। जनता में इसका भी भ्रम है। बातचीत के दौरान अवश्य मंत्री जी ने कहा है कि मैंने सस्पेन्ड कर दिया लेकिन आपका जन सम्पर्क कार्यालय आज भी इस विषय पर मौन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और मैं आज्ञा को शिरोधार्य करके बैठ जाता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने धैर्य को एग्जास्ट करें मैं समझता हूं कि मैं अपने स्थान पर बैठ जाता हूं और आशा करता हूं कि इस पर पूरा का पूरा विवेचन आयेगा तो जनता में जो विचारधारा है, जो आम धारणा बनी हुई है कि इसमें मंत्रिमंडल है या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं और कहा कि जैन साहब तो कपूर के यहां बैठे हुए हैं दिल्ली में और वहां से टेलीफोन हुआ है, वहां से बातचीत भी हुई। यह कपूर साहब कौनसे हैं इसका तो मैं नहीं कह सकता। किसी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी के यहां दावत हुई ...

श्री अध्यक्ष : सुनी-सुनाई बात नहीं कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस सारे के सारे के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप इसे डिबेट क्यों बनाना चाहते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : डिबेट नहीं बनाना चाहता हूं। केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं और एक मिनट भी नहीं लूंगा। मैं केवल तीन प्रश्न रखना चाहता हूं। जिस समय जवाब दें उस समय इनका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह आज का विषय नहीं है। आप पूछेंगे तो और भी पूछेंगे तो किस किस का जवाब आयेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से बता दें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा (श्री भालचन्द्र गोस्वामी) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) विधेयक, 1975,

Page No 54

(54)

(श्री सचिव)

2. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975।

(3) राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975।

(4) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक 1975।

(5) राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975।

(6) राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975।

(7) राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975।

(8) राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975।

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राइवेट विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1975) व भारतीय विद्युत (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1975) को सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य होटल्स निगम का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनायें

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या 21(3)राज./उप/74, दिनांक 9 अप्रेल, 1975,

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) राज./उप/73, दिनांक 9 अप्रेल, 1975,

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) राज./उप/73, दिनांक 9 अप्रेल, 1975,

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) राज./उप/75, दिनांक 9 अप्रेल, 1975,

(5) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) राज./उप/75, दिनांक 22 अप्रेल, 1975,

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राजस्व/उप/75, दिनांक 11 अप्रेल, 1975,

(श्री राजस्व मंत्री)

(7) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राज/उप./75, दिनांक 30 अप्रेल, 1975।

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को 'क्रोस एग्जामिनेशन' पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

स्वीकृत

(समय बढ़ाया गया)

अधिसूचनायें

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या 1(3)(21) परि./74, दिनांक 7 दिसम्बर, 1974,

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (41) परि./72, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974,

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (45) परि./72, दिनांक 6 नवम्बर, 1974, (ये अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 (केन्द्रीय अधिनियम 4, सन् 1939) की धारा 133 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण उन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायेगा)

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (84) परि./74, दिनांक 31 दिसम्बर, 1974।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि उक्त विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

स्वीकृत

(समय बढ़ाया गया)

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मन्त्री). अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राईवेट विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

(विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राईवेट विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान प्राइवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 7 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

(विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय विद्युत (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प

श्री. पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक इनफर्मेशन चाहता हूं। आपने परसों फेमिन के ऊपर डिसकशन रखा है। हम चाहते हैं कि फेमिन के संबध में गवर्नमेंट की तरह से अप-टू-डेट इनफर्मेशन या कोई स्टेटमेन्ट सरकुलेट कर दिया जाये और हमको यह मालूम हो जाना चाहिए कि 30 अप्रेल तक कितने लेबर फेमिन पर काम कर रहे हैं और 30 अप्रेल तक डिस्ट्रिक्ट-वाइज कितने वर्क्स मन्जूर किये हैं। यह इनफर्मेशन हमारे पास कम से कम डिसकशन से पहले अवेलेबल हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प

शासकीय संकल्प

संविधान (38वां संशोधन) विधेयक, 1975 का अनुसमर्थन

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह कि यह सदन, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के

(श्री हरिदेव जोशी)

क्षेत्र के अन्तर्गत संविधान (38वां संशोधन) विधेयक, 1975 द्वारा भारत के संविधान के प्रस्थापित संशोधनों का, जैसा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और जिसके द्वारा सिक्किम को संघ का एक राज्य बनाना लक्षित है एवं जिसके संक्षिप्त नाम को 'संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 में' परिवर्तित किया गया है, अनुसमर्थन करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र भारत के सिक्किम क्षेत्र के अन्दर पिछले वर्षों में जो घटनायें घटी हैं उससे भली-भांति परिचित है। सिक्किम भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर अवस्थित एक छोटा सा भू-भाग है जिसमें वहां के चोग्याल का शासन था। पिछले, दिनों चोग्याल के शासन के विरोध में वहां बहुत बड़े बड़े आन्दोलन हुए और सिक्किम कांग्रेस के नेतृत्व के अन्दर प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए मांग आई। भारत सरकार और चोग्याल के बीच में लम्बी वार्तालाप हुई और उसके परिणामस्वरूप सिक्किम के लिए एक नये संविधान को स्वीकार किया गया। वहां की संविधान सभा की स्थापना हुई जिसमें बहुत बड़ा बहुमत प्रजातंत्रवादी शक्तियों को मिला। चोग्याल को एक संवैधानिक हैड ऑफ दी स्टेट का दर्जा दिया गया और उसके बाद में जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा ने सर्वोच्च दर्जा प्राप्त किया। किन्तु ऐसा लगता है कि चोग्याल अपनी स्थिति में रीकन्साइल नहीं कर सके और उनके और जनता के बीच में तनाव बढ़ता ही चला गया। जो लोग चुनाव में बुरी तरह से हारे थे वे चोग्याल की मदद से वहां पर षडयंत्र करते गए और इतना बड़ा तनाव उस भू-भाग में आया जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था। निर्वाचित सरकार और चोग्याल एक दूसरे की शिकायत करते रहे और उसका परिणाम आज हमारे सामने ही है। चोग्याल जब नेपाल गए और नेपाल से वापस आ रहे थे तब आते समय उनके रक्षकों ने वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों में से कुछ पर बुरी तरह से हमला किया। वहां के जन प्रतिनिधियों की हत्या के षडयंत्र रचे गए और ऐसा मालूम पड़ने लगा कि यदि यह सिलसिला और अधिक समय तक जारी रहेगा तो उस भू-भाग के अन्दर तनाव और भी बढ़ेगा। इसको ध्यान में रख करके और वहां की निर्वाचित विधान सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अन्दर चोग्याल के पद को समाप्त करके और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में एक भाग, हिस्सा बनाने की मांग की गई। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इसलिए उस परिवर्तन को रैफरेंडम के जरिये स्वीकार कराया जावे।

अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव के बाद में रैफरेंडम हुआ और बहुत बड़े बहुमत से विधान सभा के उस निर्णय को सिक्किम की जनता ने स्वीकार किया, अपनी सहमति दी। सिक्किम की सरकार ने, सिक्किम के नेताओं ने भारत सरकार से और भारत की जनता से यह प्रार्थना की कि उनकी इस मांग को तत्काल ही कार्य रूप में परिणित किया जावे क्योंकि यदि अर्से तक स्थिति बनी रही तो राष्ट्र के उस हिस्से के अन्दर और दुर्घटनाएं घटने की सम्भावना हो सकती हैं। जब सिक्किम के नेता यहां पर,

(श्री हरिदेव जोशी)

पूरा का पूरा मंत्रि मण्डल यहां पर आया, प्रधान मंत्री, विदेशमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे लोगों से मिला तब प्रधान मंत्रीजी ने इसकी अहमियत को समझा और प्रधान मंत्रीजी ने देश के अन्दर जितने भी विरोधी पक्ष हैं उन सब की मीटिंग बुलाई और बुला करके उनके समक्ष सिक्किम का जो क्राइसिस था उनके सामने रखा। लगभग सारे ही विरोधी दलों ने उस स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और सिक्किम की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अपनी भी सहमति इस बात की ओर प्रकट की कि सिक्किम को पूर्णरूप से भारत के एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों में एक संशोधन विधेयक आया। वह संशोधन विधेयक वहां पर स्वीकार कर लिया गया और क्योंकि इस प्रकार के संशोधन के लिए भारतीय गणराज्य के दूसरे राज्यों को रेक्टाफाई करना चाहिए, इसलिए आज यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय, सिक्किम की जनता ने भारत की जनता से यह मांग की है, उनकी, जनता की भावनाओं की कदर की जानी चाहिये और उनके ऊपर एक प्रकार का अलोकतांत्रिक चोग्याल का जो जुआ है उसे उखाड कर फेंक दिया जाना चाहिये। भारतीय संसद के दोनों सदनों ने उनकी इस भावना की कदर की है और आज यह प्रश्न राजस्थान विधान सभा के समक्ष भी उपस्थित है। इस प्रस्ताव के जरिये मैं इस सदन से और आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और सिक्किम जनता की भावनाओं की कदर करे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिक्किम भारत के एक अंग के रूप में अधिक से अधिक विकसित होगा। वहां की लोकतांत्रिक भावनाओं को बल मिलेगा और वहां की जनता, भारत की जनता के साथ में एकरूपता महसूस करेगी, अपने आपको सन्तुष्ट अनुभव करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने सिक्किम की जनता के द्वारा भारत गणराज्य में अपने आपके विलीनिकरण का जो प्रस्ताव किया, भारत की जनता के सामने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया, भारत की जनता को जो आगाह किया कि वहां पर जिस प्रकार से, वहां की जनता पर अत्याचार किए जाते थे और कई प्रकार के षडयन्त्र चल रहे थे जिसके कारण से पहले की स्थिति में जिस प्रकार से छोटा सा लोकतन्त्र का दिखावा मात्र था उसको समाप्त करके सही लोकतन्त्र की स्थापना की जाय, उसको भारत की जनता ने उस बढ़े हुये हाथ को स्वीकार किया है और आज उस ही को, राजस्थान उस बढ़े हुये हाथ को स्वीकार ही नहीं करता बल्कि सिक्किम की जनता से इस बात का संकल्प करना चाहता है कि हम आपके सुख-दुःख के साथ उसी प्रकार से भागीदार हैं जैसे उत्तरप्रदेश, पंजाब या केरल के साथ में होता है और सब मामलों के अन्दर चाहे वह किसी प्रकार का विकास का मामला हो, चाहे किसी प्रकार की सुरक्षा का मामला हो भारत में सिक्किम एक प्रदेश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के नाते अब व्यवहृत होगा, हम इस संकल्प को स्वीकार करते हैं।

(10.57 म. पू.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो यहां पर आया है, 1947 के पश्चात् जब भारत स्वतन्त्र हुआ, विभिन्न रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था, भारत के लोहपुरुष सरदार पटेल का स्वप्न था और उस समय यदि सरदार पटेल और उस समय के प्रधान मंत्री में विवाद नहीं हुआ होता तो शायद उसी समय सिक्किम का भारत में इस प्रकार से विलीनीकरण हो जाता। यह मैं केवल इतिहास का एक प्रसंग रखना चाहता हूं। लेकिन आज यह बहुत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि भारत के उस लोह पुरुष का स्वप्न साकार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आज हम सिक्किम को भारत के अन्दर अपने साथ में पाकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं और सिक्किम की जनता का बधाई भेजना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को अपना कर उन्होंने अपने यहां लोकतन्त्र को प्रस्थापित किया और भारत के महान लोकतंत्र में भागीदार बनने का संकल्प किया, वहां आज इस समय आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे उन भाइयों की ओर भी देखें, चाहे वह चीन के द्वारा भारत के जो बहुत बड़े भू-भाग पर सन् 62 के युद्ध के उपरांत विलीनीकरण कर लिया गया और जो भारत के उस भू-भाग के अन्दर चीन के द्वारा शोषित किए जाते हैं और वहां पर गुलामों की तरह रहते हैं उनको भी हम आजाद और स्वतंत्र करा कर भारत का अंग बनाने के लिए आज हमें इस बात का संकल्प करना चाहिये। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस भावना को हम अपने ध्यान में रखें कि हम हमारे देश का सब प्रकार का विकास और कम से कम जिस स्वरूप में हमारा देश था उस स्वरूप में फिर से, उस पर जिन व्यक्तियों ने जहां कहीं पर कब्जा किया है, चाहे कश्मीर का आधा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, चाहे तिब्बत के अन्दर चीन का कब्जा हो, चाहे हमारे नेफा के अन्दर चीन का कब्जा हो, यह सारे के सारे स्थान भारत के अभिन्न अंग हैं, उनको फिर से अपने साथ करें, इसके बारे में अपने आपको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के माननीय नेता महोदय ने बताया कि सिक्किम की जनता इस बात का संघर्ष करती रही, नेपाल की यात्रा के बाद चोग्याल के वापस आते समय जिस प्रकार की दुर्घटना घटी काफी गोलीकांड हुआ और चोग्याल के अंगरक्षकों ने ऐसा चक्कर चलाया और उनका ऐसा षडयन्त्र पाया गया कि चोग्याल के अंगरक्षक वहां पर हिंसा की योजनाएं बना रहे हैं तो भारत सरकार को यह साहसिक कदम उठाना पड़ा और यह साहसिक कदम लेने के लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, भारत की जनता को बधाई देना चाहता हूं और सिक्किम की जनता को बधाई देना चाहता हूं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो तकरीर रखी है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह उस संघर्ष की जो सन् 1947 में आरम्भ हुआ था, की आखरी कड़ी है और इसलिए केन्द्र की हुकूमत बधाई की पात्र है कि उसने उपयुक्त समय पर एक सही कदम उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, सिक्किम के चोग्याल आज भी हिन्दुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनकी पत्नी इस देश से बाहर बैठ कर इस किस्म का प्रोपेगण्डा कर रही है जिससे हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचने का अन्देशा है। उपाध्यक्ष महोदय, भूपेश गुप्त ने पार्लियामेन्ट में यह कहा था पता नहीं अमेरिका की बीवियां शादी होने के बाद अच्छी साबित होती हैं या तलाक देने के बाद अच्छी साबित होती हैं परन्तु यह बात तय है कि चोग्याल की जो अमेरिकी बीबी है वह शादी के बाद एक बहुत बड़ा षडयन्त्र कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 47 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त वहां की जनता ने इस बात की कोशिश की कि उनको भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा समझा जाये और उनको भी आजादी प्राप्त हो लेकिन चूंकि वह एक हमारी प्रोटेक्टेड स्टेट थी इसलिए हमने वहां पर अपनी फौजें चोग्याल की रक्षा के लिए भेजीं। उसके बाद सन् 50 में हिन्दुस्तान और सिक्किम में दुबारा समझौता हुआ। उस वक्त भी पहाडियों की दूरी को दूर करते हुए पूरी की पूरी जनता ने चोग्याल के महल को घेर लिया और यह मांग रखी कि उनको हटाया जाये लेकिन उस वक्त भी हमारी फौजों ने चोग्याल की रक्षा की। मैं इन्दिरा गांधी को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने जो भी संघर्ष जनता का हुआ, उसका उन्होंने पूरी तौर पर स्वागत किया और पिछले सदन में जब सिक्किम की जनता के रिप्रिजेन्टेशन का सवाल आया तो यहां से भी उसका स्वागत किया गया और अब जब यह सवाल आया, यह सवाल उभर कर हिन्दुस्तान के सामने आया तो हिन्दुस्तान के लिए इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि वह सिक्किम को हिन्दुस्तान का एक हिस्सा करार दे। हम में से कुछ लोग, कुछ पार्टियां मुख्तलिफ खयाल की हो सकती हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग, पार्टियां मुख्तलिफ खयाल रखती हैं उनको भी इस बात पर गौर करना चाहिये कि जनता की आवाज को किसी भी कीमत पर कुचला नहीं जा सकता। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय यह सदन भी वाकिफ है, हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है 14 अप्रेल रैफरेन्डम, जनमतसंग्रह हुआ उसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिन्होंने हिन्दुस्तान के पक्ष में वोट दिये और यह संख्या 59635 थी, इतने लोगों ने रैफरेन्डम में हिन्दुस्तान में शामिल होने की राय दी और केवल 1046 लोगों के विपक्ष में मत पड़े। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को स्थापित करते हैं कि वहां की जनता आज से ही नहीं बल्कि सन् 47 से व्याकुल थी कि उन्हें भी हिन्दुस्तान का

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक हिस्सा समझा जाये। आज इन राजनीतिक दलों ने, मुख्तलिफ खयालों के लोगों ने यह सवाल उठाया था कि हम इस सिक्किम को, इस छोटी सी रियासत को अपने में शामिल करना चाहते हैं, वे इस पर गौर करें कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आज भी अमेरिकी साम्राज्यवादी और चीनी विस्तारवादी हमारे देश के ऊपर दुश्मनी की कड़ी नजर रखे हुए हैं और अगर हम उपयुक्त कदम तुरन्त न उठाते तो वहां की जनता इस तरह से मायूस होती और इस तरह की हालत पैदा होती कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती और यह छोटी सी रियासत चीन की विस्तारवादी नीति और अमेरिका की साम्राजवादी नीति का शिकार बन जाती। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए यह अर्ज किया चाहता हूं कि जो हमने रिप्रिजेन्टेशन दिया है वह मेरी समझ में ठीक नहीं है। उनका एक नुमाइन्दा पार्लियामेन्ट में आयेगा। बहरहाल यह मुनासिब समझा गया है लेकिन केन्द्र सरकार को यह भावना भी पहुंचायी जाये कि उनकी आबादी के प्रपोशनेट में यह एक नुमाइन्दा ठीक हो सकता है परन्तु किसी मुल्क को प्रिजेन्टेशन दें तो एक नुमाइन्दा वह अपने आपको आइसोलेटेड फील करेगा इसलिए उनके ज्यादा नुमाइन्दे होने चाहियें। इन्ही अल्फाज के साथ मैं इस तजवीज का स्वागत करते हुए और केन्द्र की हुकूमत को धन्यवाद देते हुए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, असल में चाहे सिक्किम हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो यह जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, इस हिमालय की नीति को अगर हम टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो सफलता नजर आयेगी लेकिन अगर हम इसको विशेष संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति सही दिशा में नहीं चल रही है। जहां तक सिक्किम का भारत में विलय का सवाल है, इस सवाल पर न तो सिक्किम की जनता का विरोध रहा है और न किसी का विरोध ही रहा है। इसमें भारत सरकार का अन्तर्द्वन्द ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह सवाल उलझा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको खयाल होगा, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, जब हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस, भूटानी कांग्रेस, और सिक्किमी कांग्रेस इसी तिरंगे झंडे के नीचे अपने यहां भी लोकतन्त्र के लिए वहां के शासकों से संघर्ष कर रही थी और उनको यह अपेक्षा थी कि हिन्दुस्तान की आजादी के साथ साथ उनको भी लोकतन्त्रीय व्यवस्था का समाज मिलेगा। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने अपनी अव्यवहारिक नीतियों के कारण, चाहे वह कश्मीर का सवाल हो, चाहे नेपाल या सिक्किम का सवाल हो, इनकी पेचीदगियां बढ़ा दीं जिनका अब धीरे धीरे निराकरण हो रहा है और उस निराकरण का हम आज यहां

(श्री रामकिशन)

पर समर्थन कर रहे हैं। सिक्किम की एक विशेष बात है इसका सम्बन्ध हमारी राज्य सरकार से नहीं है लेकिन वहां पर जिस तरह की दो-तीन जातियां हैं, एक भोटिया जाति है और दूसरी नेपाली जाति है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जो नेपाली हैं वे निश्चित् तौर पर संघर्ष कर रहे है कि सिक्किम में लोकतन्त्रीय व्यवस्था लागू हो और उसके साथ साथ वे यह भी चाहते हैं कि सामन्ती व्यवस्था के कोई अवशेष न रहें। उनको तत्काल समाप्त कर दिया जाये। आज भी हम इस सारे विवाद को देख रहे हैं। अब हिन्दुस्तान की सरकार इस विवाद को किस प्रकार हल करती है। हिन्दुस्तान की सरकार सिक्किम के विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है, यह बात तो ठीक है—उसका यह कदम प्रशंसनीय और सराहनीय है। परन्तु वहां पर भूमि का विवाद है और राज्यपाल को जो अधिकार दिये जा रहे हैं और उन अधिकारों से यह आशंका बनी हुई है कि वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले कि वहां पर एक सामाजिक क्रान्तिकारी व्यवस्था लागू हो, ऐसे समाज का निर्माण हो, तो उसमें राज्यपाल के अधिकार बाधक हो सकते हैं। ऐसी आशंका संसद के दोनों भवनों में भी व्यक्त की गई है। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए राज्य सरकार को भी अपनी ओर से केन्द्र सरकार को कहना चाहिये और इसको निर्मूल कर जितनी जल्दी नई व्यवस्था लागू कर दी जाये अच्छा होगा। आज भी अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन और दूसरे देश सिक्किम के बारे में विरोध क्यों करते हैं? इसके पीछे छोटे-मोटे कारणों को हम लगा दें कि किसी की पत्नी अमेरिकन है, किसी की पत्नी भूटानी है, किसी की पत्नी रूसी है, तो यह पत्नियों के लिए नहीं है। पत्नियां तो जिनकी होंगी, होंगी आख़िर इसके पीछे प्रचार है जो कि आज की नई व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। उसमें इसकी व्यवस्था का प्रचार हो रहा है और वह इतना व्यापक हो रहा है कि संसार के कोने-कोने में बैठे हुए लाखों लोग चीन के समर्थक और प्रशंसक, और समर्थक और प्रशंसक चीन के इसलिए हैं कि चीन ने अपने निजी तौर पर जिस प्रकार के समतामूलक समाज का निर्माण किया है, क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं उनको हम लोकतान्त्रिक व्यवस्था से पूरा नहीं कर पाये हैं। उसके कारण से सीमावर्ती आबादी होने की वजह से कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस इलाके में निश्चित तौर से इस प्रकार के परिवर्तन किये जायं कि वहां की समाज व्यवस्था चीन की समाज व्यवस्था की तरह से नजर आये। यह कैसी विडम्बना है कि समाजवादी व्यवस्था वाला चीन सिक्किम में सामन्ती व्यवस्था का समर्थन कर रहा है और हिन्दुस्तान पर यह आरोप लगा रहा है कि सिक्किम को जबर्दस्ती मिला लिया है। यह ऐतिहासिक चीज है और ऐतिहासिक आरोप हिन्दुस्तान पर निरन्तर रहा है। आज से कुछ दिन पहले जब बंगला देश आजाद हुआ था और दुनिया यह जानती थी और सब लोग जानते थे कि बंगला देश की आजादी में हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। उस संकट के समय में उसने रक्षा की। अगर हिन्दुस्तान की सरकार की और जनता की बुरी नियत होती तो उसका नतीजा दूसरा हो सकता था, लेकिन हमने बंगला देश को स्वतन्त्र कराने में जो सहयोग दिया और आज भी

(श्री रामकिशन)

उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इतने सजग हैं जितना दूसरा कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है। चीन का यह कहना है कि सिक्किम दूसरा राष्ट्र था जिसको हमने मिलाया है। यह प्रचार दूसरे देशों में भ्रम पैदा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक पक्ष और है। चीन का एक और अजीब प्रकार का प्रचार इस प्रकार का है कि इस प्रकार की शक्ल सूरत वाले, इस प्रकार की नस्ल वाले सारे चीनी हैं। यह प्रचार है जिसके कारण से हिन्दुस्तान की सरकार ने चाहे नागालैण्ड हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोराम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे सिक्किम हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पैदा कर दी हैं कि हिन्दुस्तान के मूल प्रवाह से इनको अलग रखा जा सके। सम्पत्ति का, जमीन की खरीद-फरोख्त का अधिकार मैं समझता हूं सिक्किम वालों का होना चाहिए। नागालैण्ड और मिजोराम में जो हमने भूलें की हैं उस भूलों को हिन्दुस्तान की सरकार यहां पर सिक्किम में नहीं दोहराये। जब तक विवाह-शादियां, मेल-जोल सब जातियों का पूरा नहीं होगा तब तक चीन के प्रचार का जवाब नहीं हो सकता है। चीन का खतरा बना रहेगा। अभी कम्बोडिया और वियतनाम में लोकतान्त्रिक शक्तियां काफी उसका मुकाबला कर रही हैं लेकिन यह प्रचार निश्चित तौर से 10-12 साल में चीन के प्रभाव की ओर उनको ज्यादा मोड़ेगा और किसी दूसरे प्रभाव की ओर नहीं मोड़ सकता है, और इस प्रभाव का उपयोग चीन करेगा। जिस प्रकार से उसके सोचने का तरीका है, जिस प्रकार की चीन ने कार्यवाही की है उसको देखते हुए हमें इस प्रकार की दृढ़ता से कोशिश करना चाहिए। अगर संस्कृति के फैलाव को ज्यादा नहीं बढ़ाया, और दृढ़ प्रयत्न के साथ में उसको दूर नहीं किया तो इस प्रचार का शिकार यह देश कभी भी हो सकता है, उसके कभी भी होने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार कभी दूरगामी नीति बनाने की आदि नहीं है। तत्काल कोई समस्या आ गई तो उस पर तत्काल निर्णय ले लिया। कोई उलझन पैदा हो जाती है तो फिर सदन में पेश होते हैं कि गलती हो गई माफ करें, लेकिन असल मुद्दे को नजरअन्दाज कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ दूसरे और सवाल भी जुड़े हुए हैं। आज नेपाल है। मैं किसी दूसरी दृष्टि से नहीं कहता हूं। हम मानते हैं कि नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र है वह स्वतन्त्र राष्ट्र बना रहे, लेकिन सिक्किम के विलय के बाद नेपाल की जिस प्रकार की धारणा बनी, चीन की जिस प्रकार की धारणा बनी है उसका निराकरण करने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार क्या कर रही है, निजी लेवल और बुलेटिन लेवल की बात नहीं करना है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रचार हिन्दुस्तान की सरकार का होना चाहिए उस प्रकार का प्रचार नहीं हो रहा है, और उस प्रकार का मानस उनका नहीं बन पाता है। सिक्किम के विलय के साथ-साथ सिक्किम के विकास, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, जातियों के आदान-प्रदान से, मेलजोल से संस्कृति में एकरूपता लाने की ओर प्रयत्न नहीं किये गये तो हिमालय वाले राज्य में यह कहूंगा कि आगे जाकर परिणाम खतरनाक हो सकते हैं।

(64)

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब स्थिति है कि चीन हम पर आरोप लगाता है कि हमने सिक्किम को ले लिया जिसने कि तिब्बत को ले लिया। आज भारत सरकार की प्रधान मंत्री यह कहती है कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। उस समय हम लोगों ने कहा था कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया तो दिल्ली की सरकार ने कहा था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसको लेने का उसका अधिकार है। लेकिन इसके जवाब में प्रधान मंत्री कहती है कि तिब्बत को चीन ने हड़प लिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने तिब्बत को हड़प लिया तो सिक्किम को हमने हड़प लिया है। यह तरीका नहीं है। सिक्किम हमारा था। सिक्किम कभी भी स्वतन्त्र देश नहीं था। सिक्किम हिन्दुस्तान का हिस्सा था। वह हिन्दुस्तान का हिस्सा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो हिन्दुस्तान की जो महान विभूतियां हैं वह सब हिमालय के क्षेत्र से प्रभावित हुई हैं चाहे वह नागालैण्ड हो, मेघालय हो, जिन्होंने हमारे संस्कृति के इतिहास को प्रभावित किया है उतना और किसी ने प्रभावित नहीं किया है। हम उर्वशी को ले लें चाहे मेनका को ले लें। यह वह स्थान है, जहां से हमारी संस्कृति प्रभावित हुई है। हिन्दुस्तान की सरकार बचपने की दलील देकर तत्काल कार्यवाही करती है और बस कर लेती है। आप चीन के तरीके को कैसे समझते हैं। उसका एक लम्बा इतिहास उनके पास मिलेगा। इतिहास की वे लगातार चर्चा करेंगे। दो शहरों का कैसे मिलान करेंगे। उसका वहां पर विचार करेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान का जहां सवाल आया छोटी-मोटी चर्चा कर दी और उसके बाद में उसके प्रकरण को बन्द कर दिया।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में राज्य सरकार की मार्फत केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिमालय के राज्य में केवल सिक्किम को मिलाने से या भूटान में एक व्यवस्था कायम कर दी उससे काम नहीं चलेगा। सम्पूर्ण हिमालय के क्षेत्र में, सम्पूर्ण पूर्वांचल में जिस प्रकार की चीन ने गतिविधियां चालू की हैं उसका जवाब एक व्यापक दृष्टि के आधार पर देंगे और एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करेंगे तो हिन्दुस्तान के सारे छोटे-मोटे प्रदेश है उनको प्रभावित कर सकेंगे। आज नागालैण्ड के लोग, मिजोराम के लोग और दूसरी जगहों के लोग हैं वह अपने आपको मिजोराम वासी या नागालैंड वासी कहते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि आप हिन्दुस्तानी हैं, आप तराई के है, आप इस तरह के हैं। इस प्रकार की जो भावना है। उस भावना को दूर करेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार कोई कारगर कोशिश इस ओर नहीं कर रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि हम युद्ध के उपासक नहीं हैं और युद्ध की किसी स्थिति का सामना करने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान हमारे एक हिस्से को दबाये बैठा है, चीन हिन्दुस्तान के एक हिस्से पर जबर्दस्ती कब्जा जमाये बैठा है और हमारी सरकार कभी कभी दो-तीन दिन खटपट कर देती है जब कोई राजनैतिक समर्थन प्राप्त करना होता है। उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या कोई योजना है कि जो हमारी जमीन

(श्री रामकिशन)

इन्होंने दबा ली है उसको वापिस करावें। इजराइल ने अरब देशों का हिस्सा दबा लिया लड़ाई में तो कम से कम वहां की अरब देशों की विधान सभाएं, वहां की सरकारी एजेन्सियां एक दिन मनाती हैं और उस दिन घोषणा करती है कि इजराइल ने जो जमीन ले ली है उस जमीन को मुक्त करायेंगे। हमारी संसद ने प्रस्ताव पास किया था न तो चीन ने जमीन छोड़ी और न पाकिस्तान जमीन छोड़ेगा ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस प्रस्ताव की याद करने की औपचारिक कार्यवाही भी इस देश में नहीं हो पाती है। इस सरकार के हाथों क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं। यह पहले ही फैसला हो जाता। जब हम कांग्रेस में आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस वक्त भूटानी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस और सिक्किम कांग्रेस लोकतन्त्र के लिए संघर्ष कर रही थी। नेपाली कांग्रेस ने कोशिश की थी लेकिन हमने उसका साथ नहीं दिया इस डर से कि दुनियां क्या कहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी कभी जब कांग्रेस दल की मीटिंग हो, लेकिन प्रधान मंत्री के सामने किसी की चलती नहीं है, मैं समझता हूं कि कोई मंत्री बोलता नहीं है प्रधान मंत्री के सामने। उनके दल के नेता के प्रति यह भावना तो ठीक है लेकिन जहां ऐसी भावना पैदा हो जाय तो वहां पर लोकतन्त्र का विकास रुक जाता है, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की भावना समाप्त हो जाती है, वे सारी सद्भावनाओं से चर्चा करेंगे तब हमारे देश में लोकतन्त्र का पक्ष मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री **मोहरसिंह** (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पेश किया गया है, मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सिक्किम का इतिहास बताता है कि सिक्किम 150 वर्षों से इस चोग्याल की गुलामी में रहा है। गुलामी के बीच में वहां की जनता ने जनतान्त्रिक अधिकारों के लिए बड़ा भारी संघर्ष किया है। उस जुये को उतार फेंका है। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह स्वागत योग्य बात है। आज सिक्किम की जनता सर्व सम्मति से चोग्याल के जुये को हटा चुकी है। यह खुशी की बात है। यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हमने उनको सहयोग दिया है। उनका अवरोध नहीं किया है

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सिक्किम, अंग्रेजों के टाइम से ही सिक्किम की जो नीति निर्धारित हुई, उसमें कुछ भिन्नता रही है। बाद में भारत के साथ में जो सिक्किम के परदेशी मामलात हैं और अन्य मामलात हैं, उसमें वह शक्ति सिक्किम ने भारत को सौंप दी। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसके बाद पं. नेहरू के टाइम में उसका दुबारा नवीनीकरण हुआ। उसके पश्चात् आज हमने चोग्याल को हटाने के लिए वहां की जनता

(श्री मोहरसिंह)

को सहयोग दिया है। उनको राहत दी है। चोग्याल के डर और चोग्याल के दमन के कारण जनता वर्षों तक परेशान रही है। उस परेशानी के कारण जनता यह मतदान करती है कि हमें भी अपने साथ में मिला लो। तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर विचार करना चाहिए था। हम इसको ऐसी प्रक्रिया से चलाते कि, यह ठीक है कि हमने उनकी मदद की, हम उन्हें स्वतन्त्र रख कर फलने फूलने देते। हमारी भारत की 60 करोड आबादी है। सिक्किम की दो लाख की आबादी का हमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम यह महसूस कर लें कि सिक्किम में जाग्रति हम लाये। हम यह महसूस कर लें कि सिक्किम की जनता ने राजी से यह फैसला किया है। इसका असल में यह सोचना चाहिए कि 150 वर्ष से जनता चोग्याल के जुये के नीचे परेशान होती आई है। वहां की जनता यह कदम भले ही उठा सकती है। लेकिन इससे पहले, वह यह फैसला दे कि हमें अपने में मिला लो हमें यह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने में मिला लें। हम उसे अपने तरीके से फलने फूलने देते। तुम अपने तरीके से फलो फूलो। परदेशी मामलात में, बाहरी नीति में, रक्षा में हम तुम्हारे हर तरह से साथी हैं। अन्दर कोई गड़बड़ हो तो हम तुम्हारे रक्षक हैं, या हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो हम समझेंगे कि यह हमला हमारे ऊपर है। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें अपना सामाजिक परिस्थितयों के अनुसार उसी प्रकार से मौका दिया जाना चाहिए था। इसलिए अभी जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, लोकसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें एतराज है। इसका कारण यह है कि जो हमारे पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं, उनके मन के अन्दर संशय पैदा हो जायेगा। वह यह सोचेंगे कि हमें फलने फूलने का मौका देना तो दूर यह तो हमको अपने में मिलाने लगे हैं। जो वर्षों से चोग्याल के जुये के नीचे त्रस्त रहे हैं। तो क्या वह जनता कुवे के पीछे खड्डा नहीं समझेगी। क्या वह जनता यह नहीं सोचेगी कि हम इस जुये से छुट्टी लें। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोग्याल का शासन खत्म हो चुका है। सिक्किम की जनता अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुसार फले फूले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

क्योंकि जिस प्रकार की उनकी भौगोलिक स्थिति है। उसके पास दूसरे देश भी लगे हुये हैं। सिक्किम की जनता यह महसूस करे कि हमारे ऊपर हुकूमत हो सकती है। दूसरे छोटे छोटे देश भी यह सोच सकते हैं। हमारी तरफ से तो यह होना चाहिए था कि हम यह तय करें कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पहले भी तैयार रहे हैं। अब भी तैयार हैं। इसलिए आसपास की सराउण्डिंग्स में जो छोटे छोटे देश हैं। एक एक करोड़ की आबादी के देश हैं। उनमें संशय हो सकता है। नम्बर दो, इण्टरनेशनल स्तर पर हमारे मुल्क के मामले में भ्रम है, उसे हम बढ़ायें नहीं। हमारी यह भी एक महान नीति है कि सभी मुल्कों के साथ हमारे

(श्री मोहरसिंह)
मैत्री सम्बन्ध हों। हम पर बार बार हमले किये गये हैं। क्या हमने उनका मुकाबला नहीं किया है। अगर आयन्दा को भी कोई मित्र पड़ोसी हम पर हमला करता है तो हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इण्टर नेशनल के स्तर पर हम यह भी नहीं भूलें कि एक ऐसे राज्य को भारत के अन्दर मिला लें। इसके बजाय वह अपने ढंग से तरक्की करे। हमारे विशाल उद्देश्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कभी यह हो सकता है कि उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हो। हमें यह कल्पना करनी चाहिए। आज हम उनके लिए लालायित हुये हैं। उनके अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी तो हम यह कल्पना करें कि वह हमारी हालत पर प्रसन्न होंगे? इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह जो हो रहा है, यह जो कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भारत के अन्दर सिक्किम को मिलाना मैं सही नहीं समझता।

श्री गोपाल जोशी: आप अपने ही दिमाग से सोच कर बोल रहे हैं?

श्री मोहरसिंह: मैं तो अपने ही दिमाग से बोल रहा हूं।

श्री गोपाल जोशी: या इंम्पोर्टेड दिमाग से बोल रहे हैं?

श्री दीपंकर: पार्टी के डिसीजन से बोल रहे हैं। चीन से प्रभावित हो सकते हैं।

श्री गोपाल जोशी: आप इम्पोर्टेड दिमाग से बोल रहें हैं।

श्री मोहरसिंह: मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूं। हम किसी मुल्क से डरने वाले नहीं हैं।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज!

(शोरगुल - व्यवधान)

श्री मोहरसिंह: आपको विशाल हृदयता रखनी चाहिए। इस बात को मैं जानता हूं कि अल्पमत पार्टी के साथ में आपका कैसा व्यवहार है। फिर कभी मौका मिलेगा तो अध्यक्ष से सलाह लेकर मैं सदन के सामने आपको यह बताऊंगा कि अल्पमत पार्टी के साथ में आप क्या वर्ताव करते हैं। आपकी विशिष्ट मैजोरिटी है। आपको विशाल हृदय होना चाहिए।

श्री दीपंकर: आप किस हृदय से बोल रहे हैं।

श्री मोहरसिंह: हमारी पार्टी का जो विचार है, वह मुझे कहने का हक है। आप लोग भारी मैजोरिटी में हैं। आपको विशाल हृदय से सुनना चाहिए। यह तो मैं भी जानता हूं कि भारी मैजोरिटी से यह चीज आप पास कर लेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अच्छी प्रकार से यह पास होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चोग्याल को हटाने का स्वागत करता हूं और सिक्किम को 22वां राज्य बनाये जाने का विरोध करता हूं।

श्री दीपंकर: बहुत अफसोस हुआ सुनकर।

श्री केदारनाथ: मान्यवर, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इण्टरनेशनल या चीन का सवाल है। सन् 1960 में चाऊ एन लाई ने जो वहां

(श्री केदारनाथ)

प्रीमियर हैं, उन्होंने हमारी सरकार को लैटर लिखा था—

"China fully recognises India's special relationship with Sikkim.,,

मान्यवर, इसलिए मैं इस संकल्प के बारे में बताना चाहता हूं कि सिक्किम लीगला और लॉजिकली हमारा पार्ट रहा है। अभी जो कुछ हो रहा है, वह उसका रेग्यूलराइजेशन है। लन्दन का सारा रिकॉर्ड, ब्रिटिश का सारा रिकार्ड इस बात को साबित करता है कि सिक्किम हमारा पार्ट रहा है। लार्ड वैवल ने भी लन्दन से एक लैटर में लिखा था कि सिक्किम भारत का ही पार्ट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्टरनेशनल ओपिनियन हमारे खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो लंका से हम क्यों एडजस्ट करते। हमने नेपाल के खिलाफ भी रिवोल्ट नहीं होने दी, आज नेपाल डिमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। पाकिस्तान का ब्रेक-अप हुआ, बंगला देश का ब्रेक-अप हुआ, यह सब पाकिस्तान की पॉलिसी के कारण हुआ। आज सारे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सिक्किम के बारे में हमारी पोजीशन बहुत साउन्ड है और कोई भी हमारे पर लांछन नहीं लगा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्राजी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके बारे में इस देश की सभी राष्ट्रीय शक्तियों का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट रहा है इसलिए मुझे सिवाय उन सबको धन्यवाद देने के और कुछ नहीं कहना है जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत की स्वाधीनता एक ऐतिहासिक घटना है जो लोग उस इतिहास को नहीं समझना चाहते, वे आजादी के महत्व को नहीं समझते इसके सिवाय और उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस देश की सीमाओं के ऊपर लगे हुए इस देश के विरोधी राष्ट्र भारत को विस्तारवादी कह करके और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं और यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस मुल्क की धरती पर बैठकर भी कुछ लोग इस प्रकार की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, महारावल साहब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं कि चेम्बर ऑफ प्रिंसेज का सिक्किम भी एक सदस्य था, नेपाल नहीं था। जो लोग आज जनता की आवाज की बुलन्दी की बात करते हैं वे ही आज इस बात का समर्थन करते हैं कि जनता ने कह दिया कि कुए से निकल कर खड्डे में पड़ जाय इसलिये इस बात को स्वीकार कर लो। बहुत बड़ा लॉजिक है आपका—आपका लॉजिक आपको मुबारक हो। मगर मैं एक ही बात अत्यन्त कड़वाहट के साथ कहना चाहता हूं कि यह आपकी भावना इस राष्ट्र की भावना के साथ मेल नहीं खाती है। आपके विचार बहुत ही भ्रान्तिपूर्ण हैं और आपने जो इल्जाम लगाया है मेहरबानी करके आप समझने की कोशिश करिये कि एक आपके सिंगल इन्डिविजुअल के अलावा किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और समर्थन ही किया है इसलिए यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीयता का प्रश्न है।

श्री मोहरसिंह : हमने हमेशा राष्ट्रीयता की शहादत की ओर....

(शोर-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की जो भावना है वह राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत है।

श्री मोहरसिंह : कतई नहीं है।

(शोर-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : आपको एक ऐतिहासिक स्थिति को समझना चाहिए और वह ऐतिहासिक स्थिति यह है कि सिक्किम एक स्ट्रेटेजिक जगह पर अवस्थित है। सिक्किम की जनता ने मांग की है कि सिक्किम को अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाय और भारत में विलय किया जाय। मगर सी. पी. एम. चाहते हैं कि सिक्किम अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का अखाड़ा बन जाय और

श्री मोहरसिंह : कतई नहीं चाहते हैं।

(शोर-व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस तरह की बात क्यों करते हैं ? क्या हिन्दुस्तान की सारी पार्टियां मूर्ख हैं और आपकी पार्टी की ही बात सही है ? उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज बहुत साफ समझनी चाहिए और वह यह है कि आज संसार के अन्दर एक प्रकार का तनाव है और उस तनावपूर्ण भूमिका के अन्दर क्या हम केवल हथियारों के आधार पर ही अपनी रक्षा कर सकते हैं ? स्पष्ट है कि नहीं कर सकते। आज आप जिस ऐतिहासिक डेढ़ सौ वर्ष पुरानी सन्धि की बात करते हैं जैसी कि आपकी पार्टी ने आपको गाइडलाइन दी है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जैसा अभी महारावल साहब ने भी कहा था वह भी बहुत पुरानी सन्धि थी, बीकानेर की सन्धि बहुत पुरानी थी, जयपुर की सन्धि बहुत पुरानी थी। इन सारे राज्यों की सन्धियां बहुत पुरानी थीं। और अंग्रेजों की पैरामाउण्टसी जाने के बाद इन सारे राज्यों को पैरामाउण्टसी मिल गई और आपने हैदराबाद के नवाब का उदाहरण देकर अराष्ट्रीयकारी कार्य कैसे कहा ? एक ही ऐतिहासिक घटना पर आपकी पार्टी की भिन्न विचारधारा होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी नियत में कोई दूसरी प्रकार की बात है। आज इस देश की 562 रियासतें भारतीय संघ में मिल गईं।

श्री केदारनाथ : सिक्किम भी चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज का मेम्बर था।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने भी यह निवेदन किया है कि सिक्किम भी चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज का मेम्बर था। उसकी हैसियत भी वह थीं जो दूसरे मेम्बर वहां पर बैठते थे, तब हम आज एक दूसरे प्रकार की एनॉलोजी लेकर यह कहें कि अंग्रेजों के साथ डेढ़ सौ साल पुरानी सन्धि थी। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वहां की जनता का बहुत बड़ा बहुमत चोग्याल को हटाने और भारत विलय के पक्ष में है। कुए से निकल कर खड्डे में डालने की बात है। बलिहारी है आपकी,

एक माननीय सदस्य : जय हो।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी जय हो।

Page No 70

(70)

श्री मोहर्रासह : चोग्याल को हटाने की बात से हमने इन्कार नहीं किया

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : कृपा करके सुनिये थोड़ा और सुनिये····

(व्यवधान-अश्रव्य)

आप जब बोल रहे थे तब मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था।

श्री मोहर्रासह : लेकिन आपके तो × × × बहुत हैं बोलने वाले।

श्री दीपंकर (जाड़नू) : × × × आप किसको कह रहे हैं, माननीय सदस्य को आप × × × कहते हैं, सदन की गरिमा को तो बनाये रखें।

श्री मोहर्रासह : गरिमा का ठेका तो केवल आपने ही ले रखा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का एक फ्रीडम फाइटर आपके रूप में बहुत गलत जगह पर फंस गया है।

श्री मोहर्रासह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान से हुई जंग में आपके परिवार के कितने आदमी लड़ाई पर थे····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब ही कहा, गलत जगह फंस गये हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सिवाय इसके कि आपके साथ ·······

श्री रामकिशन : कहीं ब्राह्मण लड़ाई लड़ते हैं।

श्री मोहर्रासह : वह मैं जानता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सिवाय राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति सहानुभूति प्रकट करूं, और कुछ नहीं कर सकता।

श्री मोहर्रासह : यह भी जानकारी है।

श्री दीपंकर : नेता महोदय, यह दया के पात्र हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो डिस्टर्ब मत करें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं, देश की विदेश नीति देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आधार बननी चाहिये। हमारे देश की पूरी सीमा के ऊपर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था। मानवीय कारण से इस देश ने एक प्रकार स्टेण्ड लिया, मगर इसके सिवाय एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, पाकिस्तान का पूर्वी अंचल इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और इसलिए जो स्टेण्ड हिन्दुस्तान की जनता ने लिया, दुर्भाग्यवश उस समय भी आपका स्टेण्ड आम जनता के साथ नहीं था।

एक माननीय सदस्य : इनका कभी नहीं रहता है।

श्री मोहर्रासह : बंगला देश के बारे में, आपको मालूम है, सही दृष्टिकोण था।

X X X ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री हरिदेव जोशी : आपका सिक्किम के बारे में सही दृष्टिकोण है, आपका चीन के बारे में सही दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण एक प्रकार का है, वह है, हिन्दुस्तान की मेन स्ट्रीम के साथ नहीं चलना ···

श्री मोहरसिंह : ऐसा नहीं है । बंगला देश के मामले में आप लोगों से आगे चले ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सदन आलमोस्ट यूनेनिमस वे में एक ही चीज कह सकता है, वह यह है कि राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम सिक्किम की जनता की भावनाओं का समर्थन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं । इस सदन को हमने अर्लिएस्ट पॉसिबल दिन यहां पर आमंत्रित करने का फैसला इसलिए किया; हम सिक्किम की जनता को बधाई दें इस बात के लिए, उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनके लिए आज से सिक्किम की जनता का इस धरती के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर वह ही अधिकार है जो राजस्थान की, उत्तरप्रदेश की, अथवा बिहार की जनता का हो सकता है, और इसलिए इस संकल्प के साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दीजिये कि मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सर्वसम्मति से एक सामन्ती शासन से मुक्ति पाने के लिए और महान भारतीय राष्ट्र के रूप होने के लिए सिक्किम की जनता को हार्दिक बधाई प्रेषित करें । इस मौके के ऊपर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिक्किम की जनता के महान नेता काजी लंदुप दोरजी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस महान संघर्ष का नेतृत्व किया और एक महान निर्णय लिया । इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है इस संकल्प को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

"यह सदन, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत संविधान (38वां संशोधन) विधेयक, 1975 द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तापित संशोधनों का, जैसा संसद के दोनों सदनों व्दारा पारित किया गया है और जिसके द्वारा सिक्किम को संघ का एक राज्य बनाना लक्षित है एवं जिसके संक्षिप्त नाम को संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 में परिवर्तित किया गया है, अनुसमर्थन करना है ।"

(ध्वनि मतदान)

श्री मोहरसिंह : नो !

श्री हरिदेव जोशी : बोलो बोलो जोर से ।

श्री मोहरसिंह : एक बात ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं निवेदन करूं ····

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में नहीं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक पक्ष का आपने समर्थन किया है, इसलिए उनको नो नहीं कहना चाहिये, अपोज नहीं करना चाहिये । यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
आपके लिये शर्मिन्दगी होगी, इस रिजोल्यूशन के दो हिस्से हैं, एक का आपने समर्थन किया है, इसलिए इनको अपोज नहीं करना चाहिये। मैं कॉन्स्टीट्यूशनल सलाह दे रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : यह आपके संकल्प में वर्णित नहीं है इसलिये विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध फोर्स नहीं करना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह सही है लेकिन सलाह देना हमारा काम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्योंकि इनमें से ही एक हैं और इनके अंग हैं इसलिए सलाह दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी सलाह को पहले ही ठुकरा चुके हैं, बहुत दिन पहले।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

संकल्प पारित किया गया।

माननीय मन्त्री जी !

विधायी कार्य

राजस्थान प्राइवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975

श्री केदारनाथ : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। आज इन्ट्रोडक्शन हो गया, आज पब्लिकेशन हो गया, आज ही प्रस्ताव आ गये और आज ही पारित हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी : हो जाने दो भाई !

श्री उपाध्यक्ष : पहले सर्क्यूलेट कर दिया गया है, उसमें अनियमितता कोई नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह विवादास्पद नहीं है, इसमें विरोध का प्रश्न नहीं है।

श्री केदारनाथ : मन्शा ठीक है लेकिन प्रॉसीजर गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। परिनियत संकल्प आ रहा है।

[निम्न परिनियत संकल्प श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया]।

परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अप्रेल, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान प्राईवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन), अध्यादेश 1975 (अध्यादेश संख्या 7 सन्, 1975 को अस्वीकार करता है।"

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक अध्यादेश बल्कि एक नहीं, इस माह में राज्य सरकार ने, जबकि हम लोग एक माह के भीतर मिल रहे हैं, दो अध्यादेश निकाल दिये। निवेदन यह है, यह दुःख है, जैसा उद्देश्य में कहा गया है कि भारत सरकार की यह इच्छा है कि प्राइवेट जो कम्पनियां हैं, उनके मार्फत विद्युत् की जो सप्लाई की जाती है, वह नहीं हो और राजस्थान का जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके मार्फत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव).

यह सारा काम हो, इसलिए सरकार ने यह अध्यादेश निकालें। तो मैं आपके मार्फत, यह प्रार्थना करना चाहूंगा, जब 31 मार्च को यह सदन समाप्त हुआ, मैं समझता हूं, आपकी उस समय तक भारत सरकार की राय नहीं बनी तो क्या एक माह में भारत सरकार की राय बन गई, और भारत सरकार की राय बनते ही राजस्थान की आज्ञाकारी सरकार ने तुरन्त अध्यादेश निकाल दिये। यह अध्यादेश इस प्रकार जल्दी से निकालना, मैं समझता हूं, मामूली बात पर अध्यादेश निकालना उचित नहीं है, जबकि आप बिल ला सकते थे। मैं समझता हूं कि बिल लाना उपयुक्त होता। वैसे इस अध्यादेश की भावनायें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इस कारण इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिये, इसे अस्वीकार करना चाहिये यह मैंने संकल्प रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कहा गया है, माउन्ट आबू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और आबू रोड इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह दोनों डीजल से बिजली पैदा करते हैं, और बिजली जो पैदा करते हैं डीजल से वह लोगों को, विद्युत् विभाग जो बिजली सप्लाई कर रहा है उससे दुगुनी तिगुनी पर सप्लाई करती है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि राजस्थान का जिस गति से विकास हो सकता है उस होने वाले विकास में डीजल से चलने वाली कम्पनी लोगों को बिजली दे सके। इसके बाद तीसरी, महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, यह उदयपुर की वह कम्पनी है जो कि बिजली घर में थोक बिजली खरीदती हैं और खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं। इसलिए सम्पूर्ण राजस्थान में बिजली का उत्पादन राजस्थान विद्युत् बोर्ड के द्वारा हो, एक सी दर हो और राजस्थान का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें एकीकरण हो जाने के कारण विकास में सहयोगी हो सके, इसलिये मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश लाया गया।

यहां पर यह भी कहा गया है, शीघ्र ही आबू रोड तक सिरोही ग्रिड से पावर लाइन 33 के.वी. लाइन लाने का कार्य कार्यक्रम में है, वह पूरा हो जायेगा। यह बात कही गई है। अध्यादेश में, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा, कुछ कमियां हैं। उदयपुर की जो कम्पनी है उस ओर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा, सरकार का कि कम्पनी पर अभी भी लाखों रुपया बकाया है। करीब 27 लाख रुपया टेरीफ का, करीब 20 लाख रुपया जो कम्पनी ने कन्ज्यूमर से सिक्योरिटी का वसूल किया, वह बैंक में आज तक कहीं पर भी जमा नहीं है, उसका लेखा-जोखा नहीं है, उस पैसे को भी कम्पनी से लेना चाहिए। करीब 18 लाख रुपया जो सर्विस कनेक्शन का कन्ज्यूमर्स से लिया गया था, उसका भी आज तक कहीं पर लेखा जोखा नहीं है। इस प्रकार से 27 लाख टेरीफ का 20 लाख कम्पनी ने कन्ज्यूमर्स से सिक्योरिटी के रूप में लिया है और 18 लाख सर्विस कनेक्शन का कन्ज्यूमर्स से लिया गया है, मैं समझता हूं लाखों रुपया आज कम्पनी के पास पड़ा हुआ है, जनता का पैसा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं सरकार ने उसे लेने का किसी प्रकार का प्रयास, नहीं किया। मै निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने सितम्बर से विद्युत् की दर बढ़ाई तो इस कंपनी ने जुलाई से बढ़ाई। उससे इस कम्पनी को करीब 3-4 लाख रुपये का लाभ हुआ है। इस प्रकार ग्रेच्यूटी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का करीब 15 लाख उनके पास पड़ा हुआ है। बोनस और लीव वैकेन्सीज का 4 लाख रुपया पड़ा हुआ। उस ओर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वहां के कर्मचारी विद्युत् मंत्री के यहां धरना देने का कार्यक्रम चाहते थे, आपने उन कर्मचारियों की वाजिब मांगों को स्वीकार किया और उस कारण वहां के कर्मचारियों ने धरना देने का कार्यक्रम स्थगित किया, उसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन और जो उनकी मांगें हैं जैसे कन्टीन्यूटी ऑफ सर्विस, सीनियोरिटी, पेमेंट की बकाया उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? सीनियोरिटी के बारे में जैसा आपके कर्मचारियों ने माना, वहां का जो पावर हाउस है उसका एक क्षेत्र बनाकर, अलग यूनिट बनाकर वहां ...

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति-सूचक-घंटी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यदि उन पावर हाउसेज का एक क्षेत्र निर्धारित हो जाए और वहां के कर्मचारी जो पहले से कम्पनी में काम कर रहे थे उनको वहां पहले ही एब्जॉर्ब किया जाय तो सीनियोरिटी वाला मामला बिल्कुल तय हो सकता है क्योंकि जब कंपनी के कर्मचारियों को पहले लेंगे, फिर बाहर वालों को लेंगे, नई भर्ती करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो कंपनी के कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उनकी सीनियोरिटी का ध्यान हमें रखना चाहिए। यदि विद्युत् मंडल में एक कर्मचारी दो साल से काम कर रहा है और कंपनी में तीन साल से कर रहा है तो कंपनी वाले कर्मचारी को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो बोनस की बकाया है करीब दो लाख रुपये की। इस प्रकार वेज बोर्ड अप्रैल, 1974 से ड्यू है जो अभी लागू नहीं हो सका है उसको भी लागू करवाने का जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। उनकी सर्विस की कन्टीन्यूटी रहेगी, उनकी ग्रेच्युटी के करीब 15 लाख और पी.एफ. की रकम वह ट्रांसफर हो जाए, यह बहुत ही आवश्यक है। जो विधेयक पेश किया है उसमें प्रावधान रखा है कि यदि कंपनी ग्रेच्युटी, बोनस और जो अन्य प्रकार की सुविधायें हैं वह यदि कम्पनी नहीं देती है तो यह जिम्मेवारी राज्य सरकार ने ली है उन कर्मचारियों के हित की। उन कर्मचारियों को सारा पैसा देने की बात है, दूसरा बिल आएगा उसमें है कि कितना एक्विजीशन का पैसा देंगे, विशेष अधिकारी नियुक्त होगा, तो जितनी कर्मचारियों की सुविधायें हैं वह एक्विजीशन के देय पैसे में से काटा जाए (और कर्मचारियों की जो वाजिब मांगे हैं उनको मंत्री महोदय ने माना है। उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सदन में भी घोषणा करें कि आप उनकी वाजिब मांगों को मनवायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव ने इस अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प इस दृष्टि से प्रस्तुत किया कि विधान सभा अधिवेशन समाप्त होते ही अभी जो सेशन प्रारम्भ हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं निकला और इन अध्यादेशों को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अध्यादेश लाने के कारण मैंने अध्यादेश के साथ बताए हैं। कॉन्स्टीट्यूशनल दृष्टि से भी हमारा दृष्टिकोण रहा है कि इस प्रकार की प्राईवेट

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण किया जाए और पब्लिक सेक्टर की तरफ से जहां सेवायें उपलब्ध हों वहां सारा काम उनको सौंपा जाए। न केवल राज्य सरकार की बल्कि भारत सरकार की भी यही मन्शा रही और उस दृष्टि से तीन अंडरटेकिंग्स-उदयपुर, माऊंट आबू और आबू रोड में काम कर रही थीं, इन तीनों को अपने हाथ में लेने की दृष्टि से यह अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया। यह कहा गया कि विधान सभा चल रही थी और ये कारण जो हमने बताए हैं उस समय भी मौजूद थे, भावना उस समय भी थी उन दिनों में ही क्यों नहीं कानून बना लिया गया?

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका तत्काल करना आवश्यक हो जाता है। एक या दो दिन उसकी चर्चा में लगायें तब उन कामों को हाथ में लें, इससे न केवल सरकार को वरना आम जनता को नुकसान हो सकता है। सामने वाले को मालूम हो कि उसकी अंडरटेकिंग को एक्वायर किया जा रहा है तो कई तरह की चीजें उस थोड़े से समय में की जा सकती है जिससे काफी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहां तत्काल विचार किया और लेना है तो उसी समय रास्ता निकाल कर उनका आधिपत्य करना होता है। इस कारण अध्यादेश निकाला और अध्यादेश निकलते ही तीनों अंडरटेकिंग्स को राज्य सरकार ने विद्युत् मण्डल के आधिपत्य में दिलाया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं जिस कारण से माननीय सदस्य के संकल्प को स्वीकार किया जाए। जब वह इस बात को मानते हैं कि कर्मचारियों ने भी इस कदम को सही माना है तो उन्हें इस संकल्प को वापस लेना चाहिए। कुछ शंकायें उन्होंने व्यक्त कीं कि महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से विद्युत् मंडल को काफी लेना बाकी निकलता है तो हमने इसी अध्यादेश में प्रावधान किया कि जो कुछ भी राज्य सरकार या विद्युत् मण्डल की बकाया कम्पनी की तरफ है, पहले वह एड्जेस्ट की जायगी, उसके बाद मिलने वाला मुआवजा यदि मिल सकता है तो मिलेगा नहीं मिल सकता है तो जरूरी नहीं है कि उनको पैसा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह भी स्पष्ट प्रोविजन किया हुआ है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो बकाया बोनस है वह भी उन्हें दिया जायेगा। उनकी सर्विस कन्डीशन के बारे में भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है सभी प्रकार का प्रोविजन किया हुआ है। और राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब इन बिजली कम्पनी के कर्मचारियों ने धरना दिया था तब मैं उनसे जाकर मिला, मेरी उनसे बात हुई। मैं समझता हूं कि शायद वह लोग इस अध्यादेश को समझने में असमर्थ रहे इसलिए उन्होंने धरना दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि वह अध्यादेश की मूल भावना को नहीं समझ पाये थे। लेकिन जब मेरे से उनकी बात हुई तो वह लोग मान गये। हमने उन्हें कहा कि कम्पनी में उनके जो भी बोनस वगैरह बकाया हैं, जो भी कम्पनी का नफा नुकसान है उसके लिए विद्युत् बोर्ड जिम्मेदार है। उन लोगों की सर्विस की

(श्री हारालाल देवपुरा)
पूरी तरह से सिक्योरीटी है और आज भी जो नियम हमारे विद्युत् मण्डल के हैं वह सभी उन पर लागू होंगे। हमने उनसे कहा कि इस अध्यादेश में जो भी कन्डीशन्स हैं उसके लिये हम बैठकर बातचीत कर लेंगे। उस कम्पनी की जितनी भी लेन-दारी और देनदारी है, जितने भी ऐसेट उस कम्पनी का है उसको राज्य सरकार अपने ऊपर वहन करेगी उसके लिये राज्य सरकार ने अन्डरटेकिंग किया है। वहां के कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। मैं समझता हूं कि उस कम्पनी के कर्मचारियों की सर्विसेज ज्यादा सीक्योर्ड बोर्ड की सर्विसेज में रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो परिनियत संकल्प यहां पर सदन में रखा गया है उसको वापिस लिया जाय ताकि इन पर आगे विचार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीम सदस्य श्री गिरधारीलालजी अपना संकल्प वापिस लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य श्री गिरधारी लालजी को अपना परिनियत संकल्प वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृति)

अनुमति दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी विधेयक को विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राईवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नलिखित प्रस्ताव श्री दीपंकर एवं श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया। " राजस्थान प्राइवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परि-चालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज वह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें सावधानी और सतर्कता से काम लेने की जरूरत है। मैंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए सुझाव इसलिये दिया है जिससे कि जनता इस बात को जान सके और कुछ बहुमूल्य सुझाव अपने देना चाहे तो दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर, माउन्ट आबू और आबू रोड की बिजली कम्पनियों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में एक साथ ले लिया और राजस्थान भर में जो राजस्थान राज्य विद्युत्-मण्डल काम कर रहा है उसके अनुरूप पूरे राजस्थान में समान रूप से व्यवस्था लागू होगी। राज्य सरकार ने

(श्री दीपंकर)

यह भी निर्णय लिया है कि इन कम्पनियों की जितनी ऐसेट्स और लाईबिलिटीज हैं उनको राज्य सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। इसलिए ऐसे मोके पर राज्य सरकार को काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी प्रकार की कम्पनी हमारे लाडनू में थी-उसको भी सरकार ने टेक ओवर किया था तब भी राज्य सरकार ने यह आश्वासन वहां के कर्मचारियों को दिया था कि इस कम्पनी के जितने भी स्टाफ के व्यक्ति है उनको राज्य सरकार की सेवा में लिया जायेगा। उनकी जितनी भी बकाया हैं वह उन्हें दी जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर भी उस कम्पनी के अन्दर काफी बड़ा स्टाफ था जिसमें यहां जिस प्रकार के सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं उसी प्रकार वहां भी सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जातीं थीं वहां पर सुपरिन्टेडेन्ट की पोस्ट के व्यक्ति थे, लेकिन जब इनका एमलेगेमेशन हुआ तब प्राइवेट कम्पनी में काम करने वाले लोगों को उन ओहदों पर नहीं लिया गया। इसके अलावा एक ऐसा वातावरण उस समय बना कि उस कम्पनी का माल काफी इधर उधर कर दिया गया। काफी सामान बदल दिया गया और गायब भी कर दिया गया या जब उस माल को लेने के लिये अधिकारी वर्ग के लोग पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों और कम्पनी के मालिकों में सांठ-गांठ होकर सामान में काफी हेरा-फेरी हुई। इसलिये यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि कहीं पर सामान की हेरा-फेरी नहीं हो जाय। इसके साथ-साथ हो सकता है उनके यहां जो लोग हैं वह अगर ओवरएज हों और आप उन्हें नौकरी में नहीं लें या हो सकता है कि कम्पनी के अन्दर वहां के कर्मचारी इतने टेक्नीकली क्वालिफाईड नहीं हों और उन्हें आप नहीं लें या अगर उन्हें नौकरी पर ले लें तो प्राइवेट कम्पनी में तो मालिक चाहे उतने पैसे भी देदें वह यहां के लोगों को भी देदें। यह बहुत अच्छी बात है कि आप राजस्थान में समानता लाने के लिये यह कदम उठा रहे हैं और आपने एक अच्छी भावना से यह काम हाथ में लिया है। वैसे एकीकरण की भावना अच्छी है लेकिन इसके साथ-साथ वह ध्यान रखने की आवश्यकता है राजस्थान राज्य विद्युत्-मण्डल के जो इन्जीनियर्स हैं और जो स्टाफ है वह वहां पर किसी प्रकार की लापरवाही का वातावरण नहीं बनाये तो अच्छा है। मैं सरकार को जो एकता की भावना है, जो विकास समान रूप से करने की भावना है उसको अच्छा मानता हूं। इसलिए मैं यहां पर यह कहने जा रहा हूं कि आज जो गांवों में विद्युत्मण्डल के प्रति भावना हैं वह इन कम्पनियों के राज्य विद्युत् मण्डल के अधीन चले जाने से जो वहां पर भ्रष्टाचार विद्युत्-मण्डल के कर्मचारियों और अधिकारियों में फैला हुआ है वह यहां भी नहीं फैल जावे और लोग यह नहीं कहें कि इससे तो पहले जो बिजली कम्पनी का काम था वह अच्छा था और उसमें भ्रष्टाचार कम था। इसलिये इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें इसमें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिये। वैसे तो प्राइवेट कम्पनी को जो राज्य सरकार विद्युत्-मण्डल को दे रही है, उसका उदाहरण देना चाहूंगा हालांकि राष्ट्रीयकरण से यह मामला जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी

(श्री दीपंकर)

इन कम्पनियों के टेक श्रोवर करने से वे बातें इसमें नहीं होनी चाहिये जिस तरह की राष्ट्रीयकरण के मामलों में सुनाई पड़ती हैं जहां पर कि लोगों में श्राम भावना है कि उनमें भ्रष्टाचार अधिक है श्रौर लोगों को कम तोलते हैं तथा श्रनाज में मिट्टी कंकड़ वगैरह सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ से यह सभी होता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह श्रनुरोध है इस श्रोर विशेष ध्यान दिया जावे। पहले भी एक कम्पनी को जब टेक श्रोवर किया था तो बिजली बोर्ड को काफी बदनाम होना पड़ा था। इसके साथ साथ जो श्रॉर्डिनेन्स श्राया है उसमें भी कुछ खामियां हैं उन्हें भी दुरुस्त करने की जरूरत है। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि जो भी इन्वेन्ट्रीज तमाम सामान की बने वह श्रच्छी तरह से बनाई जानी चाहिये कहीं ऐसा नहीं हो कि उसमें भारी हेरा फेरी हो जाये श्रौर राज्य सरकार के विद्युत् मण्डल के जो श्रधिकारी उसको टेक श्रोवर करने जावे उसमें हमें असली मशीनरी हाथ नहीं श्रावे श्रौर हमें पुराने लोहे के टुकड़े दे दिये जायं श्रच्छे तार तो वहां से गायब हो जायं श्रौर हमें पुराने नहीं काम श्राने वाले तारों के बण्डल पकड़ा दिये जायं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस श्रोर विशेष सतर्कता बरतने के लिए श्राकर्षित करना चाहता हूं। श्रौर जिस भावना से यह सारा टेक श्रोवर किया जा रहा है वह पूरी होनी चाहिये ताकि जनता में राज्य सरकार की श्रच्छी भावना फैले। श्रच्छे व्यक्तियों को लिया जाना चाहिये। क्योंकि इन प्राइवेट कम्पनियों में श्रक्सर ऐसे लोगों को तरक्कियां दे दी जाती हैं जो कि इस प्राइवेट कम्पनीज के मर्जीदां होते है। जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हें ज्यादा तरक्कियां देते हैं श्रौर जो काबिल व्यक्ति होते हैं श्रौर उनके कृपापात्र नहीं होते है उन्हें तरक्की नहीं मिलती है इसलिये इस श्रोर भी राज्य सरकार का ध्यान में श्राकर्षित करना चाहता हूं। मैं मन्त्री महोदय को इसके लिये बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि इन प्राइवेट कम्पनीज में श्रक्सर वहां के मजदूर लाग श्रपनी मांगों का लेकर स्ट्राइक भी करते रहते हैं जिससे कि जनता को परेशानी होती है इसके श्रलावा प्राइवेट कम्पनी वाले मन माफिक बिजली की रेट्स लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सभी बुराइयों की समाप्ति हो जायेगी। श्रौर राजस्थान में विद्युतिकरण का विकास श्रच्छी तरह से हो सकेगा श्रौर राजस्थान की जनता उसका पूरी तरह फायदा उठा सकेगी इसके लिये मन्त्री महोदय को बधाई पेश करने जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-श्रली !

(श्रनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कर्मचारियों की सीनियोरिटी के बारे में श्रध्यादेश पर विचार के समय विचार रखें थे, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने प्रकाश नहीं डाला। यह भी लोगों में श्राशंका श्रौर संभावनाये हैं कि यदि राज्य सरकार के पास इसका मेनेजमेन्ट जावेगा तो वहां पर दुरव्यवस्था बढ़ जावेगी। राज्य सरकार के पास जो बिजली का काम है श्रौर जिस प्रकार से किसानों को कठिनाइयां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो रही है, उसी तरह से इनकी कठिनाइयां भी बढ़ेंगी और लोग यह समझेंगे कि इससे तो कम्पनीज का कार्य ही अच्छा था। इसलिये राज्य सरकार के पास इनके आने के बाद कम्पनी से बढ़िया सर्विस लोगों को मिलनी चाहिये। इतनी सी बात के लिये मैंने इसको जनमत जानने के लिये प्रसारण के लिये रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्योंही ऑर्डिनेन्स निकला, मुझे प्रसन्नता हुई और मैं बधाई के साथ साथ माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने यह विलम्ब क्यों किया टेक ओवर करने में ? स्थानीय कर्मचारियों ने भी प्रस्ताव पास करके निवेदन किया था कि इसका राष्ट्रीयकरण करें। अब राज्य सरकर ने ले लिया है। अब राज्य सरकार के अधिकारी पहुंचे अधिकार करने के लिये तो सारे कर्मचारी उनके स्वागत के लिये खड़े थे। एक प्राइवेट कम्पनी लाखों रुपया उस समय ले जाने की कोशिश कर रही थी उसको विफल बना दिया, और राज्य सरकार को उन्होंने मदद दी।

प्राइवेट कम्पनी ने कुछ अव्यवस्थायें की हैं। वह यह की हैं कि सितम्बर के बाद से सरकार ने दरों की वृद्धि की थी लेकिन जहां राज्य सरकार ने 30 सितम्बर के बाद दरें लागू की थीं वहां कम्पनी ने उससे दो महीने पहले ही उनसे इल्लीगल तरीके से पैसा लेकर मनी डिपॉजिट की। लाखों रुपया उदयपुर की जनता से वसूल किया वह सरकार वापिस ले ले।

दूसरा, कर्मचारियों के मन में भ्रान्त धारणायें बन रही हैं। इसलिये मैं स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा, क्योंकि कर्मचारी यह समझने लगे हैं कि उनके कहीं फ्रेश एपॉइन्टमेंन्ट तो नहीं माने जावेंगे इसके लिये पहले से ही फार्मुले में चेन्ज करना चाहिये था। उनकी सीनियोरिटी कैसे कायम होगी ? क्या उसके लिये अलग विभाग बनेगा या युनिट्स के साथ ही फिक्सेशन होकर सीनियोरिटी प्रमोशन आदि होंगे ? इन कर्मचारियों में इस प्रकार से एक असंतोष का वातावरण बन गया है। मैं उनका लेकर राज्याधिकारियों और मंत्री महोदय से मिला राज्याधिकारियों ने तो संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, लेकिन माननीय मंत्री महोदय की मैं प्रशंसा किये बगैर नहीं रहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि वे इस समस्या से परिचित हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि कन्टीन्युटि ऑफ सर्विस उनकी वैसे ही रहेगी और सीनियोरिटी आदि भी उसी प्रकार से होगी जैसा पहले हुआ है। इस सम्बन्ध में उनसे चाहूंगा कि वह सदन में भी इस प्रकार का आश्वासन दें कि कन्टीन्युटी ऑफ सर्विस और सीनियोरिटी, दूसरी यूनिट्स से फिक्सेशन आदि के झगड़े न हों इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जायगा।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मैं यह भी चाहूंगा कि कम्पनी में कर्मचारियों के प्रॉविडेन्ट फण्ड्स आदि जमा थे उनके कर्मचारियों के राज्य सरकार में आ जाने के बाद वह सारा पैसा कम्पनी से ले। इसका राज्य सरकार उत्तरदायित्व ले और इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन सदन के अन्दर दे जिससे कि कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण न बने।

अन्त में, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा कि उदयपुर की जनता से दो महीने पहले राज्याज्ञा के विरुद्ध जो बिजली की बढ़ी दरों का पैसा वसूल किया था उसको वापिस कम्पनी से लिया जाय और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखें इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री केसरी मल : मेरा है इसमें।

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के सम्बन्ध में लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जिस परपज के लिये विधेयक बनाया था उसकी प्रारम्भिक पूर्ति हम कर चुके हैं। इसलिए वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाये, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। पूर्व में अध्यादेश को अस्वीकार करने की दृष्टि से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोले तो मैंने निवेदन किया था कि जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है इस बिल में स्पष्ट प्रावधान किये हुए हैं कि उनकी सर्विस की कन्टीन्युटि का जहां तक सवाल है वह किसी भी तरह के ब्रेक नहीं होगा। नियमानुसार मिलने वाले लाभ में भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आवेगी। सरकार उन के हितों की दृष्टि से हमेशा सोचती रही है और आगे भी सोचती रहेगी।

सीनियोरिटी का प्रश्न भी रखा। उनकी अपनी सीनियोरिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह आता है कि बोर्ड के सामने क्या प्रश्न रहेगा? उसका कर्मचारियों के साथ कैसा सम्बन्ध रहेगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में यह पहली बार नहीं हुआ है। एक-दूसरी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण होता है तो सीनियोरिटी फिक्सेशन आदि करने में रुकावट नहीं होती है। राजस्थान का जन्म ही इसी दृष्टि से हुआ है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों को मिला कर एक विशाल राजस्थान बनाया। इन रियासतों में विभिन्न रूल्स थे, रेगुलेशन्स थे। जब राजस्थान के कर्मचारियों का इन्टीग्रेशन हुआ तो उसको संतोषजनक रूप से इन्टीग्रेट करने का प्रयास किया गया। वही स्थिति हमारे कर्मचारियों के साथ भी रहने वाला है। उनके सर्विस पीरियड को बराबर रखा जावेगा। किस तरह से उनका फिक्सेशन हो उनको बराबर देखा जावेगा और उसी तरह से आपको उसको करके

(श्री हीरालाल देवपुरा)
उनकी सीनियोरिटी पर भी विचार किया जावेगा और किसी प्रकार प्रकार का भेद नहीं रखा जावेगा।

साथ साथ यह भी कहा गया कि राजस्थान विद्युत मण्डल राजस्थान में काम कर रहा है और कई प्रकार की शिकायतें विद्युत मण्डल और उनके कर्मचारियों के विषय में है। कहीं ऐसा न हो कि जिन कम्पनियों का अन्डर-टेकिंग कर रहे हैं वहां भी इस प्रकार का वातावरण न हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमियां हो सकती हैं उससे इनकार करके नहीं चल सकते, लेकिन केवल इसलिये कि काम में कमियां हैं, इसलिये हम ऐसे कदम नहीं उठायें, जो राष्ट्र के हित की दृष्टि से आवश्यक हैं, यह नहीं हो सकता। बैंक्स का नेशनेलाइजेशन किया। आज भी हमको यह सुनने को मिलता है कि नेशनेलाइजेशन के बाद जो बैंकों की सहूलियतें मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली हैं और उससे पहले जिस तरह से बैंक काम करते थे, उनका सर्विसेज इससे अच्छी थीं। हम जो कमियां हैं उनको दूर करें और जिन क्षेत्रों को हम लेना चाहते हैं, जिनका अन्डरटेकिंग करना चाहते हैं उसमें उनका भी हित है। हमारी अपनी कमियां हैं उनको दूर करना है। उसका संकल्प हम लेते हैं तो जो जो अन्डरटेकिंग हम ले रहें हैं उनमें भी कमियां न रहें इसका सतत प्रयत्न किया जायेगा। लेकिन यह कहना कि बिलकुल साफ हो जाय तो इसमें समय अवश्य लग सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कमियां केवल किसी अन्डरटेकिंग की, किसी विभाग की और किसी पब्लिक सेक्टर की कमियां ही नहीं कही जा सकती हैं, आज हमारा सामाजिक वातावरण ही इस प्रकार का है कि उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। हम भी प्रयत्नशील हैं, दूसरे माननीय सदस्य भी प्रयत्नशील हैं, और उन सभी के प्रयत्नों से हम सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूं।

जो अन्डरटेकिंग हम इस बिल के द्वारा लेने जा रहे हैं और जो अध्यादेश के द्वारा किये हैं उसमें हमारा मूल उद्देश्य यह है कि वहां की जनता को लाभ पहुंचे, और वहां की जनता का विकास करना है इसका पहले ही ध्यान रखना लाजिमी होगा। मैं इसी विश्वास के साथ यह कहूंगा कि जो इस बिल के लिये जनमत जानने के लिये कहा है उसका वापिस लें। इस प्रकार के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो उदयपुर का जनता की सिक्योरिटि जमा है वह वहां नहीं हैं और जो उपभोक्ता है उसके भी पैसे जमा हैं...

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों की जांच के लिये हमने हमारे ऑफिसर्स अपॉइन्ट किये हैं, कम्पनी के भी हैं। क्या जमा है और क्या जमा नहीं है इसके लिये तीन महीने का टाइम दिया है उसके साथ इसको भी निपटायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि जब कम्पनी का कब्जा किया तो सारी चीजों का कब्जा कर लिया है या नहीं किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जब कब्जा किया गया था तो जो माल वहां था वे सब चीजें अधिकार में ले ली थीं। केवल अकाउन्ट्स का मामला है

(श्री हीरालाल देवपुरा)
उसमें कितना लेना है और कितना देना है यह करना है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। अध्यादेश लाने का और तत्काल प्रभावी करने का उद्देश्य भी यही था। हमारे ऑब्जरवरों ने 22 तारीख की रात को और 23 तारीख के जीरो अवर में टेक ओवर किया है इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य क्या अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि उनको प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

माननीय मंत्री जी खण्ड (2)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं खण्ड (1) उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् "(3) इसे 21 अप्रेल, 1975 को प्रवृत्त किया समझा जायेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड (3) कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया ।

खण्ड (4) प्रभारी मंत्री जी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाला खण्ड (1) का सब-क्लाज तीन था ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड (2) आपने प्रस्तुत किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सेक्शन एक का सब क्लाज तीन था । खण्ड (1) का पेश किया था ।

Page No 83

(83)

श्री उपाध्यक्ष : वह गलती है (2) को बोल दें । खण्ड (2) ही लिया था (1) नहीं लिया था ।

श्री हीरालाल देवपुरा : खण्ड (2) - उप-खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय:—

"(ज) अनुज्ञप्तिधारी से,"

(क) उदयपुर में विद्युत् प्रदाय उपक्रम के सम्बंध में, दी महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर,

(ख) माऊंट आबू में विद्युत् प्रदाय उपक्रम के सम्बंध में, दी आबू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, तथा

(ग) आबू रोड में विद्युत् प्रदाय उपक्रम के सम्बंध में, दी आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है ।

(2) उप-खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ञ) 'उपक्रम' से अभिप्रेत है—

दी महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर के स्वामित्व तथा द्वारा प्रबंधित उदयपुर का विद्युत् प्रदाय उपक्रम, दी माउंट आबू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के स्वामित्व तथा द्वारा प्रबंधित माउंट आबू का विद्युत् प्रदाय उपक्रम और दी आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी के स्वामित्व तथा द्वारा प्रबंधित आबू रोड का विद्युत् प्रदाय उपक्रम ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) में संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) को स्वीकार किया गया ।

खण्ड (4)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय:—

"4 उपक्रमों का निहित होना—

(1) सभी उपक्रम 23 अप्रेल, 1975 को सरकार को अन्तरित हुये समझे जायेंगे तथा उसमें निहित होंगे ।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के अधीन, उपक्रमों के निहित हो जाने के प्रभाव से, उपक्रमों की जंगम, स्थावर सम्पत्तियों, स्थिर आस्तियां, अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर निधायी तारीख से ही काबिज हुई समझी जायेगी ।"

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अपने रात्रि को 12 बजे जो किया है 22 अप्रेल को वह 23 अप्रेल को मानेंगे या क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 23 को ठीक जीरो अवर हो गया ।

Page No 84

(84)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) में संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) का मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड (5) ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय:—

"5. उपक्रमों का बोर्ड को अन्तरण—

(1) धारा 4 के अधीन सरकार में उपक्रम निहित होने पर, उक्त उपक्रम तुरन्त ही बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगे तथा समस्त आस्तियां दायित्व, अधिकार एवं बाध्यतायें, जो इस अधिनियम के आधार पर सरकार को न्यायगत हुई हैं, तदुपरान्त बोर्ड में इस शर्त पर निहित तथा न्यायगत हो जायेंगी कि सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को संदेय शुद्ध रकम बोर्ड से वसूलीय होगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उपक्रमों का बोर्ड को अन्तरण होने पर बोर्ड के किसी भी अधिकारी के लिये उपक्रमों की स्थिर आस्तियों को सम्मिलित करते हुये स्थावर एवं जंगम सभी संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करना तथा ऐसा करने में बाधाओं, यदि कोई हों, का निराकरण करने के लिये ऐसे बल का उपयोग करना विधिपूर्ण होगा जो वह उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया

खण्ड 6

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

(1) उप-खण्ड (vi) में अभिव्यक्ति 'धारा 7 (i) (ii)' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 7 की उप-धारा (i) के खण्ड (ii)' प्रतिस्थापित की जाय, तथा

(2) खण्ड (vii) में अभिव्यक्ति 'धारा 7 (i) (iii)' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 7 की उप-धारा (i) के खण्ड (iii)' प्रतिस्थापित की जाय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाकी सब विलोपित समझे जायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, नहीं। वह तो वीच में सब्स्टीट्यूट किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया

खण्ड 7 व 8।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 एवं 8 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 एवं 8 स्वीकृत किये गये।

खण्ड 9

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 9 में खण्ड (ज) में अभिव्यक्ति "धारा 11 (2)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 11 की उप-धारा (2) एवं (3)" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

खण्ड 10 से 22

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 लगायत 22 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 लगायत 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड 23

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 23 में उप-खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(2) उक्त अध्यादेश का निरसन होने पर भी, उसके अधीन उपक्रमों की सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण करना सम्मिलित करते हुये कोई कार्यवाही, जो की गई थी, या जिसका किया जाना तात्पर्यित था, अथवा कोई बात, जो की गई थी, अथवा जिसका किया जाना तात्पर्यित था, सरकार अथवा बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उप-बन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 23 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि अनुसूची को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकृत की गई

खण्ड 1

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

"(3) इसे 21 अप्रेल, 1975 को प्रवृत्त किया समझा जायेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 मय संशोधन, अधिनियमन, सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, मय संशोधन के, अधिनियमन, सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकृत किया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राईवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अगला विधेयक—श्री गिरधारीलाल भार्गव।

भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

[निम्नलिखित परिनियत संकल्प श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया:—

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21, अप्रेल 1975 को प्रख्यापित भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरा अध्यादेश मूल में जो अभी ऑर्डिनेन्स से बिल का रूप दिया उस बिल को सप्लीमेन्ट करने के लिए ऑर्डिनेन्स निकाला है और इसमें यह है कि "Determination of amount payable in case of acquisition of an undertaking ..."

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हम तीनो को लेंगे और जो धनराशि उनको देंगे उसको तय करने के लिए यह अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसमें यह कहा है कि आवश्यकता आ पड़ी और भारत सरकार की इच्छा थी उसको हमने डिटो कर दिया। मेरा निवेदन करना यह है कि ठीक है यह प्राईवेट जो कम्पनीज हैं. इन तीनो को राज्य सरकार ने यह बिल पास करके अपने हाथ में ले लिया, लेकिन आज जो राज्य सरकार के हाथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजली घर का काम है मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ठीक है, आपने इनको अपने हाथ में ले लिया। लेने के बाद आज बिजली घर की हालत क्या है ? बिजलीघर के आधार पर यों आप कहने को कहते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि की बिल्कुल अवनति हो रहीं है। आज जो साधारण स्कीम के नाम पर जो बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं वह तो माननीय मंत्री जी बिल्कुल सपने हो गए और आज ठेकेदारों ने साधारण स्कीम के नाम पर एक एक किसान से मैं समझता हूं कि मेरे पास रसीदें हैं और कई किसान आज नीचे बैठे हुए है जिन्होने चार-चार हजार रुपया एक ठेकेदार को जमा करा दिये हैं। ठेकेदार लोग उनको कहते हैं कि आज कनेक्शन खुलने वाले हैं, कल कनेक्शन खुलने वाले हैं, लेकिन कनेक्शन खुले नहीं और वह रकम प्राइवेट ठेकेदारों के पास पड़ी हुई है। और कहीं पर घुण्डी लगा दी, कहीं पर दो चार तार खींच दिये, बल्कि कुओं के बीच में लीक लगा दी मोटर लगाने के लिए और जो किसान कुओं से चड़स के आधार पर खेती कर सकते थे वह भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चड़स कुए में डालते हैं तो बीच में लीक आ जाती है। उनका ठेकेदारों के पास पैसा फंस गया और आज चार-चार हजार रुपया उन ठेकेदारों से किसानों के लिए निकलवाना मुश्किल हो गया है। किसानों ने पत्नी के जेवर बेचकर, बैंकों से कर्ज लेकर ठेकेदारों को रकम जमा कराई और वहां सिर्फ घुण्डी लगी हुई है और दो चार तार लगे हुए हैं और उनको भगवान जाने बिजली कब मिलेगी ? यह आज किसानों की हालत है।

अग्रिम योजना के आधार पर जो लोगों ने खम्बों के पैसे जमा किये। सात-सात हजार रुपया आपने जमा किया तो उस अग्रिम योजना के आधार पर लोगों को बिजली का कनेक्शन देना बन्द कर दिया। जो भी विधायक यहां कृषक हैं मैं समझता हूं कि लोकेलिटी है जहां आसपास में बिजली आ गयी है और बीच में गांवों में बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मेरा निवेदन करना है कि जयपुर जिले की बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साधारण स्कीम बन्द कर देने के बाद किसान दुखी हैं। उसकी रकम ठेकेदारों के पास फंस गयी.... यह बिल्कुल मैं समझता हूं कि ऐसी हालत हैं, उस किसान की हालत को देखें तो मैं माननीय मन्त्री जी निश्चित रूप से मानता हूं निश्चित रूप से आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। यह किसानों की दशा है। कम से कम साधारण स्कीम के नाते कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं और आप किसानों से अच्छी खेती करवाना चाहते हैं, किसानों से लेवी लेना चाहते हैं? तो किस आधार पर लेवी लेना चाहते हैं ? आप उसको सुविधा देंगे नहीं, तो लेवी किस बात की लेंगे ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

केवल वर्षा के आधार पर, केवल भगवान के आधार पर कि पानी पड़ गया तो बाजरा पैदा हो गया और किस प्रकार उस किसान के परिवार के पचास साठ लोग वर्ष भर तक खायेंगे, किस प्रकार से जानवर रखेगा, किस प्रकार से अपने परिवार को पालेगा, वर्ष भर क्या खिलायेगा, क्या पिलायेगा और उसके बाद आपको किस प्रकार से लेवी चुकायेगा, यह भी कभी आपने सोचा है ?

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने यह कहा कि प्राईवेट कम्पनीज वाले लोगों को बिजली मंहगी देते है और उसके आधार पर जो आपने ऑर्डिनेन्स निकाला है उसका मैंने समर्थन किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बराबर बिजली की दरें बढ़ाते चले जा रहे हैं उस ओर कौन ध्यान देगा ? आप किसानों को बिजली सस्ती दें नहीं, उपभोक्ता को सस्ती दें नहीं, सस्ती बिजली देंगे डी. सी. एम. को और बड़े 2 उद्योगपतियों को जो कांग्रेस को चन्दा देंगे जो चुनाव का चन्दा चिट्ठा देंगे, जो जीपें, कारें और मोटरें देंगे, चन्दा चिट्ठा देगें उनको बिजली सस्ती देगें। उनको तीन पैसा यूनिट देंगे और किसान को 23 पैसे यूनिट में देंगे और उपभोक्ता को उससे भी कहीं ज्यादा मंहगी बिजली देंगे। मैं समझता हूं कि आप सबसे पहले किसानों को राहत दें, आप किसानों को तीन पैसे यूनिट देंगे और डी. सी. एम. और नेशनल बॉल बियरिंग को तीस पैसे यूनिट लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह आपकी प्रगतिशील नीति होगी। यहां पर कांग्रेस के बड़े 2 लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, हमारी नीतियां प्रगतिशील हैं उद्योगपतियों को ज्यादा भार देगें और किसानों को राहत देंगे, लेकिन आज तो इससे उल्टा ही हो रहा है। उद्योगों को अपना निजी स्वार्थ के आधार पर, चुनाव-चिट्ठे के आधार पर, चुनाव में मदद लेने के आधार पर और अपने दूसरे कामों के आधार पर सस्ती बिजली देंगे। लेकिन उसके बदले में किसान को जो बिजली या तो देंगे ही नहीं और देंगे भी तो मंहगी देंगे। उसके यहां बिजली का फ्यूज चला जाय तो ठीक होगा नहीं, ट्रांसफारमर लोड उठा नहीं सकता, किसी बात की आपको चिन्ता नहीं। किसान परेशान है, उपभोक्ता दुखी है, उसका जहां दो सौ का बिल आना चाहिए वहां पर छः सौ का बिल आ जाएगा, उसका कनेक्शन काट दिया जावेगा, वह आपके अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ें खड़ा रहेगा। मैं समझता हूं कि किसान को जो पालती कहा जाता था, जो सब का पालन करने वाला है वही अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि अन्नदाता मेरा फ्यूज उड़ गया है, उसको बांध दो, ट्रांसफार्मर जल गया है, लोड नहीं उठा रहा है लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस मुल्क में यह जय जवान और जय किसान का नारा स्वर्गीय लालबहादुर जी शास्त्री ने दिया या आज उसी मुल्क में किसान की यह हालत हो रही है। मैं कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो आज अधिकारियों के सामने हाथ बांधे किसान खड़ा रहता है उससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती है। या तो उसको कनेक्शन देगे नहीं और देंगे तो बिल ज्यादा। कनेक्शन इसलिए नहीं देंगे कि सामान नहीं है, खम्भे नहीं हैं, तार नहीं है। अग्रिम योजना लगा दी लेकिन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कनेक्शन नहीं। हमारे पास तार आ जाएगा तब लगा देंगे कब आ जायेगा। यह आखिर किस प्रकार की निकम्मी व्यवस्था है। आप लोगों से लोन लेना चाहते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं देना चाहते हैं। आज शहरों में भी यही हालत है। यहां तार लगाए तो कोपर के तार लगा दिए गए, अब वह बिगड़ गया, फ्यूज चला गया लाइन चली गई तो उसको ठीक नहीं कर सकते। बस्ती के बाहर कोपर के तार लगा दिए जो पिघल गए गर्मी की वजह से और उस पर आंटी लगा नहीं सकते। यह आंटी लगाने के आधार पर, आपके निकम्मे तार लगा देने के आधार पर राजस्थान का किसान दुखी है। आपने प्रधान मन्त्री के सामने जो राजस्थान की बिजली के उत्पादन का नक्शा रखा, इसके आंकड़े रखे वे भी गलत आंकड़े रखे, उनको गलत आंकड़े बताए। आपने राजस्थान का परमाणु बिजली घर अपना माना है जिस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपको फटकार दी कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री गलत आंकड़े देते हैं, यह तुम्हारा कहां से आया, यह केन्द्र का परमाणु बिजली घर है तुम्हें उत्पादन में हिस्सा मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह हालत है। आप इमारतें लेंगे तो बड़े 2 अफसरों को ओब्लाईज करने के लिए उनसे दफ्तर किराये पर लेंगे, बिजली अधिकारियों के मकान दफ्तर होंगे। आप अपने स्वयं के दफ्तर क्यों नहीं बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल वाह वाही लूटने के नाते आपने अपनी बिजली भाखड़ा से जोड़ने की बात कह दी कि हममें ताकत होगी तो हम वहां से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश में खींच कर ले जायेंगे। यह बिजली कैसे खींच कर ले आयेंगे। उस बिजली को देने के कारण लोग दुखी हैं। राजस्थान पर आज इससे प्रभाव पड़ा है। एक एक मिनिट में उद्योगों की बिजली जाती है। लाखों रुपयों का नुकसान उन कारखानों को हो रहा है। यदि कोई प्राइवेट उद्योग यहां पर बिजली लगाना चाहे तो उनको लगाने नहीं देंगे। अगर वह कोई ट्रांसफार्मर लगाना चाहें तो लगाने की इजाजत नहीं देंगे। अपनी जरूरत के लिए लगाना चाहता है तो उसको लगाने नहीं देंगे। राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के जो लघु उद्योग हैं, उद्योगपति हैं वो भी आपके इस भाखड़ा से बिजली जोड़ देने के कारण दुखी हैं व्यथित हैं। और अब गरीब जायें तो कहां जायें। लाखों रुपयों का यहां इन्वेस्टमेन्ट कर दिया, कारखाना बना लिया। अब तो हमारे मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री की ओर, इस राजस्थान सरकार की ओर आप की टकटकी लगाकर बैठे हैं तो मेरे तो आप ही अन्नदाता हो सारी इमदाद देने के लिए। उनको तो कोई राहत दे नहीं सकते और यहां पर आकर कोरी वाहवाही लूटने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करें। श्रीमती इन्दिरा गांधी को, केन्द्रीय सरकार को कह नहीं सकते। यह राजस्थान की बहबूदी का प्रश्न है जिसके लिए आपमें ताकत आनी चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए कि राजस्थान के उद्योगों को नहीं पिछड़ने देंगे। आपको हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए केन्द्रीय सरकार के सामने हमेशा घुटने टेकने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आखिर कब तक यह चलेगा। यह लोकतन्त्र है, प्रजातन्त्र है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राजस्थान की सरकार अगर राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को, "जय जवान जय किसान" की स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की भावनाओं की उपेक्षा करने वाले मन्त्रिमण्डल को तुरन्त त्याग-पत्र देना चाहिए। उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसानों से किस आधार पर लेवी लेना चाहते हैं। आप किसान को खाद दें नहीं, बीज दें नहीं, बिजली का कनेक्शन दें नहीं। निवेदन करना यह है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी गड़बड़ियां हैं, यह सारी गड़बड़ियों के बाद भी आप यह चला रहे हैं। इसी तरह से आप शहरों की हालत ले लें। जयपुर शहर की हालत देख लें। शहर के अन्दर बिजली की क्या हालत है, बस्तियों के अन्दर घोर अन्धकार है। कहीं पर लट्टू नहीं, फ्यूज उड़ जाय तो उसको बांधने वाला नहीं, जयपुर शहर बिल्कुल एक गांव की तरह से लगता है। एक बार भी आंधी आ जाय, बारिश आ जाय तो सारा का सारा सर्किट गायब, ट्यूब लाइटें बन्द, बाजार की लाइटें बन्द, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हालत है। वाल्टेज की बिल्कुल कमी। जहां पर आपका बंगला है मैं समझता हूं कि वहां पर भी ट्यूब लाइट छः बजे जला लें तो जल जायेंगे लेकिन अगर सात बजे जला कर बता दें मैं मान लूंगा। आप तो मन्त्री हैं, एम. एल. ए. हैं, आपने व्यवस्था अलग से लगा रखी हो तो बात दूसरी है लेकिन शहर की बस्तियों में चले जाइये, बस्तियों के बाहर चले जाइये, वाल्टेज बिल्कुल नहीं रहता। ट्यूब लाइटें खराब हो जाती हैं, बल्ब खराब हो जाते हैं, विद्यार्थी कम वोल्टेज के कारण पढ़ नहीं सकते, रात को बिजली गायब हो जाती है तो वह बाजार के चौराहों पर आकर, चिमनी जला कर, दीपक जलाकर उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। आजकल उनके एग्जामिनेशन के डेज हैं उसमें उनकी यह हालत हो रही है और वे राज्य सरकार को कोसते हैं। यह जयपुर शहर की बिजली की हालत है। आंधी वर्षा के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इनको आप रिक्वीजिशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कम्पन्सेशन देने का अधिकार लेना चाहिए तो मैंने जैसा निवेदन किया कि तीनों को तो आपने ले ही लिया है, बिल पास हो गया, अब डिटरमिन करने का अधिकार लेना चाहते हैं और उसमें ही यह अधिकार लेना चाहते हैं कि वह कोर्ट में नहीं जा सकेंगे तो यह अधिकार तो आप ले लें लेकिन मेरा निवेदन है कि जो किसानों की स्थिति है, शहरों की सड़कों पर जो हालत है, जो लोगों को इस प्रकार का कष्ट हो रहा है उसमें केवल थोथी वाहवाही लूटने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कि केन्द्रीय सरकार के पद चिह्नों पर चलना छोड़ें, थोथी वाहवाही लूटना छोड़ें और राजस्थान के उद्योगों को जो कष्ट है, काश्तकारों को जो बिजली नहीं मिल रही है, उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है, उस ओर ध्यान दें और इसलिए मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना है कि जो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लोगों का पैसा ठेकेदारों के पास है, उनको कनेक्शन नहीं मिला है इस ओर भी माननीय मन्त्रीजी ध्यान दें। थोथी वाह-वाही लूटने के लिए हमने भाखड़ा से जोड़ा है लेकिन आज डबलिंग होता है, ट्रिपिंग होता है जिससे उद्योगों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है मैं समझता हूं कि इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। शहरों की माकूल व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली में हमने देखा है कि कहीं पर फ्यूज होगा तो तुरन्त सीढ़ी वाले आयेंगे, मोटर पर सीढ़ी लगी होगी और सूचना देते ही आधा घण्टे में बिजली ठीक हो जाती है लेकिन जयपुर में चार चार दिन तक फ्यूज ठीक नहीं होता है। लाइटें ठीक नहीं होती हैं इसलिए कि सीढ़ी नहीं है। वहां पर आधा घण्टे में सीढ़ी पहुंच जायेगी और आधा घण्टे में कनेक्शन ठीक हो जायेगा, लट्टू ठीक हो जाएगा, फ्यूज ठीक हो जाएगा लेकिन इसके मुकाबले में जयपुर शहर के अन्दर, राजस्थान की राजधानी में बिल्कुल अंधेरा। जयपुर शहर की वस्तियों में, गलियों में घनघोर अंधकार। क्या आप इस घोर अव्यवस्था को दूर करेंगे। किसानों की हालत के बारे में मैंने निवेदन किया कि उनको बिजली मिलती नहीं है और मिलती भी है तो बिल बहुत ज्यादा आता है। जब आप उनको राहत नहीं दें तो आप किस आधार पर उनसे लेवी लेना चाहते हैं। आप घोंसपट्टी से किसानों से लेवी लेना चाहते हैं पुराने मुकदमों के आधार पर लेवी लेना चाहते हैं लेकिन किसान लेवी देने वाले नहीं हैं। आज अचरोल में किसान इसके विरुद्ध बैठे हैं, कोटपूतली में बैठे हैं सामूहिक रूप से लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और जब वे इकट्ठा होंगे ता गोलियां चलायेंगे, चलाइये गोली कितनों पर चलाते हैं लेकिन मैं निवेदन करना

(समय समाप्ति सूचक, अनवरत घण्टी)

चाहता हूं कि अब तो पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, फिर आपके माननीय मन्त्रीजी, चुनाव आयेंगे, अब तो कुन्जी किसान के हाथ में है। राजस्थान के किसान के हाथ में है, राजस्थान की जनता के हाथ में मैं समझता हूं कि कुंजी आ गई है अब ताला खोलने का ठीक वक्त आ गया है। अपनी गलत नीतियों को दुरुस्त कर लीजिये वरना आपकी, सत्तारुढ़ दल की हालत खराब होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आपका संकल्प नहीं है।

माननीय मन्त्री जी ! जवाब देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां तक इस इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने को अपनी बात कही है, उस सम्बन्ध

(श्री हीरालाल देवपुरा)
में उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही है। आम तौर पर बिजली उपभोक्ताओं को उनकी दृष्टि में क्या कठिनाई आ रही है, खास तौर से किसानों को, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में भी इस सम्बन्ध में प्रश्नों के माध्यम से, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है। राजस्थान में विद्युत् प्रसार की दृष्टि से हम काफी काम करना चाहते हैं। गत वर्ष राजस्थान में दस हजार कुओं को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में किसानों को बिजली नहीं मिल रही हैं। बिजली दिये जाने का बराबर प्रयास हमारा रहा है। प्रश्न यह आता है कि मांग अधिक है और उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। विद्युत् के बारे में एक समय था, किसान जागरूक नहीं था, इतनी मांग नहीं थी लेकिन विकास की यह एक निशानी है किसान विद्युत् की उपयोगिता को समझने लगा है और इससे काफी मांग बढ़ी है। एक तो राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से भी तंगी थी और दूसरी बात यह थी कि गत वर्ष यह कठिनाई आई थी अल्युमीनियम कन्डक्टर की उपलब्धि न होने की, सीमेन्ट की उपलब्धि न होने की और तीसरी थी पोल्स की। जितनी हमें इनकी आवश्यकता थी, उतनी तादाद में ये उपलब्ध नहीं थे। यह कठिनाई केवल राजस्थान को ही नहीं थी। यह कठिनाई सारे देश में थी। इसको स्वीकार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी 3 मई को भारत के विद्युत् मन्त्रियों की जो बैठक हुई थी दिल्ली में उसमें प्रत्येक प्रान्त से इस बात को कहा गया था कि एल्युमीनियम कन्डक्टर की बहुत बड़ी सॉर्टेज है और इसके कारण किसानों को उतनी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जितनी को करा सकते हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था कि जावे। इसके सम्बन्ध में न केवल राजस्थान चिन्तित है बल्कि इस सम्बन्ध में सारा देश और हमारे केन्द्रीय विद्युत् मंत्री चिन्तित हैं। प्रयास किया जा रहा है कि एल्यूमीनियम कन्डक्टर हमें मिलें ताकि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन किसान भाइयों को दे सकें। जो कुछ भी प्रयास इस दिशा में किया जा सकता था वह किया गया है।

माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में यह बात भी कही कि किसानों ने इस आशा से कि उनको बिजली का कनेक्शन मिल जायेगा ठेकेदारों को अग्रिम राशि देकर मोटरें ले ली और इस तरह से किसानों का रुपया उलझ गया। कुए का भी काफी काम हो गया। परन्तु मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में विद्युत् मंडल को किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो एक आम वातावरण था विद्युत् कनेक्शन किस प्रकार से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, प्रायोरिटी के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन में लिस्ट बनी हुई थी, उससे हरेक को मालूम था कि उसको कनेक्शन कब तक मिल जायेगा। उसके बाद ठेकेदार ने किसानों को चक्कर में ले लिया, इसका मुझे दुख है, अफसोस है। कनेक्शन तो हमें निश्चित रूप से कोई एक आधार बना कर ही देंगे। जब सॉर्टेज है, कमी है तो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं वरना यह कहा जायेगा पक्षपात किया गया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल देवपुरा)
साल के अन्तिम दिनों में यह फैसला किया गया कि छोटे किसानों को अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को जिनको कि कनेक्शन नहीं मिल पाये हैं, उनको कनेक्शन में प्रायोरिटी दी जावे। और जब इनको प्रायोरिटी दी है तो निश्चित रूप से जो दूसरे किसानों ने पहले एप्लीकेशन दे रखी हैं उनको कनेक्शन मिलने में देरी हुई है, उनकी अपेक्षा के अनुसार उनको समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाया है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने यहां पर यह कही की हमारे यहां पर जो एडवांस स्कीम चलती थी, एडवान्स में पैसा लेकर कनेक्शन दिया करते थे। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए हम चाहते थे कि विद्युत् का उपयोग हो जाये। कोई व्यक्ति अग्रिम धनराशि जमा कर सारा खर्चा एडवान्स में दे तो उसको लोन रख कर कनेक्शन दे देते थे। कुछ दिनों बाद इस स्कीम का नतीजा यह निकला कि जो सम्पन्न किसान थे उन्होंने तो इसका लाभ उठा लिया और नुकसान हुआ छोटे किसानों को जो इस योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं उठा पाये। जो हमारा समाजवादी दृष्टिकोण था वह यह था कि जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिले परन्तु इस योजना से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ और हमारा जो मटेरियल था वह अग्रिम योजना पर लगने लगा। छोटे किसानों को कनेक्शन नहीं मिले और उनको इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से हमने अपने इस डिसीजन को रिवाइज किया और यह अग्रिम योजना बंद कर दी। जो मटेरियल आ रहा है उसमें छोटे लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको कनेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी जो अनुसूचित जाति और जन जाति के किसान हैं उनको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हम उनको भी लाभ देना चाहते हैं। पहले की योजना के अन्तर्गत उनको कोई लाभ नही मिल सका इसलिए मजबूर होकर उनको फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह निर्णय लेना पड़ा। साथ साथ यह भी फैसला किया गया है, इस फैसले के पहले अग्रिम योजना के तहत किसी ने पैसा जमा करा दिया है....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है, सदन का समय विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस दृष्टि से हमको यह फैसला करना पड़ा कि जिन लागों ने अग्रिम राशि पहले जमा करा दी इस फैसले के पहले उन लोगों को फिर भी प्रायारिटी के आधार पर कनेक्शन दिये जायें और ज्यों ज्यों मटेरियल उपलब्ध हों उनको कनेक्शन बराबर दिये जायें।

माननीय सदस्य ने दूसरी दिक्कत की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि वोल्टेज की कमी के कारण जयपुर शहर में दिक्कत आ रही है, किसानों को दिक्कत आ रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किया था। राजस्थान में विद्युत् का प्रसार हुआ है और लम्बे लम्बे डिस्टेंन्स तक यह किया है उससे भी वोल्टेज में फर्क आता है यह जा फैलाव किया गया इसका भी एक कारण था। हमें ज्योंही विद्युत् मिली हम उसका प्रसार, विकास करने लगे। उस वक्त हमारा ध्यान विस्तार की ओर ही अधिक था और हमने आगमेन्टेशन को कोई तरजीह नहीं दी। अब मांग बढ़ने लगी है और यह आवश्यक भी हो गया है। किसानों तक बिजली पहुंचे यह दृष्टिकोण हमारा है। आज हम यह महसूस करते हैं कि एक दृष्टि से जो फैलाव किया उससे दिक्कतें आ रही हैं। आगमेन्टेशन होना चाहिये ताकि वोल्टेज की कोई गड़बड़ी न हो और किसानों को ठाक से बिजली मिल सके, कोई दिक्कत न रहे। इस बात को भी गत वर्ष से ठीक करना प्रारंभ कर दिया है। कई जगह हमने लाइन्स को ठीक किया है। जो हमारे पावर हाउस ट्रान्सफार्मर स्टैन्ड हैं वहां पर सेक्रोनाइजिंग कन्डेन्सर का उपयोग करके वाल्टेज की सप्लाई जो 33 के. वी. की लाइन पर नहीं थी उसको फैज किया और 132 के. वी. की लाइन पर शोर्टेज थी उसको वहां पर फेज किया। यही नहीं हम यह चाहते हैं कि किसान भी अपने यहां पर केपेसिटर्स लगायें ताकि मोटर के ऊपर असर न हो और वोल्टेज की दिक्कत न हो लेकिन आज वह जितने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि किसान को रेगुलर वोल्टेज दें।

हमारे यहां काफी दूर से लाइन आती है तो लम्बी लाइन में ट्रिपिंग की दिक्कत होती है। मैं उदाहरण दूं कि तीन दिन से जयपुर में बिजली में गड़बड़ है भयंकर आंधी की वजह से। कई जगहों पर फाल्ट आया है। उसकी वजह से दिक्कत रही है फिर भी प्रयत्न किया गया है कि जो दिक्कत चल रही है उसको दूर करें और जल्दी से जल्दी वहां पर बिजली जयपुर में मिल सके यह बराबर प्रयत्न किया गया है। हम बराबर इस दृष्टि से प्रयत्नशील हैं। किसी प्रकार की ढिलाई हो ऐसी बात नहीं है। उदासानता बरती जा रही हो ऐसी बात नहीं है। जो कुछ कमियां रही हैं उनको दूर करने का मैंने निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्यों को इससे सन्तुष्ट होना चाहिए।

आप बिजली का जो कन्जम्पशन है उसको अगर देखें तो जो गत वर्ष 73-74 में जो कन्जम्पशन हुआ था वह मेक्जीनम कन्जम्पशन बिजली का 73-74 में 77 लाख युनिट प्रतिदिन का था लेकिन इस वर्ष 74-75 में जो कन्जम्पशन हुआ वह 92 लाख युनिट प्रति दिन तक टच किया है। यह नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर बिजली का कन्जम्पशन कम हो रहा है यह सही है कि राजस्थान में उतनी युनिट पर हैड के हिसाब से नहीं है दूसरी रियासतों के मुकाबले में। वह बात कम है क्योंकि हमारे यहां पर यह काम बाद में प्रारम्भ हुआ है। उस स्थिति में यह चाहते हैं कि हमारी स्टेट में भी एवरेज पर केपिटा कन्जम्पशन है वह उस हद तक पहुंचे। हमारा प्रयास इस समय इस ओर है।

माननीय सदस्य ने एक बात कही थी और उस बात को कई बार दोहराया गया है और सरकार पर यह आरोप बराबर लगाया जाता रहा है कि हम सेन्टर के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सामने कमजोर बन जाते हैं और जितना लाभ हमको मिलना चाहिए उतना लाभ हम नहीं ले पाते हैं। यह माननीय सदस्य का केवल भ्रम मात्र है। हमारी कोई कमजोरी का प्रश्न नहीं है। पेरेलेरिंग को लेकर जब चम्बल कम्प्लेक्स को पेरेलेलिंग में भाखरा से जोड़ा गया तो उसकी चर्चा की तो उसमें कहा गया कि उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है। हमारे टेक्नोलॉजिकल अधिकारियों से या उनके नजदीक के टेक्निकल अधिकारियों से उन्होंने जानकारी की होती तो वह यह बात यहां पर प्रस्तुत नहीं करते। हमारे राजस्थान के इस पैरेलेलिंग पर न केवल भारत सरकार का बल्कि पंजाब और हरियाणा का यह आरोप है कि पेरेलेलिंग तो इस दृष्टि से किया था कि चंबल की बिजली को पंजाब और हरियाणा में उपयोग करेंगे, लेकिन पेरेलेलिंग का असर यह हुआ कि भाखरा से आने वाली बिजली का उपयोग राजस्थान और मध्यप्रदेश ने किया है। यह आरोप राजस्थान के ऊपर आ रहा है। यह तो आंकड़े बताते हैं कि बिजली का फ्लो किधर हुआ है। माननीय सदस्य यह रस्साकशी नहीं है कि बिजली को खेंचकर बिजली को इधर उधर ले लेंगे। यह दुनियां भी समझती है कि यह रस्साकशी नहीं। पानी ऊपर होता है तो नीचे को आता है। यही स्थिति बिजली की है कि ऊपर ज्यादा होती है तो नीचे की तरफ जाती है। जहां पर लोड फेक्टर ज्यादा होता है उधर ही बिजली का प्रवाह होगा। जहां पर लोड फेक्टर नहीं होगा तो वहां पर बिजली का प्रवाह नहीं होगा। जब एक सिस्टम से बिजली राजस्थान में आती है तो राजस्थान में बिजली के कन्जम्पशन की केपेसिटी अपेक्षाकृत ज्यादा थी उन घन्टों में। बिजली का प्रसार एक सरीखा नहीं रहता है 24 घन्टों में हर समय बिजली के आवागमन का प्रवाह बढ़ता है। जिस समय लोड फेक्टर राजस्थान में ज्यादा होगा बिजली उधर से राजस्थान की तरफ आयेगी। जब लोड फेक्टर उनका ज्यादा होगा तो बिजली का प्रवाह उनकी तरफ होगा। जो टेक्निकल आधार पर सोचते थे कि पेरेलेलिंग से बिजली का लाभ उठायेंगे तो जब तक बराबर इन्स्ट्रूमेन्टेशन नहीं हो जाय तब तक यह संभव नहीं हो पा रहा है। एक चार्ज था हमारे ऊपर कि जो कुछ भी काम करना चाहिए था वह हमने नहीं किया तो हमने कम्पलीट कार्यवाही की अपने टेक्निकल आदमी भेज दें वह आकर देखे कि कहां पर गड़बड़ हो सकती है। राजस्थान में कोई गड़बड़ कहां पर पैदा हुई हैं। हम तो यह चाहते हैं कि राजस्थान में अगर विद्युत् ज्यादा लब्ध हो तो निश्चित रूप से पड़ौसी प्रान्तों को विद्युत् का लाभ मिलना चाहिए। उससे इन्कार करके हम नहीं चलते हैं, नेशनल इन्ट्रेस्ट में उसको इन्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि राजस्थान की जरूरतों को पहले पूरा किया जाना चाहिए। राजस्थान की जरूरत पूरी हो उसके बाद में विद्युत् हो तो दूसरे प्रान्तों को दी जाय। आज स्थिति यह है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। राजस्थान के बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान में बिजली सरप्लस है। राजस्थान बिजली के मायने में सरप्लस नहीं हैं। राजस्थान में यह बात सही है कि हम हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। चम्बल में एडिशनल जेनेरेशन कर के हमने बिजली की जरूरत को मीट आउट किया है। रेग्युलर जेनेरेटर्स काम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करते तो हमारे यहां पर बिजली की शॉर्टेज होती। शॉर्टेज के सम्बन्ध में यह है कि जब आर. ए. पी. पी. बन्द हुआ था तो कई बार हमको बिजली नहीं मिली। शॉर्टेज के सम्बन्ध में खास तौर से इन्डस्ट्रीज पर 100 में से 80 पर्सेन्ट पर कट इम्पोज किया है। यह स्थिति राजस्थान में रही है यह मानना कि बिजली बहुत ज्यादा है और राजस्थान विद्युत् मण्डल उसका सही तौर से उपयोग नहीं कर पा रहा हैं या जानबूझकर लोगों को बिजली नहीं दे पा रहा है ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा बराबर प्रयास यह रहा है कि आज जो स्थिति है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिले। उस ओर हम ध्यान देकर चलते है। इन्स्ट्रूमेन्टेशन के लिए भी हम जो कुछ कार्यवाही कर सकते हैं कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा और मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी दृष्टिकोण लेकर हमने तीन फजेज में इसको अपने हाथ में लिया है और मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि हमारा प्रयास यह रहेगा कि यहां के लोगों को सुविधा मिले। यह हमारा बराबर प्रयास रहेगा मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव किया है इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय इसको वापिस लिया जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी तो अध्यादेश के बारे में ही है कि इसको निरस्त किया जाय। उसके लिए अपील करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापिस लेना चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हवा महल से, जौहरी बाजार से नहीं।

मैं माननीय मंत्री जी के कहने के बाद में और आपकी आज्ञा से अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ के लिए प्रस्ताव।

विधेयक पर विचारार्थ-प्रस्ताव

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्न प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया :

"भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, यह कह रहे थे कि राजस्थान में बिजली पर्याप्त है और बिजली की कोई कमी नहीं है और बिजली वहां से खींचकर आ रही है, इधर राजस्थान के किसान विद्युत् के लिए परेशान हैं और उनकी 7 हजार दरख्वास्तें आपके पास में पड़ी हुई हैं बिजली के लिए आप भी जयपुर में रहते हैं। मैं भी जयपुर में रहता हूं। किसान जो मेरे पास आयेंगे, मैं उनको आपके पास भी लाऊंगा। प्रार्थना करना यह है कि आप कब तक यह कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं। दूसरी बात आदमी बांटे तब जब खुद का पेट भरा हुआ हो। पड़ोस को तो आप बिजली दे रहे हैं खुद के यहां पर अंधेरा है। यह तो दिया तले अंधेरे वाली मिसाल काम कर रही है। आप दिल्ली को बिजली सप्लाई करें। हमें इसमें आपत्ति नहीं है। हमको गर्व होगा। हम कहेंगे, हरिदेव जोशी की कृपा से हम दिल्ली को बिजली सप्लाई करते हैं। राजस्थान विधान सभा में हम तारीफ करते हैं। दिल्ली में तो कहने की कोई बात नहीं है। आप यह स्पष्ट बतायें कि साधारण किसानों को बिजली कब मिलेगी। 18 जनवरी से जयपुर जिले में आपने लगा रखा है। साधारण किसानों को आप किस तिथि से देना प्रारम्भ करेंगे। यह घोषणा आप करें तो में यह मानूंगा कि आप बड़े बहादुर हैं। इन्दिरा जी के सामने झुकते नहीं हैं। महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लेंगे। मूंछ ताने रहेंगे। महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया है, वैसा ही आप केन्द्र के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर आप ऐसा करें तो हम आपके पीछे हैं। आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं, घिराव नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें बता दें जब वह यहां आयें। हम राजस्थान के किसानों से घिराव करायेंगे। इन्दिरा जी मान जायेंगी कि राजस्थान के लोगों की बात ठीक है। आपने स्वयं इस बात को माना है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लोगों का पैसा फंस गया है। आप स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि साधारण किसानों का आप बिजली कब से देना प्रारम्भ करेंगे। राजस्थान में जो उद्योग लगे हैं, वह भी बहुत दुखी हैं। कुछ हो नहीं रहा है। जयपुर के बाजारों में आप जाते नहीं हैं। आप वहां जाकर देख लें कि कितना अंधेरा रहता है। मुहल्लों और गलियों के भीतर आप जाते नहीं हैं। नहीं तो मैं किसी लड़के की जन्म तिथि मना कर आपको चाय पार्टी पर बुलायें। तब आप देखिये कि वहां पर कितना अन्धकार है। बाजारों में अंधकार है। सिरेड्योढ़ा बाजार में अन्धकार है। आप दिल्ली जाते हैं तो सिरेड्योढ़ी बाजार में आप लाइट जला कर देख लें। बापू बाजार में आपने ढोल लगा दिये हैं। लाग उसकी ठोकर खाते हैं। सारे रास्ते को ढोल लगा कर रोक रखा है। मिर्जा इस्माइल रोड पर आप देखें। वहां रोजाना आप जन्तर मन्तर बनाते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : विधायकपुरी में भी अन्धेरा है, उसकी भी बात करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चारों तरफ अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको दीपक का सहारा लेना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह करना है कि वहां अंधेरा है। आप दीपक को जलायें।

(अनेक माननीय सदस्य के बोलने के कारण अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा कीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दीपक जला रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं दीपक तो जला रहा हूं। सभी जलाते हैं। इसलिए तो मुझे गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ता है। मैंने तो रोशनी वाली बात कह दी है, तो आप चिढ़ गये हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि जयपुर शहर की हालत यह है। राजस्थान की राजधानी की हालत यह है कि गलियों में अंधेरा है। शहर में चार-चार दिन तक लाइनें ठीक नहीं होती हैं। फ्यूज ठीक नहीं होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

फिर गांवों की क्या हालत होगी। लम्बे चौड़े उनके बिल आते हैं। आप सांगानेर जायें तो आपको पता चलेगा कि लोगों के छः-छः सौ रुपये के बिल आते हैं। सांगानेर पंचायत समिति में किसानों के 6 हजार के मीटर जल गये हैं। अगर किसा ने जो भी बोये हैं तो गेहूं कि लेवी वसूल की जा रही है। मेरी भी जमीन है। मुझे भी धमकी दी जा रही है कि जेल भेज देंगे। मैं तो यह कहूंगा कि इस निकम्मी सरकार को राजस्थान के किसान लेवी नहीं दें। मैं मोटे-मोटे मुद्दे की बात कहता हूं। मेरा निवेदन है कि उन किसानों को आप बिजली कब देंगे। यह व्यवस्था आप कब करेंगे। इसलिए मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है। आप पैसा नहीं देंगे। कम्पनसेशन नहीं देंगे। इसलिए मैंने यह जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है। आप इस प्रकार का स्टेटमैंट लायें। जयपुर शहर की जो उपयोगिता है, उसके अनुसार, आप यहां करें। यह दीपक जलाने पर ही होगा। यही मैंने ध्यान दिलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

आप बोलना चाहेंगे।

श्री रामकिशन : आप कहें तो मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो आपका नाम बोला है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जिन 3 कम्पनियों को अपने हाथ में लिया है। मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हो चुका है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह पहले वाला तो पास हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी भारतीय विद्युत (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1975 के बारे में आपका एक प्रस्ताव है।

श्री रामकिशन : मैं उस समय मीटिंग में था।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो एक्चुअल कम्पनसेशन देने को नियमित करना है। जो अमाउण्ट करने का प्रावधान है।

श्री रामकिशन : इस पर तो नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्न प्रस्ताव श्री केशरीमल ने प्रस्तुत किया : "भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"]

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मेरा इतना ही निवेदन है कि यह जो कम्पनसेशन दिया जा रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी कम्पनियां है, जिनमें मजदूरों का बकाया लाखों की तादाद में रह जाता है। यह पैसा चाहे ब्यावर एडवर्ड मिल हो या महालक्ष्मी मिल हो। जितने कारखाने सरकार ने हाथ में लिये हैं। उन मजदूरों का पैसा सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। मेरा आपके जरिये से यह निवेदन है कि जब कम्पनियों को कम्पनसेशन दिया जाये तो सरकार द्वारा इस बात की जांच की जाये कि मजदूरों के पैसे की मद में कितना पैसा बकाया है। उस रकम को देने के बाद ही उनको पैसा दिया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों को बकाया पैसा काटकर उनको पैसा दे दिया जाये। जब तक अपने हाथ में पैसा है तो इस बारे में निश्चित करें। मजदूरों का पैसा चुकाने के बाद ही उनको पैसा दें। यह एक मुद्दा है। दूसरा मेरा कहना यह है कि ऐसे कारखाने जो बन्द करने वाले होते हैं। उसमें कई ऐसे लोग रखे जाते हैं, जिनका उनमें कोई काम नहीं है। उनको कैसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। साथ ही साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो मन्त्री महोदय ने बताया है, उससे मैं भी सन्तुष्ट हूं। शायद सारे मजदूरों को काम पर लगा लिया जायेगा और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। गवर्नमेन्ट के हाथ में आ जाने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि वे मुश्किल में पड़ जायें। उनकी ग्रेच्युटी और प्रोविडेन्ट फन्ड की व्यवस्था भी तुरन्त होनी चाहिए ताकि जो मजदूर जाने वाले हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होवे। वहां कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जाना नहीं चाहते परन्तु गवर्नमेन्ट उनको भेजना चाहेगी तो उनकी भी सब प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(1.21 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

कई लोगों के ड्यूटियों के मामले हैं उनको भी पैसे मिल जाने चाहिए और जो लोग वहां रहना चाहेंगे उनकी सर्विस और सीनियोरिटी बनाये रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मन्त्री जी ने भी कह दिया है इसलिए इसकी चिन्ता कम है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट ही कहना है। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि एडवान्स स्कीम जो हैं उससे गरीबों के लिए कोई मौका नहीं मिलता है और बड़े-बड़े समृद्ध और पैसे वाले जो लोग हैं उनको ही फायदा होता

(श्री मीठालाल)

हैं। सभापति महोदय, मेरा इसमें अलग से मान्यता है, मेरा सुझाव यह है कि एडवान्स स्कीम के तहत पैसा देने वालों को जो एडवान्स में पैसा जमा करता है उनको कनेक्शन दिये जाते हैं इससे जो साधारण स्कीम में जो गरीब किसानों की लिस्ट है उनको और अन्य लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। गरीब आदमियों को कैसे कनेक्शन मिलेंगे बड़े आदमी तो पैसा देकर भी अलग स्कीम में चले जायेंगे, ऐसा प्रायः होता है कि जो ऊंचे आदमी हैं एडवान्स स्कीस के तहत पहले कनेक्शन ले लेते हैं और उनके लिए जो कई प्रकार के कानून नहीं होते हुए भी कानून बन जाते हैं। इसलिए बड़े आदमी तो हर तरह से फायदा उठा लेते हैं, सरकार से। इसलिए मेरा सुझाव है कि एडवान्स स्कीम को चालू रखना चाहिए और वहां पर एडवांस में सरकार को पैसा मिल जाय तो साधारण तरीके से उनको गरीब किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि साधारण प्रक्रिया के तहत गरीब लोगों को जो कि साधारण लोग हैं या जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का तो मैं नहीं कहता परन्तु गत साल से जयपुर जिले में कितने कनेक्शन आपने साधारण प्रक्रिया के तहत दिये, आपने जयपुर जिले की एक भी तहसील में कनेक्शन नहीं दिया आज आप यह कहते हैं कि जो बड़े आदमी हैं और पैसे वाले हैं वह एडवान्स स्कीम से फायदा उठा लेते हैं और साधारण लोगों को वंचित रहना पड़ता है। परन्तु साधारण लोगों को एडवान्स स्कीम के तहत उनको बैंक से लोन भी मिल जाता था और वे बैंक से लोन लेकर फायद उठा सकते थे और उनको कनेक्शन मिल सकता था। कई पैसे वालों को जिन्होंने एडवान्स में पैसे जमा करा दिये उनको जिन्होंने बैंक से लेकर पैसे जमा कराये थे उनको भी कनेक्शन नहीं मिले हैं, उनको भी एडवान्स स्कीम से फायदा नहीं हुआ है। एडवान्स स्कीम बन्द करने के समय जो पेन्डिग प्रार्थना-पत्र पड़े हुए थे उनको तो कम से कम आप स्वीकृत करा देवें। जिन लोगों को समय पर इन्टीमेशन समय पर नहीं मिली यह जिम्मेदारी तो विभाग की है। जो प्रार्थना पत्र समय पर प्राप्त हो गये थे उनको तो अब भी स्वीकृत कर देना चाहिए। आप कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है सरकार की, तो इस स्कीम में तो लोग पहले पैसे एडवान्स में जमा कराते हैं।

(1.26 म. प.)

श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन

दूसरी बात यह है कि जो योजनायें आर. एस. ई. बी. से स्वीकृत होती हैं, लेकिन उनका काम कब तक शुरू होगा, उनका कोई भी काम शुरू नहीं होता है। आपका यह फर्ज है कि स्वीकृत होने के बाद काम को जल्दी से जल्दी चालू करवायें और छोटे-छोटे लोगों को अधिक से अधिक फायदा दिलवायें। अन्त में मेरा निवेदन करना यह है कि एडवान्स स्कीम के बारे में आप गम्भीरता से सोचें और गरीब लोगों को फायदा होगा और वे बैंक से लोन लेकर एडवान्स स्कीम के तहत पैसा जमा करा

(श्री मीठालाल)
सकेंगे, इसलिए आप इस पर इसको चालू करने के लिये पुनः सोचें।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली! (अनुपस्थित)

माननीय मन्त्रीजी!

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई नया बिन्दु तो आया नहीं है जिसका उत्तर देना बाकी हो। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कम से कम यह बता दिया जाय कि कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसका प्रश्न नहीं उठता है। कनेक्शन बराबर मिल जायेंगे, इसके लिए कोई पाबन्दी नहीं की गई है, कनेक्शन बन्द नहीं किये गये हैं। सवाल यह है कि कनेक्शन प्रायोरिटी बेसिस पर दिये जांय। आज हमारे सामने समस्या मेटीरियल की है। मेटीरीयल के आने पर कनेक्शन दिये जा रहे है, कहीं कनेक्शन रोके हुये हों, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुओं में मोटर फिट करने के लिये दिक्कत है और चड़स से सिंचाई करनी पड़ती है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक केसेज तो हमारे सामने आये नहीं है। ऐसा मालूम होने पर किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको शोर्ट आउट करके हल निकाला जा सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कनेक्शन देना बन्द नहीं किया गया है, और कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर देना चालू है।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें मजदूरों के बारे में कहीं हैं, मैं उन पर काफी कह चुका हूं और प्रावधान भी किया गया है जिससे मजदूरों को ग्रेच्युटी, उनके प्रोवीडेन्ट फन्ड और मजदूरी जो मिलने वाली है निश्चित रूप से उनके हितों की रक्षा की जायेगी।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि एडवान्स स्कीम को पुनः चालू की जांय। इससे लोगों की फायदा होगा हम भी चाहते हैं कि इसको चालू किया जाय। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मेटीरियल उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से हमको चालू रखना चाहिये। लेकिन क्वेश्चन है हमारे सामने कि मेटीरीयल उपलब्ध नहीं हो रहा है और जब हम किसी से पैसा लेते हैं, एडवान्स में पैसा लेते हैं तो उसके लिये कनेक्शन का भी पहले व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे वह साधारण स्कीम में नहीं आवे। इसलिये इसको बन्द नहीं किया गया हैं। मटीरायल की उपलब्धि होने पर इसको पुनः चालू करने पर विचार कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों को दोनों ही प्रकार से अधिक से अधिक फायदा मिले। हमारा उद्देश्य साफ हैं कि छोटे-छोटे किसानों को भी लाभ मिलना चाहिये, केवल कुछ लोगों को ही इसका लाभ मिले, यह भी दृष्टिकाण नहीं होना चाहिये। जिन लोगों ने एडवान्स स्कीम में पैसा जमा करा दिया है उनके लिये विचार चालू है। उनको मैं यह कह सकता हूं कि जिनकी दरख्वास्तें साधारण स्कीम में है उन पर प्रायोरिटी से विचार कर सकेंगे। जिस तारीख की दरख्वास्तें हैं उनके एडजस्ट करके उनके काम को भी बन्द नहीं किया जायेगा इस तरह से एडवान्स स्कीम में जिनकी दरख्वास्तें थी और जो अब साधारण स्कीम में चले गये हैं उनको भी इससे फायदा मिल सकेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन

(श्री हीरालाल देवपुरा)
करूंगा कि जो प्रस्ताव जनमत जानने के उद्देश्यों से और दूसरा जो केशरीमल जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा है, उसको वे वापिस ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्री महोदय, आपने यह कहा है कि कनेक्शन मिले हैं, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि कोई कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, इसके कारण भी मुझको मालूम है। मेरा निवेदन करना यह है कि…

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य आप इस बात को बराबर कह रहे हैं कि बिजली सरप्लस है। मैंने कई बार यह बात कही है कि हमारे पास बिजली सरप्लस नहीं है और हमने दूसरे प्रान्तों को बिजली नहीं दी है। हमारे पास कतई सरप्लस बिजली नहीं है। अगर सरप्लस बिजली होती तो यह नीति…

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपने कहा कि कनेक्शन चालू हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जयपुर जिलें में साधारण स्कीम वाली बात छोड़ दीजिये, अग्रिम योजना के अधीन लोगों ने पैसा जमा करा रखा था, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। यह अधिकारियों ने जानकारी दी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सम्बन्ध में बतायें, मैं खास तौर पर देख लूंगा, क्यों बन्द है, क्या कारण है। मैं आपको बता दूंगा, क्या कारण हैं, क्यों बन्द है। नहीं चालू है तो चालू करने वाली बात होगी तो उस पर विचार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : साधारण स्कीम के लिए कब तक बिजली सरप्लस होंगी। मेरा निवेदन है….

श्री हीरालाल देवपुरा : इस बात को बार बार कह रहें हैं बिजली सरप्लस है, बिजली सरप्लस है। आपने कहा, सरप्लस बिजली है और बिजली दूसरे प्रान्तों को दे रहे हैं। मैं स्पष्ट बता चुका हूं, बिजली दूसरे प्रान्तों का नहीं दी है राजस्थान में सरप्लस बिजली नहीं है। चम्बल में ओवर जनरेट करके, बिजली जनरेट करके देते हैं। आप सोचें कि सरप्लस बिजली है यह कोई बात नहीं है। हमारी कन्जम्पशन कैपेसिटी ज्यादा थी, इसलिए बिजली उधर से ली। बिजली हमारे यहां सरप्लस नहीं हैं। आर. ए. पी. पी. बन्द हो जाता है यह सारे सवाल है। इसलिए सरप्लस का सवाल नहीं है। आप साधारण स्कीम की बात कह रहे है, अग्रिम योजना की बात कह रहे हैं, मैंने साफ तौर पर कहा कि कनेक्शन बन्द नहीं है। अग्रिम योजना की बात नहीं है। लेकिन साधारण स्कीम में क्या डिफेक्ट है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्यों नहीं कनेक्शन हो रहे हैं यह मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता। आप बता देना, मैं आपको स्थिति बता दूंगा। मैं अधिकारियों से बात कर लूंगा। जो मेटीरियल है वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है, तो जो मेटीरियल है वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए और कनेक्शन चालू रखने चाहिये। यह निवेदन है।

श्री मोठालाल : जो आपने प्रार्थना पत्र के द्वारा एडवान्स स्कीम चालू की, कुछ को दे दिये हैं, कुछ को नहीं। उससे फायदा नहीं है, क्योंकि पांच पांच साल से ज्यादा

(श्री मीठालाल)
हो गये हैं लेकिन स्कीम के तहत कनेक्शन नहीं दे रहे हैं । एडवान्स स्कीम में छः महीने पहिले दिए हैं, उनको कब देंगे ? एडवान्स स्कीम चालू थी इसलिए लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिये हैं लेकिन ऐसे बहुत कम केसेज हैं, राजस्थान में बहुत कम हैं जिनको कनेक्शन दिये हैं । यह स्वीकार कर लेना चाहिये, इसमें एतराज नहीं होना चाहिये । अग्रिम योजना के अन्दर धनराशि जमा करा दी है और समय पर प्रार्थना पत्र दे दिये हैं लेकिन समय पर देने के बाद भी बिजली की स्कीम में नहीं लेते हैं । तो यह उनके साथ अन्याय है । साधारण स्कीम के तहत बिजली मिल रही है, यह आपने स्टेजी भाषण दे दिया कि बिजली दे रहे हैं कनेक्शन बन्द नहीं किये हैं । यह बात आप मान लें, लेकिन आप हकीकत में जायं कि जयपुर जिले में कितने कनेक्शन साधारण स्कीम में मिल रहे हैं तो लालसोट तहसील में देखेंगे कि गत तीन साल में केवल अभी अभा कोटपूतली में बिजली दी है, लेकिन गत तीन साल में लालसोट तहसील में कोई कनेक्शन नहीं दिये हैं । दो कनेक्शन ज़रूर दिये हैं, लेकिन एक भी साधारण प्रक्रिया के तहत नहीं मिल रहा है । किसी तरह किसानों को दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री गलत सोच रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने निवेदन कर दिया कि आप पर्टीक्यूलर केस हो तो बता दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पर्टीक्यूलर नहीं, बिल्कुल तकरीर गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : निदान क्या है, वह जवाब दे चुके हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निदान का तो यह है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कनेक्शन बन्द कब हुए हैं । 18 जनवरी, 1975 से अग्रिम स्कीम बन्द हो गई । साधारण स्कीम को बन्द हुए तीन वर्ष हो गये । अग्रिम स्कीम 18 जनवरी, 1975 को जयपुर जिले में बन्द कर दी । मुझे राजस्थान का ज्ञान नहीं है, मैं बाड़मेर, जैसलमेर की बात नहीं कर रहा हूं । मुझको ज्ञान नहीं है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर इस स्कीम के तहत कनेक्शन बन्द है । आप इसको साधारण बात समझ रहे हैं । इस प्रकार का कथन करना कि कनेक्शन चालू हैं, गलत है । आज किसान दुःखी हैं, इतने दुःखी हैं, कि आप एक बार किसी परिवार के लोगों को देख लें तो आंखों में आंसू आ जायेंगे । मैं केवल इस बात पर वजन डालना चाहता हूं कि आपका कथन बिल्कुल गलत है । मैं समझता हूं कि विरोध प्रकट करने का कौनसा तरीका रहता है । मैं बोल लूं और फिर बैठ जाऊं । मैं आपके अधिकारियों से मिला हूं । आप मंत्री हैं तो मैं एम.एल.ए. हूं । इसमें पार्टी का सवाल रहता नहीं है । आपने कहा तो ऐसा नहीं है कि कोई भगवान की बात हो गई । भगवान की नीति यहां है नहीं । आपके अधिकारियों ने कहा कि कनेक्शन बन्द हैं । आप कह रहे कि कनेक्शन दे रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि जयपुर जिले में कनेक्शन बन्द हैं । आज किसान इससे दुःखी हैं । मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूं और नैतिकता के आधार पर जोर डालना चाहता हूं । किसान की भावनायें उसको आपके पास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तक पहुंचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। मैं आपका गट्टा पकड़ नहीं सकता, लट्ठ नहीं चला सकता, आपका अपमान कर नहीं सकता, सदन का अपमान कर नहीं सकता। आज जयपुर जिले के किसान दुःखी हैं। आपकी कथनी गलत है इस बात को प्रबलता देने के लिए, सरकार की नीति को ठीक करने के लिए नैतिक वजन डालने के लिए, मैं समझता हूं कि मैं सदन से चला जाऊं। मैं इस पर जोर डालना चाहता हूं, नैतिक प्रभाव डालना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि साधारण स्कीम के तहत किसानों को कनेक्शन निश्चित रूप से दें। अभी मैं दुःख प्रकट करता हुआ सदन से चला जाता हूं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जानमोहम्मद खां : यह जयपुर जिले का सवाल ही नहीं है और जिले भी हैं....

श्री केदारनाथ : अच्छा हुआ, भूख लग रही है। औरों को भी मौका दे दीजिये।

श्री मीठालाल : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह चुके हैं।

श्री मीठालाल : जयपुर जिले के बारे में बता रहे थे, एडवान्स स्कीम के बारे में?

श्री हीरालाल देवपुरा : वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूं, जयपुर जिले में और राजस्थान में कनेक्शन कहीं बन्द नहीं है। स्पेशल सरकम्सटान्सेज कुछ हो सकती हैं। आज जब मेरे सामने बात कर रहे हैं, संभवतः मेटिरियल नहीं हो और कनेक्शन नहीं मिल रहे हों। मैंने इसे चैलेन्ज नहीं किया मैंने कहा कि मेटिरियल उपलब्ध होने पर कनेक्शन

श्री रामकिशन : मिल नहीं रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा, कह रहा हूं कि कनेक्शन बन्द नहीं किये हैं। मैंने यह नहीं कहा कि कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। जो स्थिति आज है, आपने कहा कि इसमें कब तक दे देंगे, तो मैं यह नहीं कह सकता। जब मेटिरियल उपलब्ध होगा तो प्रायोरिटी के आधार पर कनेक्शन देंगे।

एडवान्स स्कीम में यह हो सकता है कि एडवान्स स्कीम में एप्लीकेशन आयी हुई हों, साधारण स्कीम की दरख्वास्त हों उसमें प्रायोरिटी में कही एडजेस्ट करके कर लेंगे। एडवान्स स्कीम को बन्द किया क्योंकि साधारण स्कीम में मेटिरियल की कमी के कारण कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री मीठालाल : देख तो लीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : देखने में दिक्कत नहीं है।

श्री रामकिशन : मेटिरियल की दिक्कत क्यों है? यह सही है कि योजना बनाते हैं तो एडवान्स स्टेप नहीं लेते हैं, ऑर्डर पहले नहीं देते हैं। जो भी स्कीम हैं, उनके अनुसार काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेटिरियल की कमी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है, एक्शन लिया हुआ है, ऑर्डर प्लेस किया

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हुआ है। यह फेक्ट है कि एलम्युनियम की देश में कमी है और कन्डक्टर जितने बनने चाहिए वह नहीं बन पा रहे हैं। यह फक्ट है। यह स्थिति राजस्थान की ही नहीं है। मैंने बताया कि 3 मई 1975 को दिल्ली में पॉवर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई उसमें हर मिनिस्टर की यह प्रॉब्लम थी कि बिजली का उपयोग करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि कन्डक्टर उपलब्ध नहीं हैं। यह दिक्कत राजस्थान की ही नहीं है। आप कहते हैं कि एडवान्स एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं बताऊं कि एडवान्स एक्शन लिया हुआ है, आर्डर प्लेस किया हुआ है।

श्री मोठालाल : तीन साल से कह रहे है कि मेटिरियल नहीं है । मेटिरियल के कारण....

श्री हीरालाल देवपुरा : मेटीरियल आया है और दस हजार कुओं को कनेक्शन दिये हैं।

श्री मोठालाल : जयपुर जिले में तीन साल से कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे मेटिरियल नहीं है, मेटिरियल आने पर देंगे। मैं सुझाव दूं कि प्रायोरिटी में हों या नहीं हों, कोई भी उपभोक्ता मेटिरियल लाकर कनेक्शन लेना चाहे तो आप दे देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो उपभोक्ता मेटिरियल की जरूरत है वह मेटिरियल लाकर देगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जान मोहम्मद खां : बिजली का सवाल जयपुर का ही नहीं है। झालावाड़ में भी बिजली की कमी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जानमोहम्मद खां : जिला जयपुर की चर्चा हो रही है, जयपुर जयपुर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री केशरीमल : आप प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं।

श्री केशरीमल : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री केशरीमल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

Page No 106

(106)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विद्युत् (राजस्थान संशोधन) विधेयक भारतीय 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 8 मई, 1975 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.40 पर बृहस्पतिवार दिनांक 8 मई, 1975 के प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1
(तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 9 की सूची)

Number of Jobseekers on the live register of the employment Exchanges in Rajasthan

Category			As on 31st December, 1974
1.	Non Matric & Illitrate		114120
2.	Matriculates & above but below graduates		81410
3.	I. T. I.		2534
4.	B. S. T. C.		2643
5.	Graduates		
	A.	Agriculture	372
	B.	Vaterinary	5
	C.	Medical	429
	D.	Science	5704
	E.	Commerce	3107
	F.	Arts	8068
	G.	B. A., B. Ed.	1361
		M. A., B.Ed.	1740
	H.	Law	231
	I.	Miscellaneous	25
6.	Post Graduate		
	i.	Agriculture	56
	ii.	Vaterinary	—
	iii.	Medical	—
	iv.	Science	1308
	v.	Commerce	463
	vi.	Arts	2769
	vii.	M. A., M.Ed.	20
	viii.	L. L. M.	—
		Others	—
7.	Engineering personnel		
	A.	Civil	123
	B.	Electrical	146
	C.	Mechanical	147
	D.	Mining	3
	E.	Others	—
	(a)	Agriculture	7
	(b)	Other	26
8.	Diploma Holders.		
	(a)	Civil	366
	(b)	Electrical	482
	(c)	Mechanical	584
	(d)	Mining	1
		Others	63
		GRAND TOTAL	229212

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण-सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

नाहरू रोग की बीमारी

10. श्री रामसिंह कुड़ी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में किन किन गांवों में नाहरू (बाले) के रोग से अधिकतर लोग ग्रसित होते हैं ? इसका क्या कारण है एवं राज्य सरकार ने इस भयंकर बीमारी की रोकथाम हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(2) नागौर जिले के किन किन गांवों में पीने के पानी से किस किस प्रकार के रोगों के फैलने व होने की शिकायतें आती रहती हैं ? एवं इनकी कोई जांच कराई है? यदि हां तो कब व इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) सर्वेक्षण के अभाव में जानकारी देना संभव नहीं है। सामान्यतया स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है और समय समय पर पानी का शुद्धिकरण कराया जाता है।

(2) अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों की तरह नागौर जिले से भी आन्त्रशोथ दस्तों (डायरिया, डिसेन्ट्री) नाहरू रोगों की सूचना अनेक गांवों से प्राप्त होती रहती है और समय समय पर जांच कराई जाकर इलाज किया जाता रहा है।

(109)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार दिनांक 7 मई, 1975)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
2	नीचे से दूसरी	अश्विास	अविश्वास
8	नीचे से पन्द्रहवीं	पोस्टण	होस्टल
33	ऊपर से प्रथम	चाल	चालू
40	नीचे से उन्नीसवीं	दंटर	वंटर
45	नीचे से ग्यारहवीं	गइसी राबी	इसी गरीबी
74	नीचे से चौदहवीं	लेवा	लेवी
74	नीचे से तेरहवीं	छट	छुट
101	नीचे से दूसरी	मानवीय	माननीय
121	नीचे से आठवीं	प्रिजेन्टेशन	रिप्रेजन्टेशन
151	नीचे से तेरहवीं	माननीम	माननीय
157	नीचे से आठवीं	सरकर	सरकार
177	नीचे से प्रथम	जाड़ने	जोड़ने
178	नीचे से सोलहवीं	टकटका	टकटकी
197	ऊपर से चौथी	किजा	किया
200	ऊपर से पांचवीं	फायद	फायदा
203	ऊपर से दूसरी	प्रम्ताव	प्रस्ताव
205	नीचे से तेरहवीं	अभा	अभी
214	ऊपर से चौथी	श्री रामसिंह कुड़ी	श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)